खण्ड-147, अंक-4
गुरूवार, 2 पौष, शक संवत् 1876
(23 दिसम्बर, 1954 ई0)

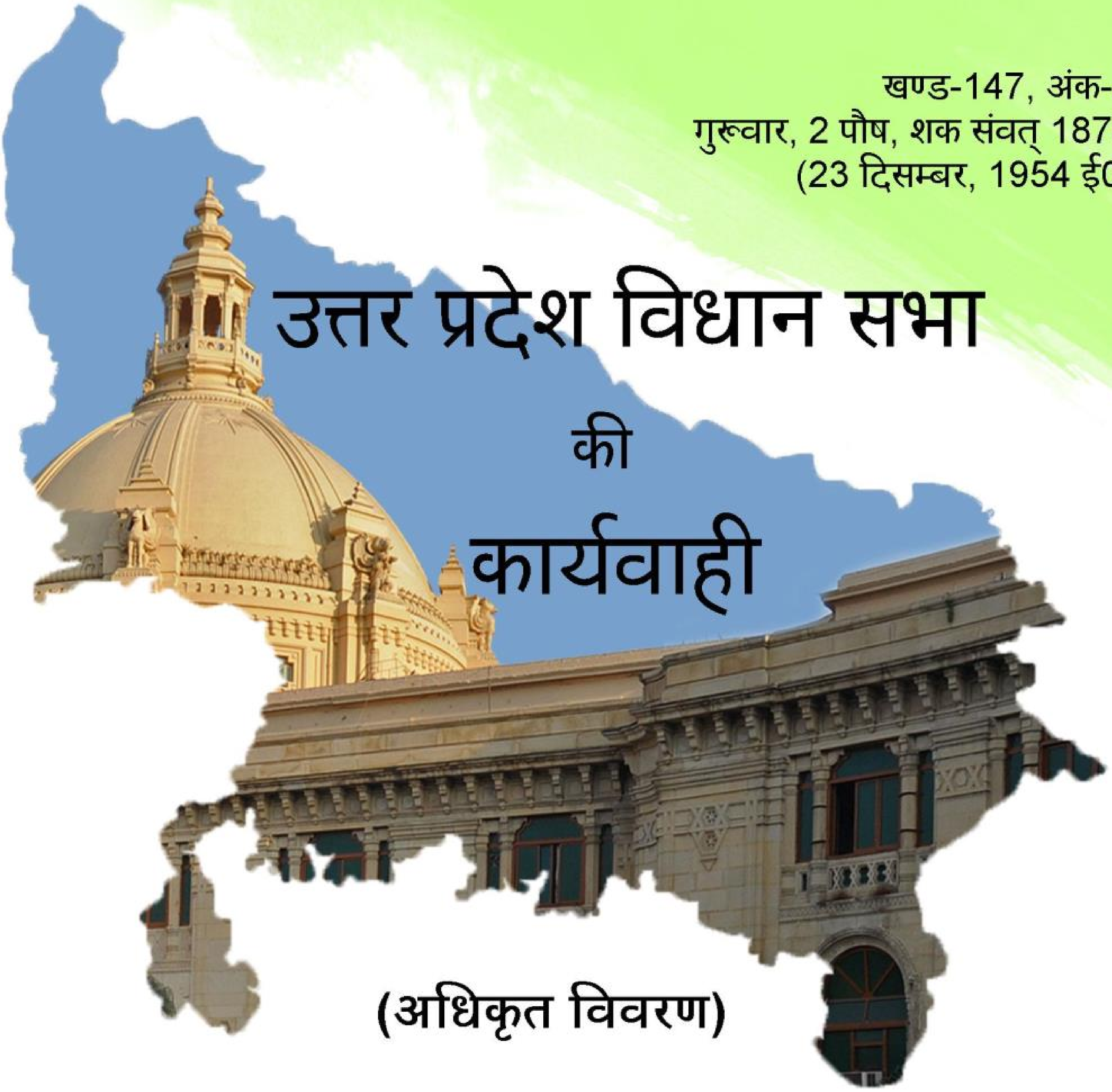

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 147 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २३ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
राम..खन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त ,श्री

अवधेश प्रदेश सभा

सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रसार शिक्षण केन्द्र बख्शी का तालाब, लखनऊ के कार्यकलाप पर व्यय

*१—श्री श्याम मनोहर मिश्र (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक विकास योजना केन्द्र, बख्शी तालाब (लखनऊ) को सन् १९५३-५४ में कितना रुपया हरिजनों तथा सिंचाई के कुयें बनाने के लिये दिया गया ? उसमें कितना व्यय हुआ, किन-किन गांवों में कुयें बने तथा कितना रुपया शेष रहा ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—प्रसार शिक्षण केंद्र, बख्शी का तालाब के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में केवल जाना गांव के हरिजनों को हरिजन कूओं के निर्माण करने के लिये ४०० रुपये की सहायता जिला नियोजन समिति द्वारा प्रदान की गई थी। उपर्युक्त सहायता कुयें के होने पर व्यक्तियों को दे दी गई। सिंचाई के कुओं के लिये वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में किसी प्रकार की सहायता इस क्षेत्र के लिये जिला नियोजन समिति से नहीं मिली।

*२—श्री श्याममनोहर मिश्र (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त शिक्षण केंद्र में इस समय कितनी मोटरें हैं और उनका पेट्रोल तथा रिपेयरिंग आदि का गत वर्ष का व्यय क्या है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—प्रसार शिक्षण केंद्र में इस समय चार मोटरें हैं। इन गाड़ियों का पेट्रोल और मरम्मत का व्यय वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में १२,४९८ रुपया १५ आने हुआ ?

(विवरण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०५ पर)

*३—श्री श्याम मनोहर मिश्र (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री उक्त विकास योजना शिक्षण केंद्र की सन् १९५३-५४ की प्रगति की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—प्रसार शिक्षण केंद्र, बख्शी का तालाब की सन् १९५३-५४ की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'कक' आगे पृष्ठ ३०६—३१३ पर।)

जिला नियोजन समिति, जालौन द्वारा छौना मानपुरा स्कूल को प्रदत्त सहायता

*४--राजा वीरन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो सहायता जिला जालौन नियोजन कमेटी द्वारा स्कूल छौना-मानपुरा, परगना जालौन को २०० रुपया दी गई उसकी सूचना सभापति, ग्राम सभा मानपुरा को दी गई या नहीं ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूल सिंह)--जी नहीं।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार यह बतायेगी कि नियोजन कमेटी द्वारा मंजूर की गयी रकम कौन उठाता है ?

श्री फूलसिंह--जिसको मंजूर किया जाता है।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार को मालूम है कि जो ग्रांट स्कूलों को जालौन जिले में नियोजन कमेटी ने रकमें दीं उनको कौन साहब ने उठाया था ?

श्री फूलसिंह--जिन जिन स्कूलों के लिये दी गई है उन स्कूलों ने उठायी होगी।

श्री अध्यक्ष--आप जो प्रश्न पूछें तो आपके दिल में जो पूरी बात हो उसका प्रश्न बना दें। एक-एक टुकड़ा करके पूछने और क्रास एग्जामिनेशन करने से तो समय भी जाता है और मैं समझता हूं कि उससे आपको भी ऐसा जवाब मिलेगा जिसका अर्थ ही नहीं निकलेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार को मालूम है कि नियोजन कमेटी ने स्कूलों की सहायता के लिये रुपया दिया था वह उनको न मिलकर किसी और जगह चला गया है ?

श्री फूलसिंह--सरकार के पास इसकी कोई इत्तला नहीं है। स्कूल के लिये तो केवल दो सौ रुपया मंजूर हुआ।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार हमारे प्रश्न पर जो मानपुरा स्कूल को रकम दी गई है, वह उसको नहीं मिली है, वह उसको मिल जाय, इसकी जांच करायेगी ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

बस्ती जिले में श्रमदान कार्य

*५--श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में श्रमदान से गत वर्ष और इस वर्ष कितना काम किन-किन तहसीलों में हुआ है ?

श्री फूलसिंह--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१४-३१५ पर।)

बस्ती जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य

*६—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बांसी तहसील के परगना विनायकपुर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन से काम लिये गये और उनमें अब तक कितना काम हुआ ?

श्री फूल सिंह—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बस्ती के तहसील बांसी के परगना विनायकपुर में जो कार्य आवश्यक समझ कर किये गये और उसमें से कितना कार्य सम्पन्न किया गया, उनके विवरण की एक तालिका माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१६ पर)

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो काम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लिये गये थे वह पूरे हो गये या कुछ बाकी हैं ?

श्री फूलसिंह—अभी तो बहुत करना बाकी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परगना विनायकपुर में कितने रुपये खर्च करने के लिये दिये गये हैं ?

श्री फूलसिंह—इसकी तो सूचना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परगना विनायकपुर में कौन-कौन से खास काम पंचवर्षीय योजना में लिये गये है ?

श्री फूलसिंह—यह तो बहुत सारे लम्बे काम हैं। कच्ची सड़कों की मरम्मत करना, कच्ची सड़कें बनाना, बन्धियों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना और गूल बनाना आदि-आदि।

श्री रामकुमार शास्त्री—वह कौन सी ऐसी बंधी हैं और उन पर कितना रुपया खर्च किया गया है और कितनी लम्बी चौड़ी हैं ?

श्री फूलसिंह—यह तो माननीय सदस्य को मुझ से ज्यादा इल्म होगा क्योंकि वह इस जिले के रहने वाले है। मुझ से ही वह अगर जानना चाहते है तो मैं नोटिस चाहूंगा।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों के लेखे का निरीक्षण

*७—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौदहा राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र का निरीक्षण (audit) हुआ है ? यदि हां, तो कब ?

श्री फूल सिंह—इस क्षेत्र का निरीक्षण अब तक नहीं हुआ है।

*८—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों का निरीक्षण वह किसके द्वारा कराती है ?

श्री फूल सिंह—इन क्षेत्रों के आय व्यय के लेखों का निरीक्षण, सहायक अनुदानों को छोड़ कर एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश के द्वारा तथा सहायक अनुदानों का निरीक्षण परीक्षक, लोकल फन्ड एकाउन्ट्स के द्वारा होता है।

*९—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्लानिंग कमेटी, हमीरपुर के पिछले वर्ष के हिसाब की जांच (audit) की गई ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एन० ई० एस० ब्लाक का आडिट अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री फूल सिंह—यह ब्लाक्स जनवरी, १९५४ से शुरू हुये हैं और साल अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की आडिट रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह—जिला प्लानिंग कमेटी के हिसाब की रिपोर्ट हाल ही में आई है और उस पर महकमे में देखभाल की जा रही है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर द्वारा कुछ अनअथोराइज्ड खर्चा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—ऐसी शिकायतें आयेंगी तो अवश्य जांच की जायगी।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है जिसके जरिये से राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र का निरीक्षण हो जाया करे ?

श्री फूलसिंह—जी हां। इन दोनों तरीकों के अलावा इस महकमे ने अपने इंटर्नल आडिट का भी महकमा बनाया है।

फैजाबाद विकास क्षेत्र के ग्राम सेवक व पम्पिंग सेट्स

*१०—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद नियोजन विभाग में कितने पम्पिंग सेट हैं ? इनकी कार्य क्षमता कितनी है और गत वर्ष इनसे कितना काम लिया गया है ?

श्री फूलसिंह—फैजाबाद नियोजन विभाग के अन्तर्गत कोई भी पम्पिंग सेट नहीं है। उनकी कार्य क्षमता व गत वर्ष के काम का प्रश्न ही नहीं होता।

*११—श्री मदनगोपाल वैद्य—फैजाबाद विकास क्षेत्र में कितने ग्रामसेवक (विलेज लेविल वर्कर) हैं ?

श्री फूलसिंह—इस क्षेत्र में इस समय २० ग्रामसेवक काम कर रहे हैं।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि नियोजन विभाग से जो अब पम्पिंग सेट किराये पर चलाये जाते हैं वे किस विभाग के हैं और उसके इंसपेक्टर तथा ड्राइवर का वेतन कहां से दिया जाता है ?

श्री फूलसिंह— अगर माननीय मेम्बर ऐसा कोई सुझाव देंगे तो उसकी जरूर जांच की जायगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की फसल को कीटाणुओं से बचाने के उपाय

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष नैनीताल तहसील के आलू पैदा करने वाले भागों में कीटाणुओं ने आलू की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

*१३—क्या यह सही है कि जिला प्लानिंग कमेटी नैनीताल ने प्रस्ताव किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आलू, जौ, महुवा, गेहूं, गनरा आदि खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर गवेषणा करने और भूमि परीक्षण करने हेतु कोई रिसर्च स्टेशन नैनीताल तहसील के देहात में खोला जाय? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—जी हां, विशेषज्ञों द्वारा प्रारम्भिक जांच-पड़ताल द्वारा कीटाणुओं से फसल को बचाने के उपायों की वैज्ञानिक खोज की योजना प्रस्तुत की गई है जो भारतीय कृषि अनुसंधान समिति (आई० सी० ए० आर०) के विचाराधीन है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कीटाणुओं से फसल को बचाने की योजना बनायी गयी है वह किन विशेषज्ञों द्वारा बनायी गयी है और उसकी लागत क्या है?

श्री हुकुमसिंह—विशेषज्ञों ने बनायी है, नाम इस वक्त नहीं मालूम।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना की लागत क्या है और कब तक इस पर कार्य हो सकेगा?

श्री हुकुमसिंह—योजना सेंटर से आ जाय तब लागत का सवाल पैदा होगा कि वह उसको किस रूप में रखना चाहती है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आलू के उत्पादन के ऊपर सरकार की तरफ से कोई साहित्य का वितरण अब तक हुआ या नहीं?

श्री हुकुमसिंह—हुआ होगा, इस वक्त मुझे खयाल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रारम्भिक जांच पड़ताल किन व्यक्तियों ने की थी?

श्री हुकुमसिंह—व्यक्तियों के नाम बताना इस वक्त असम्भव है, नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि डायरेक्टर, एग्रीकल्चरल विभाग ने कोई योजना पहाड़ की छोटी होल्डिंग्ज में गेहूं, मड़आ आदि की ज्यादा पैदावार करने के सम्बन्ध में सरकार के पास भेजी है?

श्री हुकुमसिंह—इसका जवाब तो दे दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि क्या डायरेक्टर, एग्रीकल्चरल विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों की छोटी होल्डिंग्ज में अधिक पैदावार करने के लिये कोई विशेष प्रकार से बनायी गयी योजना सरकार के पास विचार के लिये भेजी है?

श्री हुकुमसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

कुमांयूं में आलू के बीज की कमी

*१४—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष कुमांयूं में आलू के बीज की कमी को पूरा करने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—सरकार ने बीज खरीद कर किसानों में आवश्यकतानुसार वितरण करने के लिये १,६१,००० रु० की धनराशि व्यय करने की स्वीकृति दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १ लाख ६१ हजार रुपया, किस जिले के लिए कितना निर्धारित किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—नैनीताल के लिए एक लाख है। अलमोड़ा के लिए २५ हजार है। पौड़ी-गढ़वाल के लिये ८ हजार है। टेहरी-गढ़वाल के लिए १२ हजार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वितरण करने के लिये कौन-सी मशीनरी सरकार ने नियत की है ?

श्री हुकुमसिंह—वही कृषि अधिकारी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष कृषि अधिकारी के जरिये बीज वितरण करने के लिये जो रुपया रखा गया था उसमें से ९८ फीसदी रुपया लैप्स हो गया ?

श्री हुकुमसिंह—तादाद तो मैं ठीक नहीं बता सकता। लेकिन कुछ लैप्स हुआ था। जिन लोगों से बीज सप्लाई करने का मुआहदा हुआ था उन्होंने मुआहदा पूरा नहीं किया। इस वजह से लैप्स हो गया।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि गढ़वाल के लिये जो रुपया रखा गया था उसमें भी कुछ लैप्स हुआ ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो रुपया दिया जायगा काश्तकारों को यह तकावी के रूप में दिया जायगा या कर्जे के रूप में दिया जायगा या ग्रांट के रूप में दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह—बीज दिया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल में जो आलू का बीज दिया जाता है वह कहां से मंगवाया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह—कोशिश कर रहे हैं सेंटर से मंगायें। वहां एक अच्छे किस्म का बीज निकला है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बीज किसानों को दिया जायगा वह उनसे वापस भी लिया जायगा या मुफ्त में उनके पास रहने दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह—वापस लिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह बीज वापसी नकदी के रूप में होगी या बीज के सवाया के रूप में होगी ?

श्री हुकुमसिंह—नक़दी में होगी। सवाया में किसानों का नुकसान होता है।

श्री गंगाधर मैठाणी—माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह जो आलू का बीज वहां दिया जाता है वह किस जाति का है ?

श्री हुकुमसिंह—पहाड़ में जो पैदा हो सकता है उसी जाति का है।

रामपुर के टूरिंग सिनेमा

*१५—श्री महमूदअली खां (जिला रामपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रामपुर में आरज़ी तौर पर कितने सिनेमा चल रहे हैं और यह कब से चल रहे हैं ?

श्री फूल सिंह—इस समय एक नहीद टूरिंग टाकीज चल रहा है, जिसको १९ नवम्बर, १९५४ से १८ दिसम्बर, १९५४ तक का लाइसेंस दिया गया है।

*१६—श्री महमूदअली खां—क्या यह सच है कि कुंवर टाकीज जो टेम्पोरेरी सिनेमा था उसको दुर्गा टाकीज करके दूसरा परमिट दे दिया गया है ?

श्री फूल सिंह—जी नहीं। दुर्गा टाकीज़ के लिये एक दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है।

श्री महमूदअली खां—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह टूरिंग सिनेमा वहां कितनी मुद्दत से चल रहा है ?

श्री फूल सिंह—यह जो आख़िरी लाइसेंस है वह १९ सितम्बर को दिया गया है।

श्री महमूदअली खां—मेरा सवाल यह था कि इसको चलते हुए कितनी मुद्दत हो गई ?

श्री फूल सिंह—इसकी इत्तिला अभी मेरे पास नहीं है।

श्री महमूदअली खां—क्या सरकार को यह मालूम है कि ये टूरिंग सिनेम पुख़्ता बना लिये गये हैं ?

श्री फूल सिंह—टूरिंग सिनेमाज़ को पर्मानेंट सिनेमा में कंवर्ट करने का कायदा नहीं है। अगर ऐसा किया गया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सिनेमाज़ को जो यह टेम्पोरेरी लाइसेंस दिया जाता है उनको समाप्त करने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री फूल सिंह—यह टेम्पोरेरी लाइसेंस देहातों के लिये दिया जाता है। जहां पर्मानेंट सिनेमाज हैं वहां टेम्पोरेरी सिनेमाज़ की जरूरत नहीं है।

श्री महमूदअली खां—क्या सरकार को मालूम है कि पहले जो यह दुर्गा टाकीज था उसी को कुंवर टाकीज के नाम से लाइसेंस दे दिया गया है ?

श्री फूल सिंह—टेम्पोरेरी सिनेमा के लाइसेंस से यह मंशा नहीं है कि एक ही सिनेमा नाम बदल-बदल कर चलता रहे। अगर ऐसा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जायगी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या सन् ५४ में सिनेमाज के खिलाफ कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जिन पर गवर्नमेंट यह गौर कर रही है कि सिनेमाज का लाइसेंस कर्टेल कर दो ?

श्री फूल सिंह--सिनेमाओं से अच्छा असर लोगों पर पड़े और खराब असर न पड़े, इस मामले पर हमेशा गौर होता रहता है।

श्री रामनरेश शुक्ल --क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की इत्तिला है कि ये टेम्पोरेरी लाइसेंस के सिनेमाज गन्दी तस्वीरें दिखलाया करते हैं ?

श्री फूल सिंह--इसकी मुझे इत्तिला नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार जो सिनेमा मेलों में जाते हैं वे अगर ७ पैसे का टिकट रखना चाहें तो रख सकते हैं इसके लिये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को हिदायत देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह आपका सुझाव हो सकता है, आप इसको भेज दें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

मुन्सिफों में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के लोग

*१७--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय प्रदेश में कुल कितने मुंसिफ हैं और उनमें परिगणित जातियों (sheduled castes) की क्या संख्या है ?

श्री फूल सिंह--इस समय प्रदेश में १२९ मुंसिफ हैं जिनमें से ३ परिगणित जातियों के हैं ?

*१८--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ और ५३ ई० में कितने मुंसिफ लिये गये हैं और उनमें परिगणित एवं पिछड़ी जातियों की क्या संख्या है ?

श्री फूल सिंह--सन् १९५२ में २० तथा १९५३ में ९ मुंसिफ लिये गये। इनमें प्रतिवर्ष परिगणित जातियों का एक उम्मीदवार लिया गया। पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के बारे में इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु यदि सदस्य महोदय चाहें तो उनकी जानकारी के लिये उसे प्राप्त किया जायेगा।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रतियोगिता परीक्षा किस योग्यता के आधार पर होती है ?

श्री फूल सिंह--पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाना होता है वही इसका इम्तहान लेते हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तीन मुन्सिफ जो शिडयूल कास्ट के बतलाये गये हैं, तो क्या सरकार ने उनकी सर्विस को स्थायी कर दिया है ?

श्री फूल सिंह--इन तीन मुन्सिफों में से २ तो कन्फर्म हो चुके हैं। एक अभी टेम्पोरेरी है। एक और मुन्सिफ हरिजन नियुक्त होने जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार के सामने मुन्सिफों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री फूलसिंह—करीब-करीब २० और नये मुन्सिफों की भर्ती की जायगी।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में कितने परिगणित जाति के व्यक्ति मुन्सिफ की परीक्षा में बैठे थे ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। हाईकोर्ट से मंगानी पड़ेगी।

*१९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१० जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के बुनकरों को सरकारी सहायता

*२०—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिकन्दराराऊ (जिला अलीगढ़) में कितने घर बुनकरों के हैं और उनके गृह उद्योग को सरकार की ओर से क्या सहायता प्रदान की जाती है ?

श्री हुकुम सिंह—यह सूचना प्राप्त नहीं है कि सिकन्दराराऊ (जिला अलीगढ़) में बुनकरों के कितने घर हैं परन्तु वहां पर एक करघा सहकारी समिति कार्य कर रही है जिसको ३७,२२४ रु० १३ आ० की सहायता निम्न रूप में दी गई है :—

(१) ऋण जो दिया गया .. ३०,००० रु०
(२) अनुदान जो दिया गया .. ७,२२४ रु० १३ आ०

योग .. ३७,२२४ रु० १३ आ०

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह ऋण किन कामों में खर्च होता है ?

श्री हुकुम सिंह—अवश्य।

श्री झारखंडे राय—मैंने यह पूछा था कि यह ऋण किन-किन कामों के लिये खर्च किया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह—हैंडलूम उद्योग की तरक्की देने के काम में खर्च किया जाता है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह ऋण सरकार ने किन शर्तों पर दिया है ?

श्री हुकुम सिंह—शर्त यह है कि जिन कामों के लिये दिया गया है उसी में खर्च हो।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सिकन्दराराऊ के बुनकर जो भूखे मर रहे हैं, उनका इतना कपड़ा हुआ है वह बाहर क्यों नहीं जाता ? क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी जिससे उनका कपड़ा वहां से खिंच सके ?

श्री हुकुम सिंह—हैंडलूम कपड़े की बिक्री के लिये खास प्रबन्ध किया गया है। सहकारी समितियों को हर तरह से सहायता देते हैं और उसमें रिबेट देने की योजना भी रखी है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सिकन्दराराऊ में जो सहकारी बुनकरों की सोसायटी है उसमें कितने बुनकर हैं ?

श्री हुकुम सिंह—गालिबन ५६१ के लगभग हैं ।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ में जितने बुनकर कोआपरेटिव सोसायटी के बाहर हैं उनके लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह—उनसे कहा जाता है कि अपनी सहकारी समिति की मदद करो ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन्हें ३० हजार का कर्जा और ७ हजार ग्रान्ट दी गयी है उनके पास कितने करघे आज कल चल रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके बतलायेंगे कि यह रुपया इमदाद का किसके ज़रिये से तकसीम किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह—प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या गवर्नमेंट इस बात से मुतमईन है कि उसकी तकसीम सही हुई है ?

श्री हुकुम सिंह—हां, मुझको तो इतमीनान है ।

श्री शिवनारायण—जो रुपया दिया गया है उस पर सरकार क्या सूद लेगी ?

श्री हुकुम सिंह—सम्भवतः बिला सूद है, बिल्कुल ठीक मैं इस समय नहीं बता सकता ।

*२१-२२—श्री गंगाधर मैठाणी—[स्थगित किये गये ।]

विधान सभा के गृह उद्योग व बेकारी सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही

*२३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के २२ अक्तूबर को गृह उद्योग और बेकारी सम्बन्धी पास किये हुए प्रस्ताव पर वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं, और उस प्रस्ताव में जिस कमेटी के नियुक्त करने की बात कही गयी है वह कब तक नियुक्त हो जायेंगी ?

श्री हुकुम सिंह—विधान सभा के २२ अक्तूबर के गृह उद्योग और बेकारी सम्बन्धी प्रस्ताव में जो ११ सूत्री कार्यक्रम की योजना है उस पर कई बातों में उचित कार्यवाही की जा चुकी है शेष बातें सरकार के विचाराधीन हैं। विशेषज्ञों की जिस कमेटी के नियुक्त करने की बात है वह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने उस कार्यक्रम में किस-किस मद में क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुम सिंह—जब यह प्रस्ताव पेश था तब भी मैंने चन्द बातें बतलाई थीं जो सरकार कर चुकी थी । यदि मेरी स्पीच पढ़ ली जाय तो उससे साफ हो जायगा ।

श्री देवकीनन्दन विभव—इस प्रस्ताव के पास होने के बाद क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुम सिंह--जो केन्द्रीय सरकार से करने की बात थी उनकी तवज्जह उस तरफ दिलाई गई ?

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या केन्द्रीय सरकार से इस कार्य के लिये कुछ मंजूरी प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुम सिंह--अभी तक नहीं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस ११ सूत्री कार्यक्रम में किन-किन पर कार्यवाही हो चुकी है और किन-किन पर विचाराधीन है ?

श्री हुकुम सिंह--मैं अपनी स्पीच की ओर माननीय मित्र का ध्यान दिलाता हूं ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त होगी वह सरकारी व्यक्तियों की ही होगी या उसमें असरकारी आदमी भी लिये जायंगे ?

श्री हुकुम सिंह--अभी यह बात निश्चित नहीं की गई है ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि उस समिति में विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य भी हों ?

श्री हुकुम सिंह--जब मौका आवेगा तो मैं जरूर सोचूंगा ।

*२४--श्री देवकीनन्दन विभव--[स्थगित किया गया ।]

सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का विचार

*२५--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ के दक्षिणी क्षेत्र में कोई एन० ई० एस० ब्लाक खोलने के लिये अलीगढ़ प्लानिंग कमेटी की सिफारिश आयी है ?

श्री फूल सिंह--जी हां ।

*२६--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ब्लाक कब तक खोल दिया जायगा ?

श्री फूल सिंह--इस ब्लाक को निकट भविष्य में खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किस स्थान के लिये प्लानिंग कमेटी की सिफारिश आई है कि एन० ई० एस० ब्लाक खोला जाय ?

श्री फूल सिंह--जिन जिलों में अभी तक केवल १ ही ब्लाक है वहां दूसरा ब्लाक खोला जाने का विचार है और वह प्लानिंग कमेटी की राय से खोले जावेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि किस स्थान के लिये सिफारिश आई है ।

श्री फूल सिंह--मैंने कहा कि हां, उनकी सिफारिश से खोले जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष--आप उक्त जिला या उसकी तहसील के नाम का निर्देश करके पूछें ।

श्री नेकराम शर्मा--सिकन्दराराऊ के दक्षिणी क्षेत्र में किस गांव में या किस स्थान पर यह ब्लाक खोला जायगा ।

श्री फूल सिंह--जिन गांवों की सिफारिश प्लानिंग कमेटी ने की है वहां खोला जायगा।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि हसायन इलाके में यह क्षेत्र खोला जायगा ?

श्री फूल सिंह--गालिबन यही सिफारिश प्लानिंग कमेटी ने की है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद सबसे पहले ब्लाक इसी एरिया में खोला जायगा ?

श्री फूल सिंह--अभी तक केन्द्रीय सरकार ने ३० ब्लाक खोलने की इजाजत दी थी जिनमें से १५ ब्लाक खोले जा चुके हैं। हमारा इरादा ५० ब्लाक खोलने का है। २० ब्लाकों के लिये और लिखा गया है, स्वीकृति आने पर ३५ ब्लाक्स खोल दिये जायंगे।

विलीन टेहरी राज्य के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत नौकरी

*२७--श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि विलीन टेहरी राज्य के उद्योग विभाग के कितने कर्मचारी उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग में absorb किये गये हैं और किस-किस पद पर ?

श्री हुकुम सिंह--विलीन टेहरी राज्य के उद्योग विभाग के उन कर्मचारियों का ब्योरा जो उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग में absorb किये गये हैं निम्नांकित है :--

(१) श्री पत्ती लाल टेलरिंग इन्स्ट्रक्टर, राजकीय पोलीटेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल) वेतन की दर ८५--१५० रु० बाद में इस्तीफा दे दिया।
(२) श्री शिव सिंह चौहान, वीविंग इन्स्ट्रक्टर, राजकीय वीविंग स्कूल, मऊ (आजमगढ़) वेतन की दर ६०--१२० रु०।
(३) देवेन्द्र चन्द्र उनियाल, टेलरिंग इन्स्ट्रक्टर राजकीय पोलीटेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल) वेतन की दर ६०--१०० रु०।
(४) श्री दामोदर प्रसाद, वीविंग इन्स्ट्रक्टर राजकीय पोलीटेक्नि, टेहरी (टेहरी-गढ़वाल) देहान्त हो गया।
(५) श्री माधो सिंह, वीविंग इन्स्ट्रक्टर, राजकीय सेन्ट्रल वीविंग इन्स्टीट्यूट, बनारस वेतन की दर ६०--१०० रु०।
(६) श्री वी डी० सुयाल, वीविंग इन्स्ट्रक्टर, राजकीय पोलीटेक्निक, टेहरी (टेहरी-गढ़वाल) वेतन की दर ६०--१०० रु०।
(७) श्री दलवीर सिंह कुदीगर, राजकीय पोलीटेक्निक टेहरी (टेहरी-गढ़वाल) बाद में इस्तीफा दे दिया।

*२८--श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या यह सही है कि विलीन टेहरी राज्य के उद्योग विभाग के कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग में absorb किये गये हैं अभी तक confirm नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--विलीन टेहरी राज्य के उद्योग विभाग के कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग में absorb किये गये हैं अभी तक confirm नहीं किये जा सके हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेशीय उद्योग विभाग के शिक्षालयों का पुनर्संगठन हो रहा है और उस समय तक के लिये confirm करने का कार्य रोक दिया गया है। पुनर्संगठन के पश्चात् उद्योग विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ विलीन टेहरी राज्य के उद्योग विभाग के कर्मचारियों को confirm करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये कर्मचारी किस तारीख को एबजार्ब किये गये ?

श्री हुकुम सिंह---विलीन होने के कुछ दिन बाद, ठीक तारीख बताना संभव नहीं है।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वीविंग इन्सट्रक्टर और टेलरिंग इन्सट्रक्टर के पे स्केल क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह---मैंने जवाब में उनके ग्रेड्स बता दिये हैं।

श्री जयेंद्र सिंह विष्ट---इस उद्योग विभाग का पुनर्संगठन कब तक किया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह---कोशिश बहुत जल्द ही करने की की जा रही है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन शिक्षालयों का जो पुनर्संगठन है वह कितने दिनों से पेंडिंग है ?

श्री हुकुम सिंह---कई वर्षों से, मैंने जवाब में बतलाया है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दो सज्जनों ने किन कारणों से त्यागपत्र दिया ?

श्री हुकुम सिंह---वे आगे काम नहीं किया चाहते होंगे।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कर्मचारी ऐबर्जाब किये गये हैं उनकी तनख्वाह पहले से कम है या ज्यादा है ?

श्री हुकुम सिंह---वे पहले क्या पाते थे, मैं नहीं कह सकता। जो इस वक्त हम उनको दे रहे हैं वह मैंने बतलाया।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या यह सही है कि ये कर्मचारी टेहरी स्टेट में परमानेंट स्केल पर थे ?

श्री हुकुम सिंह---अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि टेहरी स्टेट के रेकर्ड्स मेरे पास हैं नहीं।

टेहरी गढ़वाल में मन्दाकिनी नदी पर सीली पर पुल बनाने का प्रयास

*२९---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या यह सही है कि जिला टेहरी और गढ़वाल की स्थानीय जनता ने श्रमदान द्वारा मंदाकिनी नदी पर सीली (अगस्तगुनी) पर पुल के पक्के पिलर्स तैयार किये हैं ?

श्री फूल सिंह---जी हां।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये पिलर्स कब बन कर तैयार हो गये थे ?

श्री फूल सिंह---ये पिलर्स काफी अर्सा हुआ बन गये थे। गर्डर्स के लिये उन्होंने लिखा है, पी० डब्ल्यू० डी० मुहकमे से खत के जवाब का इन्तजार है।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या उनको लोहे का पुल मिलने की सम्भावना है ?

श्री फूल सिंह---रूद्रपुर अगस्तगुनी मोटर रोड बनने से इस पुल की इम्पार्टेंस कम हो गयी है तथा यह शंका है कि शायद पी० डब्ल्यू० डी० यह कहे कि इस पुल के बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गंगाधर पैठाणी--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि यह पुल ऐसे स्थान पर है जहां से टेहरी के लोग मोटर रोड तक आयेंगे, इसलिये उसकी आवश्यकता होगी ?

श्री फूल सिंह--माननीय सदस्य की बात न मानने का कोई कारण नहीं है ।

श्री सत्य सिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि इस पुल के न बनने के कारण टेहरी और गढ़वाल की जनता का आपस में आदान-प्रदान कई महीने तक बन्द रहता है ?

श्री फूल सिंह--इसीलिये तो पुल के बनाने के लिये पांच सौ रुपया दिया गया था ।

*३०--श्री रामनारायण त्रिपाठी--[स्थगित किया गया ।]

लखनऊ आफिशियल्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भवन निर्माण पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रतिबन्ध

*३१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार को विदित है कि अशोक मार्ग पर स्थित Lucknow Officials Co-operative Housing Society की भूमि पर मकानों का निर्माण सहसा सन् १९५१ में Improvement Trust द्वारा रोक दिया गया था और अभी तक रुका पड़ा है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--जी हां।

*३२--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि इन मकानों का नक्शा lay out और lease terms सब सन् ५१ से पहले Municipal Board और Improvement Trust द्वारा स्वीकृत हो चुके थे और कुछ मकान उसके अनुसार बन भी गये थे लेकिन अब Society को नई शर्तें मानने पर बाध्य किया जा रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी हां ।

*३३--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि Society पर जो नये प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं उनके प्रतिकूल इसी locality में अन्य मकानों के बनाने की स्वीकृति दी गई है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी हां ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सोसाइटी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है जिससे ये मकान बिना बने या अधबने कई वर्ष से पड़े हुये हैं और हजारों रुपये की क्षति हो रही है ?

श्री मंगला प्रसाद--इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी अब तक हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं किया गया । अब आपने ध्यान आकर्षित किया है इसलिये जो उसमें खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जायगी ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को यह विदित है कि इस सम्बन्ध में कई डेपूटेशन माननीय स्वशासन मंत्री से मिले और उनके सामने उन्होंने अपनी दरख्वास्तें पेश कीं ?

श्री मंगला प्रसाद--इसकी इत्तिला मुझे नहीं है । जरूर मिले होंगे लेकिन मुझसे नहीं मिलें, नहीं तो मैं इसकी कोशिश करता ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को विदित है कि इस मामले को तय करने के लिये एक कमेटी भी बनायी गयी थी और उसको मार्च सन् ५३ तक रिपोर्ट देने के लिये आदेश दिया गया था ?

श्री मंगला प्रसाद—इसकी इत्तिला मुझे नहीं है लेकिन यह इत्तिला है कि इसमें काफी लिखा पढ़ी की कार्यवाही की गयी है, क्या-क्या कार्यवाही की गयी है उसकी तफसील मेरे पास नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार जो व्यवहार इस सोसाइटी के प्रति हुआ है उसको देखते हुये फौरन जांच कर के और जिन पर उनका मुआहिदा हुआ था, उन्हीं शर्तों पर फिर मकान बनाने की इजाजत देगी?

श्री मंगला प्रसाद—मैंने अपने जवाब में आपको बताया कि हम अब प्रयत्न करेंगे कि जल्द से जल्द उनको इजाजत मिल जाय, उसमें से पाँच मकान तो बन भी चुके हैं और छठा अभी अधूरा बना है, बाकी मकानों के विषय में क्या निर्णय ट्रस्ट की ओर से हुआ है और क्या शर्तें हो रही हैं इसका हमें पता नहीं है । उन शर्तों को देखने की कोशिश की जायगी जो इन मकानों के बारे में लगाई जा रही हैं और देखा जायगा कि कोई ऐसी शर्त न लगायी जाय जिससे रुकावट पड़े, लेकिन चूंकि ट्रस्ट और बोर्ड का मामला है इसलिये उनसे भी सलाह मशविरे की आवश्यकता होगी ।

बस्ती जिले में सहकारी समितियों के पास स्टाफ की कमी

*३४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसीलवार कितनी रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—गन्ना तथा कुटीर उद्योग विभागों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज को छोड़कर, बस्ती जिले में ३० नवम्बर, १९५४ को १,५२७ रजिस्टर्ड सहकारी समितियां थीं । इन समितियों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार था—

१—सदर	..	३९८
२—खलीलाबाद	..	२४२
३—हर्रैया	..	२३९
४—बांसी	..	३२८
५—डुमरियागंज	..	३२०
योग	..	१,५२७

श्री राजाराम शर्मा—जो समितियां इस समय बनी हुई हैं क्या उनकी बैठकें नियमित हुआ करती हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—इसके लिये नोटिस चाहिये और १,५०० सोसाइटियां नियमित रूप से बैठती हैं या नहीं इसका विवरण देना आसान काम नहीं है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बस्ती जिले में रजिस्टर्ड सोसाइटीज की तादाद को देखते हुये स्टाफ काफी है ?

श्री मंगला प्रसाद--कोआपरेटिव सोसाइटियों की प्रगति न सिर्फ बस्ती में बल्कि तमाम सूबे में इतनी ज्यादा हुई है कि इस वक्त हर जगह स्टाफ थोड़ा बहुत कम है, हम अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस साल भरती भी काफी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि यह कमी जल्द पूरी हो जायगी।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी शिकायत आई है कि स्टाफ की कमी के कारण काम ठीक नहीं चल रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद--मैंने बताया कि सभी जगह कमी है और सब जगह से मांग आती है तो थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है, बस्ती से शिकायत आई है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम है।

प्रदेश में अधिक चीनी मिलें खोलने की मांग

*३५--श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों से चीनी मिल खोलने की मांग की गई है और सरकार इस मामले में क्या कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--केन्द्रीय सरकार को इस विषय में दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। इनमें से एक डसना, जिला मेरठ अथवा डन्कौर, जिला बुलन्दशहर में तथा दूसरा बड़ौत, जिला मेरठ में चीनी मिल खोलने के लिये था। डसना तथा डन्कौर में गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण वहां चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव कार्यान्वित न किया जा सका। बड़ौत में चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव संभवतः केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त बाजपुर, जिला नैनीताल तथा हस्तिनापुर व बाघपत, जिला मेरठ में चीनी मिल खोलने की संभावना पर प्रदेशीय सरकार आवश्यक विचार विमर्श कर रही है।

श्री कमला सिंह--क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले में औड़िहार जंक्शन के पास चीनी मिल के खोलने के लिये कमला सिंह, सदस्य विधान सभा ने नैनीताल में, तथा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर ने एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था ?

श्री हुकुम सिंह--इस का जवाब तो पता लगा कर दे सकता हूं। इस वक्त मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री कमला सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वी जिले जैसे गाजीपुर, बलिया और बनारस के आस-पास कोई चीनी मिल नहीं है, हालांकि वहां अधिक मात्रा में गन्ना उपलब्ध होता है ?

श्री हुकुम सिंह--मिल न होना तो मैं स्वीकार करता हूं लेकिन गन्ना अधिक मात्रा में होना मैं नहीं स्वीकार करता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर और बागपत जिला मेरठ में चीनी मिल खोलने के संबंध में प्रदेशीय सरकार किन लोगों से विचार विमर्श कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--कई मर्तबे माननीय मुख्य मंत्री जी ने नारायण दत्त जी से बहुत कहा कि इसमें सहायता दो कि बाजपुर में किस तरह से शुगर मिल खोली जा सकती है। नवाब बाघपत ने भी लिखा है कि हम अपने यहां कोआपरेटिव बेसिस पर चलाना चाहते हैं तो वह भी इस बात में सोच विचार रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डन्कौर जिला बुलन्दशहर में गन्ना उपलब्ध नहीं हो सकता यह जांच उन्होंने किसके द्वारा कराई ?

श्री हुकुम सिंह--किसके द्वारा जांच हुई यह तो मैं नहीं बता सकता मगर यह खबर मिली है कि वहां पर काफी तादाद में गन्ना नहीं होता ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में कुछ मिलें ऐसी हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना प्राप्त नहीं हो रहा है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह--ऐसी मेरे पास तो कोई दरख्वास्त नहीं आयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि बाजपुर चीनी मिल लगाने के संबंध में डाक्टर गोकुलचन्द नारंग ने केंन्द्रीय सरकार से बातचीत की थी और उन्होंने १५ लाख रुपये लगाकर चीनी मिल वहां पर खोलने का निश्चय भी कर लिया था ?

श्री हुकुम सिंह--उनसे मामला तय नहीं हुआ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो बाजपुर और बाघपत में चीनी मिलें खोलने की योजना है वह कोआपरेटिव आधार पर या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार स्थापित की जाने वाली है ?

श्री हुकुम सिंह--बाघपत में तो कोआपरेटिव बेसिस पर नवाब साहब ने सजेस्ट किया है और बाजपुर में कोई ऐसी बात नहीं है, न पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई बात है । कोई महाजन खोलेगा तो खोलेगा ।

जिलाधीश, देवरिया द्वारा पडरौना चीनी मिल की चीनी की बिक्री

*३६-३७--श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--(१) क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पडरौना मिल की चीनी की बिक्री १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में जिलाधीश देवरिया ने की ? यदि हां, तो कितनी, किसके हाथ और किस भाव में की ?

(२) क्या यह सच है कि प्रचलित भाव से कम भाव पर चीनी बेची गई ?

श्री हुकुम सिंह--इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिये सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और पूर्ण सूचना एकत्रित हो जाने पर इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकेगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या यह सही है कि सरकार को यह प्रश्न १८ नवम्बर को मिल गये थे ? यदि हां, तो अभी तक यह सूचना क्यों नहीं इकट्ठी कराई जा सकी ?

श्री हुकुम सिंह--इसकी जांच-पड़ताल में ज्यादा वक्त संभवतः लगेगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सूचना जो इकट्ठी कराई जा रही है वह किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--सरकारी अफसरान के जरिये से ?

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर वे इकट्ठा कब से करा रहे हैं और किसके द्वारा करा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--द्वारा की बात तो मैंने बता दी लेकिन जब से प्रश्न आया तबसे इकट्ठा करा रहे हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी सूचना अब तक प्राप्त हो चुकी है ?

श्री हुकुम सिंह--इस तरह से पीस मील में बताना संभव नहीं है

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जिलाधीश देवरिया ने बाजार भाव से दो ढाई रुपये मन कम के हिसाब से चीनी की बिक्री की है ?

श्री हुकुम सिंह—जब तक कोई सूचना न आ जाय, मैं कोई बात का जवाब पूरी तरह से नहीं दे सकता ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सूचना इकट्ठी करने के लिये सीधे कलेक्टर से पूंछा जा सकता है, तो क्या कारण है कि उसके इकट्ठे होने में इतनी देर हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह—प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी सूचना प्राप्त होते ही उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—सूचना ही नहीं, मैं ठीक तौर से जवाब भी दूंगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन सरकारी अफसरों द्वारा यह जांच कराई जा रही है उनमें वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी शामिल हैं ?

श्री हुकुम सिंह—संभवतः अवश्य शामिल होंगे ।

बनारस शहर की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियां

*३८—श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस शहर में कौन-कौन रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—बनारस शहर की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१७-३१८ पर)

पूर्ण उत्तर न मिलने पर कुछ प्रश्नों को स्थगित करने की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक सूचना चाहता हूं प्रश्न संख्या ३६ और ३७ के बारे में । उसका जवाब देते समय माननीय मंत्री ने कहा है कि उनके पास अभी पूरी सूचना नहीं आई है और इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित माना जाय क्योंकि नियमानुसार ६ महीने तक कोई दूसरा प्रश्न इस बारे में नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष—ऐसा होने पर हमारे दफ्तर से मंत्री जी से पूछ लिया जाता है कि उन्होंने क्या ऐसा कहा था और यदि ऐसा होता है और वे मानते हैं तो फिर जवाब आने पर वह सदन को दुबारा दिया जायगा और उसके लिये कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उस समय हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आपको जवाब मिल जायगा और जवाब मिलने पर इस तरह के प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं ।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये निर्वाचन विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना सदन को देनी है ।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट की सदस्यता के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का अंतिम समय २१ दिसम्बर, १९५४ को एक बजे तक था। इस समय के भीतर ११ अभ्यर्थियों के पक्ष में ९ नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुये जो इस प्रकार हैं :—

अभ्यर्थी का नाम

१—श्री नेकराम शर्मा
२—श्री विष्णु दयाल वर्मा
३—श्री मलखान सिंह
*४—श्री श्री चन्द्र
५—श्री तेजा सिंह
६—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
७—श्री बाबूराम गुप्त
८—श्री पुत्तू लाल
९—श्री इस्तफा हुसैन
१०—श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल
११—श्री रमानाथ खेरा

यह नामांकन २२ दिसम्बर, ५४ को ३ बजे सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त वैध पाये गये।

नामों की वापसी का समय २३ दिसम्बर, ५४ को ४ बजे तक है, यदि इस समय तक ६ नाम वापस न हुये तो निर्वाचन कराने के संबंध में कार्यवाही की जायगी।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१९ पर।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३२० पर।)

प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री जुगल किशोर (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सभापति होने के नाते मैं उक्त समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन† जो स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह प्राक्कलन समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चतुर्थ प्रतिवेदन है। इसके पहले भी तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं मालूम हुआ कि सरकार ने.....।

---

* दो नाम निर्देशन।

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष--माननीय शिक्षा मंत्री और उद्योग मंत्री कृपा करके जो नारायण दत्त जी का वक्तव्य है उसे सुनने दें, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस सदन में अब तक तीन प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। आज चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सदन जानने का इच्छुक है कि सरकार ने उन तीनों पर क्या कार्यवाही की है जो कि आज तक इस सदन में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जितना कि दिया जाना चाहिये था। और श्रीमन्, यह शब्द "विचाराधीन" तो मैं समझता हूं कि ऐसा हो गया है कि इसका महत्व ही नहीं रहा। आपके द्वारा मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले तीन प्रतिवेदनों की रिपोर्ट पर क्या हुआ और सरकार ने कार्यवाही की है तो वह क्या है। अगर कार्यवाही हो चुकी है तो विवाद के लिये समय निश्चित होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--नियम यह है कि जब इस तरह का प्रतिवेदन उपस्थित हो तो सरकार जो सिफारिशें हैं उनके ऊपर विचार करेगी और जो उसके ऊपर वह कार्यवाही करेगी उसको सदन के सामने लाकर सदन को सूचना देगी कि किस प्रकार उनके ऊपर अमल किया गया है। इतना इस नियम में है। तो इस नियम को सामने रखते हुये कृपा करके आप (माननीय हुकुम सिंह से) उत्तर दें।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--दो बजे के बाद इस पर निश्चित स्टेटमेंट सदन के सामने रखूंगा।

*लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड ९ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं कि इस विधेयक के खंडों के ऊपर विचार करने के लिये जितना समय दिया गया था यानी दस घंटे उसमें से सवा सात घंटे कल समाप्त हो चुके हैं। अब पौने तीन घंटे बाकी हैं। तो अब यह पौने तीन बजे तक विचार चलेगा। मैं टेंटेटिवली कहता हूं कि सवा दो बजे से जो खंड बाकी रह जायंगे उन पर वादविवाद न होकर केवल राय ली जायगी। तब तक खंडों के ऊपर विचार किया जा सकता है और विवाद हो सकता है और जितने बाकी रह जायंगे उन पर सवा दो बजे तक ही बहस होगी। तो इस समय का अन्दाजा लगाकर ही भाषण अगर हों तो बहुत से संशोधन विचार में लिए जा सकते हैं। इसलिये मैंने सूचना सदन को दे दी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा "10" की उपधारा (5) के भाग (*b*) की तीसरी पंक्ति में आये हुए शब्द "names not more than three in number of" के स्थान पर शब्द "the names of not more than three" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह एक शाब्दिक संशोधन है और मुझे आशा है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† २२ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर शिक्षा मन्त्री खड़े नहीं हुए।)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें लखनवी तकल्लुफ नहीं होना चाहिये। जो माननीय शिक्षा मंत्री हों वह कृपा करके खड़े हो जायं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--हां, यह प्रस्ताव स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 10 की उपधारा (5) के भाग (b) की तीसरी पंक्ति में आये हुए शब्द "names not more than three in number of" के स्थान पर शब्द "the names of not more than three" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 10 की उपधारा (8) की दूसरी पंक्ति से शब्द "illness" निकाल दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह शाब्दिक संशोधन है।

श्री अध्यक्ष--कोई शब्द निकाल देना शाब्दिक नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 10 की उपधारा (8) की दूसरी पंक्ति से शब्द "illness" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

11 (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any other Authority or body of the University but shall not merely by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under Section 39, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor, shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline therein.

(5) The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary, also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment, or reduction in emoluments he may pass such order as he deems fit,

(*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid he shall associate with himself two persons one of whom is or has been a judge of a High Court and the other is a person co-opted by them.

(6) In any case in which action has been taken under clause (*b*) of sub-section (5) the Vice-Chancellor shall upon the conclusion of the proceedings submit the repot to the Executive Conucil. The Executive Conucil shall thereupon pass orders according to the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper.

(7) In any emergency which in the opinion of the Vice-Chancellor, reqiures immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, Authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-secion (5) or (7) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(9) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders, of the Executive Council regarding the appointment, suspension and dismissal of officer and teachers of the University.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (5) की पंक्ति २ में से शब्द "or teacher" निकाल दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खंड ११ का (५) यह है--

" The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment, or reduction in emoluments he may pass such orders as he deems fit."

यह प्रस्तावित धारा है। तो श्रीमन्, अभी तक का जो हमारे सामने लखनऊ यूनिवर्सिटी का बिल है उसकी धारा ११ को पढ़ा जाय तो उसमें वाइस चांसलर को इस प्रकार की कोई पावर नहीं दी गई है कि वह पुलिस आफिसर की तरह अध्यापक गण के खिलाफ कोई इस प्रकार का ऐक्शन ले सकें। तो अगर इस धारा में से ये शब्द निकाल दिये जायं तो वाइस चांसलर की जो पावर है वह सिर्फ वहां पर जो सैलरीड टीचर्स हैं, उनको छोड़कर, जो दूसरे लोग सर्विस में हैं उनके ऊपर लागू हो जायगी क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसा अभी तक इस ऐक्ट में था उसमें यह धारा नहीं थी। लेकिन वाइस चांसलर को ऐसे अधिकार थे। सम्भवतः वह कुछ ऐसे नियम बने थे जिनके द्वारा टीचर्स के ऊपर कोई न कोई ऐक्शन किसी प्रकार से लिया जाता होगा। यदि देखा जाय तो जहां तक दूसरी जगह टीचर्स के प्रति यह भावना है तो मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा यह होता कि कोई एकेडेमिक कौंसिल या कोई टीचर्स की बाडी बना कर उनके कांडक्ट के बारे में उनकी सिफारिश से कार्यवाही की जा सकती थी। लेकिन डिसिप्लिनरी ऐक्शन के बारे में टीचर्स का भी दूसरे कर्मचारियों की श्रेणी में ला देना मैं समझता हूं यह इस बिल के लिये और इस अध्यापक वर्ग के लिये बड़े अपमानजनक शब्द हैं। अपमान-जनक ही नहीं बल्कि यह यहां अनावश्यक शब्द है। माननीय मंत्री जी को सचमुच में टीचर्स की तरफ से यदि इस प्रकार का कोई अविश्वास है कि टीचर लोग भी वहां दूसरे सोशलिस्ट नेता या अन्य पार्टी वाले लोग हैं उनकी तरह कार्य कर सकते हैं तो उसके लिये कोई दूसरा प्रोसीजर अख्तियार किया जा सकता है। इस बात पर मैं विशेष जोर नहीं देता हूं क्योंकि इसके आगे एक इसी प्रकार का संशोधन है।

(इस समय १२ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर, उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त पीठासीन हुए।)

मैं सिर्फ इसलिये यहां यह कह देना चाहता हूं कि अभी तक जो धारणा इस सदन में प्रकट की गई है और जैसी धारणा माननीय मंत्री जी ने बना ली है और उसका जो रूप हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि विधान परिषद् में उनको उन अध्यापकों के सामने जाने का मौका हुआ होगा और उनकी बातचीत से उनको पता लग गया होगा कि सचमुच अध्यापक वर्ग इस प्रकार की कार्यवाही से कम से कम उनके प्रति कितना उदासीन है और उनको गौरव की दृष्टि से तो देखता ही नहीं है। इसलिये उनसे निवेदन करूंगा कि टीचर्स के प्रति जो उनकी भावना हो गई है उसको वह छोड़ दें जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा यह हो सकता है कि अध्यापक वर्ग इंडिसिप्लिन क्रियेट (अनुशासन-हीनता पैदा) करता है और विद्यार्थियों को स्ट्राइक (हड़ताल) के लिए उभाड़ता है और जो इंडिसिप्लिन दिखलाई पड़ता है उनके कथनानुसार उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी टीचर्स पर है। लेकिन जैसा कि बताया गया टीचर्स का इसमें दोष नहीं है बल्कि अगर देखा जाय तो जो राज्य क्रान्ति हुई है, राज्य परिवर्तन हुआ है उसका

[श्री जोरावर वर्मा]

उसमें बहुत बड़ा कारण है और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टियों के जो नेता हैं वह अपनी पार्टी पालिटिक्स की वजह से भिन्न-भिन्न टीचर्स को उभाड़ते हैं और इस प्रकार से कुछ थोड़े से टीचर्स जो पार्टीबन्दी में पड़ जाते हैं वह इस प्रकार का वातावरण पैदा कर देते हैं कि पूरे अध्यापक वर्ग के लिए वह चीज लागू हो जाती है। मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। मैं यह समझता हूं कि यह तो पुलिस आफिसर की तरह से वाइस चांसलर को शक्तियां दी गई हैं और एक इतनी अच्छी शिक्षा संस्था का सब से उच्च हेड न बना कर उसको एक तरह से पुलिस आफिसर बना दिया गया है। मैं आशा करूंगा, माननीय मंत्री जी से कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि इसके साथ में होने से जो बात है, वह अलग कर देने से भी हो जायगी और उनके खिलाफ जो कार्यवाही करना चाहें वह दूसरी तरह से कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर जी वर्मा के संशोधन का विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। महोदय, कल माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त ने इस सदन में बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि सरकार अध्यापकों को महान् सम्मान की दृष्टि से देखती है। एक महान् सम्मान की भावना है जिससे प्रेरित होकर यह सरकार हमेशा उनको देखती रहती है, उनकी समस्याओं को सुलझाती रहती है परन्तु आज हम से और आपसे यह छिपा हुआ नहीं है कि यह कह देना कि अध्यापक सब बुरे हैं या सब अच्छे हैं, मेरे ख्याल से यह दोनों बातें ही गलत हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आज भी हमारे अध्यापकों में ऐसे अध्यापक हैं जिनके प्रति हमारा मस्तक सम्मान से झुक जाता है। वह राष्ट्र के निर्माण का एक महान् कार्य कर रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके लिये सम्मान नहीं चाहता हो, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आज हमारे अध्यापकों में कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो अध्यापकों के नाम को बदनाम कर रहे हैं जो हमारी महान् संस्थाओं के महान् व्यक्तियों के नाम के लिये कलंक हैं ?

मेरी ही यह सम्मति नहीं है बल्कि मेरा ख्याल यह है कि आज जब हमारे माननीय सदस्य इलाहाबाद कमीशन, मूथम कमेटी रिपोर्ट की बार-बार चर्चा करते हैं, राधा कृष्णन कमीशन की चर्चा करते हैं तो मैं उनका ध्यान इस सम्बन्ध में जो इलाहाबाद कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है उसकी कुछ पंक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं। उनके शब्द ये हैं--

" We think it to be true that the University has a number of teachers who are apathetic and indifferent to the performance of their duties and there are some whose main concern is to look to their own interest. There has been a marked fall in the standard of teaching in the recent years and the growth of indifference and intolerance. This is not true of all the teachers. There are many who have well maintained their standard. To such teachers the University owes much."

तो मैं इसका ज्यादा उल्लेख करके सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज इन महान् संस्थाओं में, कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर हैं जिनसे महान् व्यक्तियों की बदनामी हो रही है और डेटरियोरेशन की एक भावना फैल रही है तो आखिर जब हम देखते हैं कि हमारे अध्यापकों का यह काम होना चाहिये, उनकी शक्ति इस बात में लगनी चाहिये कि हमारी भावी संतान का वे निर्माण करें, उनमें ऊंची से ऊंची ऐकेडेमीकल योग्यता पैदा करें, यदि उनकी शक्ति उनको योग्य बनाने में न लगकर इस बात में लगे कि वह छोटी मोटी गुटबन्दी पैदा करें और उसकी शक्ति बढ़ाने की

कोशिश करें, जो अध्यापक अपने काम में परिश्रम करते हैं उनका महत्व न हो, बल्कि उनका हो जो पार्टीबन्दी पैदा करते हैं, गुटबन्दी पैदा करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कैसे अध्यापक समाज के हित में होगा ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक चांसलर को जिसका किसी पार्टी बाजी से सम्बन्ध नहीं है जो कि सरकार के आदेश तक को मानने के लिये किसी भी तरह से मजबूर नहीं है तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज से कनसर्न्ड नहीं है, यदि उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप किस को अधिकार देना चाहते हैं। उन ब्लैकशीप्स को, उन व्यक्तियों को जो आज हमारी शिक्षा संस्थाओं को खराब कर रहे हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाय। अगर मेरे माननीय मित्र जिन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है अध्यापकों के हित में बोलना चाहते हैं तो मैं उनसे यह अपील करूंगा कि वे ऐसी कोई प्रणाली सजेस्ट करें जिससे ऐसे अध्यापकों को जो आज शिक्षा संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं उनको ठीक किया जा सके। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि माननीय मित्र अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी ने इस बिल में जो प्रस्ताव है उसके आधे को माना है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आधे अंग को आपने मान लिया तो आधे को क्यों छोड़े दे रहे हैं। आपने "The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer" यहां तक को मान लिया और "or teacher" को कहते हैं कि निकाल दिया जाय। यूनिवर्सिटी में आफिसर वाइस चांसलर है और उसके नीचे जितने डाक्टर्स, प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं वे लोग आफिसर समझे जाते हैं। कोई डिप्टी कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार तो वहां हैं नहीं। मैं भी एक टीचर हूं। नेपोलियन ने कहा था—"Those who will obey they can give order and those who will not obey they cannot give order." अगर हमारे टीचर लोग डिसिप्लिन मेन्टेन करने को तैयार नहीं हैं तो हमारे देश का भविष्य अन्धकार में है। अध्यापक लोग हमारे समाज के निर्माता हैं। ये शब्द प्रत्येक स्थान पर कहे जाते हैं और अध्यापक लोग इसका नारा लगाते हैं। मैं भी कहता हूं कि ठीक है, हम समाज के निर्माता हैं लेकिन अगर हमने हुक्म नहीं माना तो हमारी आने वाली सन्तान भी नहीं मानेगी। यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी का नंगा नाच हमने सड़कों पर देखा। हमारे नेताओं, चांसलर, और वाइस चांसलर के नाम पर क्या-क्या नारे लगे हैं। मैं कहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार का झगड़ा फसाद पैदा करते हैं। हमको ईमानदार और डिसिप्लिन को मेन्टेन करने वाले टीचर्स चाहिये। गवर्नमेंट ने यह गलत नहीं रखा है। हर संस्था को देखिये, चाहे सोशलिस्ट हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे जनसंघी हों, सब स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी की शरण लेते हैं, किसानों के पास नहीं जायेंगे। यह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियन्स से बता रहा हूं। मैं भी एक टीचर हूं। वहां भी मैं देखता हूं कि कोई जनसंघी विचार का है तो कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है। अगर कोई कांग्रेसी विचार रखता है तो उसके ऊपर छींटाकशी की जाती है। मैं तो कहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कड़ा कदम उठाये और प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक एजुकेशन अपने हाथ में ले और पूर्णरूप से टैक्सेशन करके चलाये। आज प्राइमरी स्कूल, इंटरमीडियेट कालेज और दूसरी जगहों के अध्यापकगण सरकार की तरफ नजर लगाये हुये हैं कि सरकार इन संस्थाओं को अपने हाथ में ले और गवर्नमेंट स्केल वहां पर लागू करे। मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वे तो डबल गेम खेलते हैं। वे वकील भी हैं और अध्यापक भी हैं। वे जरा ठंडे दिल से सोचें। हमको बहुत सोच समझ कर ऐसी सुन्दर बात कहनी

[श्री शिवनारायण]

चाहिये जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मानें। संस्कृत की कहावत है कि अगर राजा छोटा भी हो तो भी उसकी बात मान्य है। हमारे बुजुर्गों ने यह लिखा है। तो कहने का भाव यह है और मैं वर्मा जी जी से साफ कहना चाहता हूं कि आप ऐसी बात कहें जिसको मानने के लिये हमारे माननीय मंत्री जी बाध्य हो जायं। इसमें श्रेष्ठता है। यह नहीं कि ऐसी बात कह दी जाय जिसका मखौल उड़ाया जाय। बात वह है जिसको सारा समाज माने, सारा देश माने। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में डिसिप्लिन नहीं है, शिक्षा संस्थाओं में डिसिप्लिन नहीं है। हम उस्तादों को डंडे मारे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। वर्मा जी को होश नहीं रहता। अलीगढ़ में एक टीचर को छुरा मारा गया। इस गवर्नमेंट को और सारी जनता को यह पता है। हमारे अध्यापक वर्ग को हार्दिक दुःख है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर सख्त कदम उठाये। जो लोग सिर्फ गाल बजाते हैं वे उनके सच्चे हमदर्द नहीं हैं। वे उनका नुकसान चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अध्यापकों का फायदा हो। हमारे गुप्ता जी ने कहा कि हम गुरुजनों की इज्जत करते हैं। मैं भी अपने गुरुओं की इज्जत करता हूं। जब मैं मौलवी साहब के पास जाता हूं तो उनके पैर छूता हूं। गुरु का स्थान श्रेष्ठ है। गुरु द्रोणाचार्य की मिसाल हमारे सामने है। हमारे भाई इंगलैण्ड और अमेरिका की मिसाल देते हैं, लेकिन अपने तपोवन की बात नहीं करते जैसा कि टैगोर जी ने कहा था कि हमारे यहां तपोवन चाहिए। यहां तो सिनेमा, पान, सिगरेट भी चल रही है और शिक्षार्थी भी बने बैठे हैं। मैं देखता हूं कि वही नेकटाई और कालर झाड़े फिर रहे हैं। हमारे अध्यापक हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार होने चाहिये। मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि सही मानों में सही दबाव गवर्नमेंट पर डालिए जिससे अध्यापकों को अच्छा वेतन मिले। उनके बालबच्चे भलीभांति रह सकें। यह नहीं कि यह सरकार भी नाराज हो जाय और भले के बजाय बुरा हो जाय। जो सारी यूनिवर्सिटी के अध्यापक बन्धु हैं उनके लिये अच्छी बेजेज का, उनके पढ़ने लिखने का सुभीता चाहिए। उनको अच्छी पुस्तकें दें। और उनको वाकई डिसिप्लिन के अन्दर रहना चाहिए। जो प्रोफेसर वाइस चांसलर को ओबे न करे वह यूनिवर्सिटी छोड़ कर बाहर जाय और जो रहना चाहे उसको हर सुभीता देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस लें।

*श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर वर्मा जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सौभाग्यवश मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छः साल विद्यार्थी रहा और इस समय भी वहां की एक कोर्ट का सदस्य हूं। इसलिए मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के अनुशासन के बारे में जितनी बातें हैं उनका जाती इल्म है। इसलिये यह जोरावर जी को बता देना चाहता हूं कि यदि वाइस चांसलर का हाथ अध्यापकों के अनुशासन के ऊपर न रखा जायगा तो वहां क्या बात पैदा हो सकती है। मुझे यह मालूम है कि अध्यापकों में नाना प्रकार की गुटबन्दी पैदा होती है। खास कर लखनऊ यूनिवर्सिटी की दशा देखता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। हर अध्यापक कोई सोशलिस्ट बनता है कोई जनसंघी बनता है। ज्यादातर कांग्रेस विरोधी विचार के अध्यापक वहां पैदा होते हैं। और वह विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते हैं कि वह कांग्रेस के खिलाफ कार्यवाही करें। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि वे कांग्रेस के विरोधी हैं। लेकिन मुझे सब से बड़ा अफसोस इस बात का है कि वे उनमें ऐसी भावनाएं पैदा करते हैं कि वे हर दम स्ट्राइक के बारे में सोचा करते हैं। हरदम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाना प्रकार की गलत बातें सोचा करते हैं। इस समय वहां दिन दहाड़े हड़तालें हुआ करती हैं। हड़तालों के होने से हमारी पढ़ाई में बाधायें पड़ती हैं। ऐसी सूरत में अगर टीचर्स के ऊपर हम डिसिप्लिन के लिये ज़ोर नहीं देते तो फिर बड़ी दिक्कत पड़ेगी। यूनिवर्सिटी को आप छोड़ दें, किसी एक छोटी सी संस्था को ले लीजिये तो आपको ज्ञात होगा कि टीचर्स के ही द्वारा हमारा चाल चलन बनता है, हमारे भविष्य के निर्माता जो हैं वे टीचर्स ही हैं। इसलिये अगर अध्यापकों में अनुशासन नहीं रहता है तो जो आगे आने वाला समाज है उसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है। इसलिये वर्मा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि गुप्त जी ने जो यहां अनुशासन के बारे में चीज बतलाई है वह ग़लत नहीं बतलाई है। उनको भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में काफी जाती इल्म है। वे उसके आनरेरी ट्रेजरर रहे हैं। इसलिये जितना उनको अनुभव हो सकता है उतना किसी बाहर के सदस्यों को नहीं हो सकता। इसलिये मैं वर्मा जी के संशोधन का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विरोध में जो लोग बोले मैं क्या बतलाऊं उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि बेचारे तीन-तीन साल कोशिश करने पर यूनिवर्सिटी से डिग्री न प्राप्त कर सके, इसलिये सचमुच में उन्हें विरोध तो करना ही चाहिये क्योंकि दूसरा उनके पास चारा ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा---महोदय, मैंने नाम किसी का नहीं लिया। कुछ लोग यूनिवर्सिटी टीचर्स से नाराज़ हैं इसलिये उन्होंने विरोध किया। वे चाहते हैं कि उनको डिग्री ऐसे ही बिना पढ़े-लिखे मिल जाय। इसलिये जबरदस्ती वे इनडिसिप्लिन का चार्ज उन पर लादना चाहते हैं। इनडिसिप्लिन जो क्रियेट हुआ है अगर एक दम से आप वाइस-चांसलर को पावर दे दें आई० जी० या सब-इन्स्पेक्टर आफ पुलिस की तरह तो इनडिसिप्लिन दूर नहीं हो जायेगा। यहां नेपोलियन बोनापार्ट का भी जिक्र किया गया जो अपनी डचूटी-पथ से खुद पदच्युत हो गया था। क्या आप हमें उसी लाइन पर ले जाना चाहते हैं? जो डेमोक्रेसी के लिये लड़ा लेकिन खुद ही एम्परर बन बैठा! क्या आप भी यही चाहते हैं? लेकिन वह जमाना चला गया, ऐसा अब नहीं हो सकता। डिसिप्लिन डंडों के बल से नहीं आ सकता, डिसिप्लिन अन्दर से आता है, आत्म संयम द्वारा। बुद्धिमानों को डंडों की जरूरत नहीं होती है उनमें अक्ल ही से डिसिप्लिन लाया जा सकता है। यह चन्दन वन है जिसमें रगड़ लग कर आग पैदा हो सकती है और सारा समाज भस्म हो सकता है। मैंने पहले ही बतला दिया कि यह जो इन डिसिप्लिन चल रहा है इसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जहां तक पार्टीबन्दी की बात कही गई जो उधर के माननीय सदस्य बोले उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। कहा गया कि अध्यापकों में कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस मैन हैं। यह उनकी प्राइवेट लाइफ है। इसके लिये हर एक को स्वतन्त्रता है कि उसकी क्या विचारधारा है। अगर कोई भी आदमी यह चाहे कि सब अध्यापक कांग्रेस का ही प्रचार करें तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी बुद्धिमान आदमी विचारों से डिफर कर सकता है। यह नहीं हो सकता कि जैसा वाइस-चांसलर या शासक चाहे वैसा ही वातावरण वहां का हो। हमारे माननीय शिवनारायण जी इस बन्धन को स्वीकार कर सकते हैं, वह इसका प्रतिपादन कर सकते हैं, कोई समझदार आदमी ऐसी बातों का प्रतिपादन नहीं कर सकता।

[श्री जोरावर वर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं लेकिन छोटा आदमी होने के नाते राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट की दो लाइनें आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं जो प्रथम खंड के ३८१ पेज पर दिया हुआ है :

"The political turmoil through which the country passed recently has also contributed its own share to the growing indiscipline which it doubtless will take some time to eradicate."

इसके बाद जो इसमें पेज ३८० पर लिखा है उसको भी मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं।

"This disorder was the work of anti-social and violent elements, and neither the University nor students could be held responsible."

इसलिये कोई विद्यार्थी या टीचर जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी बहुत जिम्मेदारी राजनैतिक नेताओं पर है। मैं ऐसे अध्यापकों के नाम भी बतला सकता हूं कि जो विद्यार्थियों के आर्गनाइजेशन में काम करते थे लेकिन बाद को उनको टीचर बना दिया गया क्योंकि उन्होंने संगठन का अच्छा काम किया था। उनको परमानेंट भी कर दिया गया है। सरकार तो अपना मकसद पूरा करना चाहती है इस वजह से वह इस तरह से काम करती है जिससे उनका अपना स्वार्थ भी सिद्ध हो जाय। इसलिये जहां तक समाजवाद का सिद्धान्त है उसको देखते हुये मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की धारा इसमें रखी गयी है वह उचित नहीं है। माननीय गुप्ता जी से कल कहा था कि उन गुरुओं के प्रति, जिनके चरणों में बैठ कर कम से कम इतना ज्ञान प्राप्त किया है और इस पद तक पहुंचे हैं उन पर इतना बन्धन न लगाया जाय। इतना बन्धन लगाना उचित नहीं कहा जा सकता है। यह अनावश्यक है और उनके लिये अपमानजनक है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें और इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

†अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी की आज्ञा से दो शब्द इस संशोधन के सम्बन्ध में, जो माननीय जोरावर वर्मा जी ने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है, निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वर्मा जी कल या परसों से इस बात का सदन में आग्रह करते रहे हैं कि विश्वविद्यालय का जो उपकुलपति हो वह अमुक प्रकार का व्यक्ति होना चाहिये। वह योग्य होना चाहिये और प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि जब वह विश्वविद्यालय के उपकुलपति को इस प्रकार का रखना चाहते हैं तो वह इस प्रकार के संशोधन को सदन के विचारार्थ उपस्थित करके क्यों उसके प्रति शक की भावना रखते हैं? आखिर विश्वविद्यालय तो एक कुल होता है। उसमें क्या विद्यार्थी और क्या अध्यापक और क्या और अन्य सेवक। सभी का बराबर का हिस्सा रहता है। सभी विश्वविद्यालय की ख्याति और उसके कार्य को सम्पादन करने के लिये सहायक और सहयोगी का कार्य करते हैं। यदि कुल का कोई व्यक्ति जो विद्यार्थी हो या कोई और भी सेवक हो, उसको उपकुलपति को सजा देने का अधिकार हो और जो अध्यापक जो उसी कुल का व्यक्ति होता है उसको उपकुलपति को सजा देने का अधिकार न रहे, या अनुशासन रखने के लिये अधिकार प्राप्त न रहे तो मुझे यह अचम्भे और ताज्जुब वाली बात लगती है। अगर वर्मा जी यह बात मानते हैं कि उपकुलपति को अपने कुल की मर्यादा रखने के लिये अनुशासन का अधिकार रहना चाहिये तो इस अनुशासन के अधिकार को उसके पास रहना जरूरी है ताकि उपकुलपति विद्यार्थियों पर अनुशासन

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कार्यवाही कर सके और विश्वविद्यालय के अन्दर अन्य कर्मचारियों और सेवकों के प्रति वह कार्यवाही कर सके। और अपने अध्यापकों के प्रति अनुशासन की कार्यवाही न कर सके तो मुझे यह बात जो इस सदन में वर्मा जी ने कही कोई सामन्जस्य पैदा करने वाली प्रतीत नहीं होती है। अगर हम अच्छे और योग्य वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं और उसे उपकुलपति का आदर प्रदान करते हैं तो हमारा यह भी कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे अनुशासन के पूरे अधिकार दें। वही रोजमर्रा के कार्य का संचालन करता है। इस विधेयक से उसे कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जा रहा है जो आवश्यकता से परे हो। हमारे देश में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय नालन्दा और तक्षशिला हुये और उनके उपकुलपति अनुशासन रखते थे और उन सारे व्यक्तियों का आदर भी प्राप्त करते थे और उन्हीं के द्वारा कुल के रूप में विश्वविद्यालय चलाया जाता था। तो आज उस कुल में दो प्रकार के अनुशासन रखने के अधिकार विभिन्न संस्थाओं के व्यक्तियों को प्रदान करना मेरी समझ में नहीं आता।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें अध्यापकों के लिये खास तौर पर लिहाज भी रखा गया है कि यदि उपकुलपति यह महसूस करें कि किसी व्यक्ति को उसे अधिक सजा देनी है या अधिक सजा देने की सिफ़ारिश करनी है तो वह ऐसे विशेष कार्य में दो व्यक्तियों की सलाह भी ले सकता है अपनी जानकारी और सुभीता के लिये और साथ में अपने निर्णय में सहायता प्राप्त करने के लिये, और उन दो व्यक्तियों में कम से कम एक तो हाई कोर्ट का जज होने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा उपकुलपति कोई अन्याय की बात क्यों करेगा। मैं २५–३० वर्षों के तजुर्बे से यह कह सकता हूं कि इस प्रकार के मौके विश्वविद्यालय में बहुत कम उठा करते हैं। मैं कह सकता हूं कि किसी अध्यापक के प्रति कोई कार्यवाही करने के मौके केवल दो ही दफा उठे और दोनों बार उपकुलपति ने स्वयं हाई कोर्ट के जज की मदद लेकर, उनसे वाक़िआत की इन्क्वायरी कराके, अपनी सिफ़ारिशें कार्यकारिणी के सामने रखीं और हाई कोर्ट के जज की मदद से जो सिफ़ारिशें आईं उन पर विचार करके कार्यकारिणी ने कुछ निर्णय कर लिये। तो मैं नहीं जानता कि यहां गुरुजन की बात उठा कर और अनुशासन से उसे जोड़ कर क्यों आज हम अपनी उस नीति का मखौल उड़ाना चाहते हैं जो हमें विश्वविद्यालय के अनुशासन में बर्तनी चाहिये, और जो सदा अपने विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास में बर्ती गई है। मैं वर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज वह अनुशासन के विषय को दो टुकड़ों में विभाजित न करें, यानी एक तो यह कि वाइस चांसलर या उपकुलपति किन्हीं कर्मचारियों के प्रति अनुशासन की कार्यवाही कर सके और कुछ अध्यापकों के सम्बन्ध में वह कार्यवाही न कर सके। इस प्रकार की विचारधारा हमारे बीच में उपकुलपति के लिये अविश्वास प्रकट करती है और उस अविश्वास के लिये हमारे बीच में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसे मौके अनुशासन के बहुत कम उठेंगे, परन्तु एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिससे थोड़ा बहुत अनुशासन के विषय में सरकार के विभागों में कार्य करने की प्रणाली को देखा है, मैं यह कह सकता हूं कि अनुशासन मतों यानी वोटों के द्वारा नहीं रखा जा सकता है। यह तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार देकर ठीक तरह से रक्खा जा सकता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि यह जो मौजूदा विधेयक में रक्खा गया है उसका विरोध न किया जाय और इसलिये मैं चाहूंगा कि वर्मा जी अपने संशोधन को सदन के विचारार्थ उपस्थित न करें और उसे वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (5) की पंक्ति २ में से शब्द "or teacher" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड १० में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (5) के भाग (*b*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

" (*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid, he shall hold an enquiry jointly with two other persons appointed in the manner to be prescribed in the statutes, one of whom is or has been Judge of a High Court. "

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने इसको इस रूप में रक्खा था—

" (*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid he shall associate with himself two persons one of whom is or has been a Judge of a High Court and the other is a person co-opted by them"

इसमें अन्तर केवल इतना आ गया है कि पहले प्रवर समिति की सिपारिश यह थी कि एक जज के अतिरिक्त एक दूसरा व्यक्ति हो, जिसको वाइस चांसलर कोआप्ट करेगा लेकिन इसमें यह हो जायगा कि जो नियम बनेंगे उनमें ऐसा नियम रख दिया जायगा। मैं समझता हूं कि मैं जो संशोधन रख रहा हूं वह ज्यादा उचित है और ज्यादा ठीक है।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—मुझे यह स्वीकार है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामनरेश जी शुक्ल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उस संशोधन में प्रस्तावित भाग (*b*) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय—

" Provided that if the enquiry is to be held against a teacher it shall be solely conducted by three persons elected by the Academic Council in the manner prescribed in the statutes, and the report shall be submitted to the Executive Council through the Vice-Chancellor."

श्री रामनरेश शुक्ल—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मेरे मित्र ने जो मेरे संशोधन में संशोधन का नाम रख कर संशोधन रक्खा है वह संशोधन नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह केवल एक रास्ता निकाला गया है, इस नये संशोधन को रखने का। यह मेरे संशोधन से बिलकुल भी मेल नहीं खाता है, उससे बिलकुल मुख्तलिफ मालूम पड़ता है। अतः इसकी आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिलकुल सही है और उसके रक्खे जाने की स्वीकृति मिलनी चाहिये, वह आउट आफ आर्डर नहीं है। जिस प्रकार माननीय शुक्ल जी को संशोधन पेश करने का पूरा अधिकार है उसी प्रकार से माननीय तेजप्रताप सिंह जी को भी पूरा अधिकार है कि वे उनके संशोधन पर संशोधन प्रस्तुत करें, यह तो कामन सैंस की चीज है। इसको किसी प्रकार से भी रोका नहीं जाना चाहिये। वे उनके संशोधन में एक प्राविजो जोड़ना चाहते हैं, पुराने खंड में नहीं बल्कि आपके संशोधन में प्राविजो जोड़ना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपका संशोधन ठीक है।

श्री तेजप्रताप सिंह—धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पहला संशोधन ५ का बी था वह ऐसा था—

" is such as may call for a punishment as aforesaid, he shall associate with himself two persons, one of whom is or has been a Judge of a High Court and the other is a person co-opted by them."

और श्री रामनरेश शुक्ल जी ने जो अपना संशोधन पेश किया है उसके द्वारा हाई-कोर्ट का एक जज तो होगा उसमें, लेकिन बाकी दूसरा कौन होगा, वह अंधकार में डाल दिया है। मैं समझता हूं कि जो पहला संशोधन था वही इससे बेटर था। कम से कम एक जज और वाइस चांसलर मिल कर तीसरे को कोआप्ट करते तो यह एक निश्चित बात थी। अब अन्धकार है। आगे आने वाला जो संशोधन है उसमें.....।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि यह जो संशोधन माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें यह संशोधन नहीं कहा जा सकता है। यह एक स्वतंत्र प्राविजो है। वे चाहते हैं कि इस संशोधन के बाद यह ऐड कर दिया जय। इसलिये यह संशोधन पर संशोधन नहीं कहा जा सकता है। यह तो स्वतंत्ररूप से हो सकता है और उनके संशोधन पर मत लेने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---दोनों हालतों में इस प्राविजो पर सदन को विचार करने का अवसर मिलेगा ही। मैं इस पर अपनी राय दे चुका हूं और मैं उसे बदलने के लिये तैयार नहीं हूं।

*श्री तेजप्रताप सिंह---मैं यह कह रहा था कि पिछली व्यवस्था जो थी वह कम से कम स्पष्ट तो थी कि तीसरा आदमी कौन होगा। परन्तु अब तो माननीय शुक्ल जी यह चाहते हैं कि तीसरा आदमी अन्धकार में रहे। स्टेच्यूट आता रहेगा, मैं इसका संबंध उससे जोड़ता हूं जो आगे आने वाला अमेंडमेंट है। उसमें यह कहा गया है कि एक इनक्वायरी कमेटी की जो मेजारिटी होगी, वह रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास जायगी। तो मेजारिटी वाला प्रश्न उपस्थित होना चाहिये। जज और वाइस चांसलर के द्वारा तीसरा आदमी कोआप्ट करें जो दोनों की राय से होगा, तो बड़ी डिफिकल्टी होगी। उससे तो वही प्राविजन रहता तो ज्यादा अच्छा था। माननीय शुक्ल जी का संशोधन तो अत्यन्त सन्देहजनक है और इसी-लिये मैंने इसमें एक प्राविजो जोड़ने की व्यवस्था रखी है कि जहां टीचर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जायगा वहां पर हमको एकेडेमिक कौंसिल से तीन आदमी एलेक्ट करवा लेना चाहिये और उनके सामने डिसिप्लिन का प्रश्न उपस्थित करना चाहिये। मैं बड़ी नम्रता से सदन से यह कहना चाहता हूं कि जब टीचर्स की डिसिप्लिन का कोई प्रश्न उपस्थित हो तो सिद्धांन्तः हमको टीचर्स के ऊपर ही यह बात छोड़नी चाहिये। कोई टीचर अगर इनडिसिप्लिन क्रियेट करता है या कोई चीज ऐसी आती है तो हमको टीचर्स पर ही भरोसा रखना चाहिये और उनकी जो बड़ी बाडी हो उसी के सामने यह प्रश्न उपस्थित करना चाहिये। आप देखें कि बार एसोसियेशन के किसी एडवोकेट या वकील के कंडक्ट की कोई बात आती है तो उसका प्रश्न बार कौंसिल के सामने ही आता है और वही अपना एक ट्रिब्यूनल बना कर इस बात को तय करते हैं कि जो इंडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट हो रहा है या हुआ है उसको कैसे दुरुस्त करें। यह एक सिद्धांत की बात है कि हम बाहर से उनके ऊपर डिसिप्लिन लाद नहीं सकते हैं और इसका नतीजा बहुत खराब है, इससे टीचर्स में काफी परेशानी पैदा होगी और वह अपना काम ठीक से नहीं चला सकेंगे, वह भय में रहेंगे, और मैं समझता हूं कि यह उपधारा (५) जो वाइसचांसलर की ताकत बढ़ाने वाली है, बहुत ही खेदजनक और असंतोषजनक भी है, इसलिये लोगों में आम धारणा है कि यह एक पोलिटिकल मेजर है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पार्टी पालिटिक्स न घुसें और उसकी व्यवस्था हम करना चाहते हैं और उसका उपयोग हम डिसिप्लिन के द्वारा करना चाहते हैं। कोई क्या चाहता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक धारणा होती है कि आखिर एक व्यवस्था जब पहले से मौजूद थी तो एक नये कड़े रूप में नई व्यवस्था क्यों लाई जा रही है? इस तरह से जो संदेह है वह वाजिब हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

जाता है कि यह एक पोलिटिकल मेजर है। अगर किसी टीचर की एक राजनैतिक विचारधारा है और उसका उसमें विश्वास है तो उसको स्वतंत्रता है कि वह विचार रखे। अब सवाल यह होता है कि वह जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वह अपनी ड्यूटीज और फंक्शन्स को पूरा करता है या नहीं? अगर वह अच्छी तरह से अपने क्लासेज को लेता है और वहां के विद्यार्थियों के प्रति जो उसके कर्त्तव्य हैं उनको पूरा करता है, तो हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिये कि वह किस विचारधारा का है। टीचर्स अपने कोई भी विचार रख सकते हैं लेकिन यदि वह अपने कर्त्तव्यों को पूरी तरह से अदा करते हैं, तो हमें कोई भेद नहीं मानना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि अगर किसी की कोई खास पालिटिक्स रही हो तो उसे डिसिप्लिन के द्वारा हटा दें। मूथम कमेटी की तो राय है कि टीचर्स पर ही उनके डिसिप्लिन के मामले छोड़ देने चाहिये। यहां बार-बार कहा जाता है कि हमारा इन कमेटियों की रिपोर्टस पर विश्वास है और राधाकृष्णन कमेटी पर ही हमारा बिल आधारित है, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में उनकी राय नहीं मानी जाती है? इस तरह से जबरदस्ती अपने ढंग पर डिसिप्लिन लाने की बात की जाती है। यदि ऐसा विचार आप का है तो निश्चय है कि आप वह रिजल्ट्स नहीं ला सकते जिनकी हम आशा करते हैं। राधाकृष्णन ने कहा है कि टीचर्स के लिये एक लिखित कंट्रेक्ट हो और उसमें सब शर्तें लिखी हों। यदि उन शर्तों को टीचर्स पूरा न करें तो झगड़ा हो सकता है और उनको निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा पहला ऐक्ट है उस में भी सेक्शन ४४ मौजूद है कि जब कभी भी टीचर्स और यूनिवर्सिटी अथारिटीज का झगड़ा हो तो आर्बिट्रेशन द्वारा ट्रिब्यूनल बैठाया जा सकता है। उस में टीचर्स का प्रतिनिधि भी होगा, यूनिवर्सिटी का भी आदमी होगा और तीसरा अम्पायर होगा। उसके अनुसार अगर वह कमेटी तय कर देगी कि फलां टीचर्स ने अपनी कंडीशन्स को या फंक्शन्स को पूरा नहीं किया है तो उस को निकाला जा सकता है। इस की उस में बहुत साफ व्यवस्था पहले से है, उससे टीचर्स के हक भी कायम रहते हैं और यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन को कायम रखने का भी रास्ता मौजूद है। तो अगर हम अब यह तमाम पावर्स वाइस चांसलर ही में केंद्रित करते हैं और उसकी नियुक्ति ही जब चांसलर द्वारा होगी, और जैसा कि मैंने जनरल डिसकशन के समय कहा था कि जब वही उस का एप्वाइन्टमेंट करेगा, तो सारी चीज हमारे सामने एक पोलिटिकल मेजर की तरह आ जाती है और उसका इस तरह के प्रयोग का डर साफ है। तो हमें विचार करना चाहिये कि हम नये रूप में डिसिप्लिन क्रिएट करने की यह धारा यहां रखें या न रखें।

मैं समझता हूं इसका परिणाम भी देख लेना चाहिये कि टीचर्स स्वतंत्र वातावरण में विद्यार्थियों को निकालें। और केवल पढ़ाना ही उनका काम नहीं है बल्कि चरित्र-निर्माण भी उनका काम है, वे विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर ही उनके चरित्र का निर्माण करेंगे। अब उनको एक बड़े भारी डर में रखा जाय तो वे उस कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकेंगे। उन्हें पूरी आजादी होनी चाहिये और तभी हमारे टीचर्स अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। बिना टीचर्स के कोआपरेशन के हम यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ा सकते और न डिसिप्लिन मेंनटेन कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी आई जिससे गवर्नमेंट की नीति यह प्रकट होती थी कि जब भी कोई टीचर किसी स्ट्राइक को सिम्पैथेटिकली देखता है तो उसको बहुत जल्द यह मान लेते हैं कि फलां टीचर इनडिसिप्लिन क्रियेट करा रहा है। जरा यह सोचिये कि यह प्रश्न सिर्फ आपके लिये नहीं है बल्कि इसमें हर एक की दिलचस्पी है जो सिटीजन हैं, लेकिन उसको ठंडे दिल से सोचना चाहिये। अगर किसी टीचर का स्टैंड सिम्पैथेटिक है और वह इस माने में कि वह उसको रफा दफा कराना चाहता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह इनडिसिप्लिन क्रियेट करा रहा है? वह एक दूसरी आइडियालोजी को बिलांग करता है यह तो ठीक है, लेकिन वह इंडिसिप्लिन क्रियेट करा रहा है यह बिलकुल गलत है, और उसके खिलाफ ऐक्शन लेना कितना अनुचित होगा। इससे जो स्वतंत्र वातावरण यूनिवर्सिटयों का रहना चाहिये वह रह नहीं सकता। फिर इसमें वह भी वेग (अस्पष्ट) है कि कौन सी ऐक्टीविटीज का रेकर्ड रखा जायगा। इस चीज को आप को देखना चाहिये कि वेग

चीज न रहे। जब चीज वेग रह जायगी कि ऐक्टीविटीज का रेकर्ड मेनटेन होगा, तो लोगों को यह भ्रम होगा कि कहीं पोलिटिकल मेजर्स के रूप में इसका प्रयोग तो नहीं किया जायगा ? इसीलिये मैंने यह रखा है कि इसको उन्हीं की राय पर छोड़ देना चाहिये। जो तीन ऐकेडेमिक कौंसिल के आदमी होंगे वह अपनी रिपोर्ट भेज देंगे जिसमें वाइस चांसलर के भी नामिनी होंगे, उनका जो फैसला होगा वह मान्य होगा, लेकिन जो आपने रखा है वह तो अनुचित होगा क्योंकि उससे एक अविश्वास की भावना पैदा होने का भय है और इससे काम नहीं चल सकता है। टीचर्स एक्जीक्यूटिव कौंसिल में हैं, उनको वहां तमाम ड्यूटीज अदा करनी हैं। अगर कोई डिफर करता है, अगर उनका डिफरेंस आफ ओपीनियन है, उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर होने के नाते किसी चांसलर के नामिनी का क्या हाल हो सकता है ? उससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है वह अपनी राय साफ-साफ नहीं दे सकता है क्योंकि डिसिप्लिन की धारा जो पास होने जा रही है, वह लागू होगी तो वह अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर सकता। इसे भी सोचना चाहिये और अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से दबाये हुये रखें तो फिर यह विश्वविद्यालय कदापि प्रकाश मंदिर नहीं बन सकते। एक मरसीनरी फोर्स तैयार कर दें, तो उनको जो आगे बढ़ाने का हमारा एम है वह पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं तो कम से कम जोर दूंगा कि टीचर्स की डिसिप्लिन के बारे में कम से कम मेरा यह प्राविजो अवश्य माना जाय। ऐसा करने से हम टीचर्स का पूरा सहयोग भी मिलेगा और डिसिप्लिन का काम भी पूरा हो सकेगा।

*श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन पर बोलने की हिम्मत इसलिये कर रहा हूं कि मेरा विश्वास है कि यदि वह इस बात को सही तरीके पर समझ लें तो संभवतः इतने रीजनेबिल जरूर हो जायेंगे कि अपना संशोधन वापस ले लें।

मेरा खयाल है कि उनका संशोधन बात को ज्यादा दूर नहीं ले जाता है और जो माननीय रामनरेश शुक्ल का संशोधन है उसके होने के बाद अगर उनका प्राविजो न भी हो तो वह बात करीब-करीब उसी तरह से हो जायगी। बजुज इसके कि वाइस चांसलर उस कमेटी में जरूर होगा जिसको डिसिप्लिन के बारे में कोई फैसला करना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात जो कि मूल बिल में दी थी उसमें यह था कि वाइस चांसलर खुद दो आदमियों को एसोसियेट करेगा जिसमें एक बंधन था कि एक कोई भी हो लेकिन दूसरा व्यक्ति हाईकोर्ट का जज होगा लेकिन रामनरेश जी शुक्ल के संशोधन के बाद उसकी शक्ल इस प्रकार हो गई है जिसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं।

" (*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid, he shall hold an enquiry jointly with two other persons, appointed in the manner to be prescribed in the statutes, one of whom is or has been Judge of a High Court."

तो इन तीन आदमियों में वाइस चांसलर जरूर होगा और जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने बताया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी अथारिटी होगा जो कि यूनिवर्सिटी की तमाम बातों को देखेगा। उस व्यक्ति पर अगर इतना विश्वास नहीं करते कि जो डिसिप्लिन संबंधी कमेटी किसी टीचर या किसी और अफसर के बारे में विचार करने के लिये बैठे उसमें यह भी हो, तो मैं समझता हूं कि उस वाइस चांसलर पर आपको किसी प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहिये। इसलिये उस कमेटी में उसका होना तो बिलकुल मुनासिब है। इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति और होने चाहिये और उसके लिये स्टैट्यूट में निर्धारित किया जायगा कि उनकी किस तरह से नियुक्ति की जायगी। एकेडेमिक कौंसिल के आदमी भी हो सकते हैं या वह चुन कर भेज सकती है दो आदमियों को। इसमें यह कहा गया है कि उन तीन आदमियों में से एक वाइस चांसलर होगा और बाकी दो व्यक्तियों में से एक हाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

कोर्ट का जज होगा और एक कोई और जिनको स्टैट्यूट में प्रोवाइड किया जायगा। हमने उस कमेटी का स्टैंडर्ड ऊंचा करने की कोशिश की है जिससे उनको अधिकार न होगा कि वे किन्हीं भी दो व्यक्तियों को ले लें। हाईकोर्ट का एक जज होगा यह रख कर हमने उसमें से पार्टीबन्दी की बात तो निकाल दी, क्योंकि हाईकोर्ट का जज पार्टीबन्दी से परे होगा। यह बात भी कमेटी के स्तर को ऊंचा उठाती है। तेजप्रताप सिंह जी का संशोधन कमेटी के स्तर को ऊंचा नहीं करता है और उसके मुकाबिले में राम नरेश जी का संशोधन अधिक अच्छा है। तेजप्रताप सिंह जी जहां कहते हैं कि एकेडेमिक कौंसिल के ही तीन आदमी उस कमेटी में हों, वहां उसके मुकाबिले राम नरेश जी का संशोधन उसमें एक वाइस चांसलर, एक हाई कोर्ट का जज और एक तीसरा व्यक्ति रखने की बात कहता है जो पहले के बनिस्बत ज्यादा इंप्रूव्ड है और इसलिये मैं समझता हूं कि तेज प्रताप जी को अपना सशोधन ज्यादा प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है और इन शब्दों के साथ मैं माननीय माननीय राम नरेश जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री तेज प्रताप सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे माननीय गुप्ता जी ने यह फरमाया था कि दो प्रकार के न्याय की व्यवस्था मैं कायम कर रहा हूं जो मेरा संशोधन था, उसके जरिये। उन्होंने यह बताया कि तीन दिन से मैं वाइस चांसलर के विषय में संशोधन रख रहा हूं कि किस तरह का होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरा एक भी संशोधन स्वीकार कर लेते जो मैंने रखे थे, तो शायद इसको रखने की आवश्यकता न होती। मगर चूंकि उन्होंने कोई संशोधन माना ही नहीं इसलिये मैं मजबूर हो गया कि आगे भी कोशिश की जाय और यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जो गुलामी की शृंखलाओं में बांधने का प्रयत्न किया जा रहा है उसको कम से कम किया जाय। उन्होंने यह भी कहा था कि दो प्रकार के न्याय की व्यवस्था क्यों की जा रही है। सिर्फ इसलिये की जा रही है कि यहां भी गवर्नमेंट सरवेंट जब कोई गलती करता है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। जब वहां सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब दूसरे प्रकार की इंक्वायरी की जाती है। इसी प्रकार की व्यवस्था श्री तेज प्रताप सिंह जी ने रखी है कि डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में कोई ऐक्शन कार्यवाही लेते समय इस प्रकार की कोई पोलिटिकल मेजर कमेटी होनी नहीं चाहिये। और जैसा अभी मेरा संशोधन नहीं माना तो उसके लिये यह किया जा रहा है कि अगर टीचर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन की कमेटी बैठाई जाय तो उसके तीन सदस्य ऐकेडेमिक कौंसिल के नियुक्त किये हुये हों। यह सिद्ध है कि हमारी सरकार युनिवर्सिटी में अपना शासन जमाने के लिये इतनी उत्सुक है तो ऐकडेमिक कौंसिल में भी उनके ही लोग होंगे। तो हम तो सरकार को इस आक्षेप से बचाना चाहते हैं कि बजाय इसके कि डाइरेक्ट वाइस-चांसलर जो है, वह ऐक्शन ले, ऐकेडेमिक काउन्सिल की एक सब कमेटी बना दी जाय। वह शीघ्र ऐक्शन ले। क्योंकि टीचर्स की कमेटी है, वही टीचर्स के खिलाफ ऐक्शन ले तो ठीक है और जो श्री रामनरेश जी शुक्ल का संशोधन है उससे तो साफ जाहिर होता है कि पोलिटिकल पार्टीज की वजह से उनकी स्वतंत्रता का हनन होगा। मैं समझता हूं कि यह टीचर्स की मान मर्यादा के प्रतिकूल है और जो संशोधन है उनका अगर उसमें प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो निश्चित है कि टीचर्स वहां शिक्षा का कार्य नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि वे पोलिटिकल पार्टी, जिसका शासन हो, मुझे यह भी कहना है कि मेरा मतलब इसी गवर्नमेंट के लिये नहीं क्योंकि यह नियम बन रहा है हमेशा के लिये। सरकार तो आती जाती रहती है, उसको ही खुश करने में लगे रहें। तो इसलिये हम चाहते हैं कि कोई सरकारी पक्ष ऐसा न हो कि इनको अपना पोलिटिकल मेजर बना लें और टीचर्स बजाय शिक्षा देने के जो गवर्नमेंट का थ्योरी सिद्धांत है उसको वह प्रोपेगेट प्रचार करें। इसलिये हम यह संशोधन रखना चाहते हैं कि टीचर्स को वास्तव में स्वतंत्रता होना चाहिये।

माननीय गुप्ता जी ने जिन टीचर्स के कदमों में रह कर इस पद को प्राप्त किया है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि यह उनके गुरुओं की प्रतिष्ठा के लिये

हमने प्रोवीजन रखा है कि कम से कम इस प्रोवीजन को रखिये और अपने गुरुओं की आबरू इज्जत रखिये। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)——उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——अभी बोलने वाले हैं।

*समय——१ बजकर १५ मिनट।

श्री रामनरेश शुक्ल——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उन शब्दों को सुनकर बड़ी तकलीफ हुई जिन शब्दों में मेरे मित्रों ने संशोधन रखा और संशोधन के बाद जिन शब्दों में उनके संशोधन का समर्थन किया। यह कहना माननीय जोरावर वर्मा जी को शोभा दे सकता है और मैं समझता हूं कि यह वही कह सकते हैं और शायद दूसरा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि उन्हें हमारे तरीकों का बहुत कम अनुभव है। जो हमारे तरीकों को समझने का प्रयत्न नहीं करेगा वह जरूर इसको कहने के लिये उत्सुक हो जायगा कि मौजूदा विधेयक से गुलामी की शृङ्खला में विश्वविद्यालय को बांधा जा रहा है। मैं तो आपके द्वारा केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक कि संशोधन का संबंध है और सम्पूर्ण विधेयक का संबंध है, यह उन तमाम जंजीरों को तोड़ने का प्रयत्न है जिसको कि गैरजिम्मेदार व्यक्ति चाहे बाहर हों युनिवर्सिटी के चाहे अन्दर हो, बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी शृङ्खला को तोड़ना किसी भी जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य हो जाता है। मैंने माननीय तेजप्रताप सिंह जी के पूरे संशोधन को बड़े ध्यान से सुना। मैं अब भी नहीं समझ पाया कि उनके संशोधन का और मेरे संशोधन का क्या जोड़ हो सकता है? माननीय नारायणदत्त जी को शायद उसमें कुछ वैधानिक असामंजस्य दिखायी पड़ता हो लेकिन मैं तो उसमें यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उसका क्या अर्थ हो सकता है ? मेरा संशोधन अगर पूरब जा रहा है तो उनका ठीक पश्चिम जा रहा है।

एक सदस्य——यह तो समझ का फेर है।

श्री रामनरेश शुक्ल——समझ तो आप ही ने सब खरीद ली है।

तो उपाध्यक्ष महोदय जिस संशोधन को मैं लाया हूं, उसमें एक सुन्दर व्यवस्था है कि वाइसचांसलर रहे और फिर बाद में नियमों के अनुसार दो और सदस्य नियुक्त किये जायेंगे। जैसा कि मेरे मित्र हरिश्चन्द्र जी ने कहा कि जिस कमेटी के अन्दर एक हाई कोर्ट का जज हो, जिस कमेटी के अन्दर कुलपति हो, माननीय गुप्ता जी ने जैसा कहा, कुलपति का अर्थ क्या होता है, माननीय जोरावर वर्मा इसको समझें और डिक्शनरी देखने का प्रयत्न करें, विश्वविद्यालय का जो समाज है उसका वह उपकुलपति होगा। वह अगर जज के सामने बैठकर निर्णय नहीं कर सकता है तीसरे व्यक्ति के साथ तो फिर एकेडेमिक कौंसिल के अन्दर क्या वही चुनावबाजी शुरू हो जाय ? जैसे आज देखा जाता है कि जरा सा कहीं एक चुनाव हुआ टीचर्स कांस्टीट्यु-ऐंसी हुई, मुझे तो तजुरबा नहीं है, माननीय जोरावर वर्मा जी को होगा, खूब टहलते हैं और खूब पार्टीबाजी होती है, अपर हाउस में कौंसिल का चुनाव हुआ तो उसमें ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि तीन आदमियों का चुनाव होने के लिये औरों को बाहर निकाल दिया जाय, आप ही दूध के धोये नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर एक अध्यापक शब्द कह दिया उससे वह दूध के धोये हो गये ऐसी बात नहीं है। चाहे वह जोरावर वर्मा हों, चाहे राम नरेश शुक्ल हों। तो वहां भी पार्टीबाजी हो सकती है। बुरे और अच्छे आदमी हर जगह हो सकते हैं। उसकी भी गुंजाइश है। तो मैं तो तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो संशोधन है वह मूल रूप में वैसा ही मान लिया जाय।

डाक्टर सीताराम——मैं आपकी आज्ञा से श्री जोरावर वर्मा और श्री तेजप्रताप सिंह जी द्वारा दिये गये संशोधन का विरोध करता हूं। उनके इस संशोधन का यह मतलब है कि एक इंक्वायरी बैठायी जाय जिसमें कि एकेडेमिक कौंसिल के तीन टीचर्स हों और वे अपनी

---

* सदन जलपान के लिए स्थगित नहीं हुआ।

[डाक्टर सीताराम]

रिकमेंडेशन को वाइस चांसलर के जरिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल को भेजें, तब जाकर इस पर कोई ऐक्शन हो सकेगा। वास्तव में मूल प्रश्न तो यह है कि एकेडेमिक कौंसिल में कहां से आदमी रखे गये हैं। तो हम इस पर जब विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकेडेमिक कौंसिल में भी टीचर्स ही हैं। तो जब एक टीचर पर कोई ऐसी बात हुई जिसके कि खिलाफ हम इंक्वायरी कराने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्हीं के फेलो टीचर्स जो कि एकेडेमिक कौंसिल में हैं वही इन्क्वायरी करते हैं, यह कोई भीन हीं कह सकता कि अच्छी भावना से वह कोई इंक्वायरी करेंगे और उस टीचर को खिलाफ कोई बात मिले तो उनके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिये रिकमेंडेशन देंगे। अतः इन सब बातों को देखते हुये इस संशोधन का हम विरोध कर रहे हैं। जैसा कि माननीय वर्मा जी और तेजप्रताप जी ने कहा कि उनके मतानुसार रिपोर्ट में रिकमेंडेशन्स आयी हैं, वास्तव में बहुत सी रिकमेंडेशन्स अच्छी हैं। लेकिन इस खास रिकमेंडेशन पर हम डिफर करते हैं। चूंकि फेलो टीचर्स एकेडेमिक कौंसिल में हैं। अतः हम उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि माननीय तेजप्रताप सिंह जी इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री रामनरेश जी शुक्ल के संशोधन प्रस्तावित में भाग (b) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"Provided that if the enquiry is to be held against a teacher, it shall be solely conducted by three persons elected by the Academic Council in the manner prescribed in the Statutes and the report shall be submitted to the Executive Council through the Vice-Chancellor."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) के भाग (b) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-

"(b) is such as may call for a punishment as aforesaid, he shall hold an enquiry jointly with two other persons, appointed in the manner to be prescribed in the statutes, one of whom is or has been Judge of a High Court."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (5) निकाल दी जाय।

अभी पहले जो मैंने संशोधन उपस्थित किया था उसमें मैं काफी कह चुका हूं। लेकिन फिर भी दो चार बातें मैं इस सिलसिले में और कह देना चाहता हूं। जब यह विधेयक बन रहा था कि किस तरह से वाइसचांसलर की नियुक्ति हो, क्या पावर्स चांसलर की हों, क्या एग्जीक्यूटिव कौंसिल की हों, और एग्जीक्यूटिव कौंसिल क्या बने और क्या कोर्ट का कांस्टीट्यूशन हो, उस समय यह भी सोच लिया गया डिसिप्लिन के बारे में ऐसी कोई सख्ती बताने का प्राविजन कर दिया जाय जिससे हम इंडिसिप्लिन को यूनिवर्सिटी से हटा सकें। मैं नहीं समझ सका कि किन-किन धारणाओं और भावनाओं से प्रेरित होकर इतनी सख्त धारा बनायी गई। सेलेक्ट कमेटी के पहले जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब तो कंसल्टेटिव कमेटी ही अलग बनाई गई थी। फिर सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद यह जो धारा हमारे विधेयक में है, यह आई। उसमें कुछ थोड़ा रद्दोबदल किया गया। उससे भी संतोष नहीं हुआ। तब माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने उसमें अपना संशोधन रखा कि ऐसा ही कर लिया जाय। यह सारी चीजें इधर संकेत करती हैं कि हम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिये बहुत ही प्रयत्नशील

हैं। और हमारी सरकार यह चाहती है कि डिसिप्लिन वहां किसी न किसी तरीके आना चाहिये और पार्टी पालिटिक्स वहां टीचर्स और स्टूडेंट्स में बन्द हो जाना चाहिये, यह सही है। लेकिन साथ ही यह भी साफ़ समझ में आता है कि वह स्पष्ट नहीं है और उसमें अक्सर तब्दीलियां होती हैं। कोई एक राय नहीं है। पहले कुछ था, फिर सेलेक्ट कमेटी में कुछ और हो गया और अब हमारे सामने प्रस्तुत किया गया तो तो फिर से भी एक संशोधन ला करके हमने उसमें कुछ रद्दोबदल किया है। हम उसके विषय में डेफिनिट नहीं हैं कि आखिर डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन को कैसे कायम रखा जा सकता है इसके बारे में हमारा कोई एक निश्चित निर्णय नहीं है।

लेकिन इसके बारे में हम समझ नहीं सके हैं। तमाम पुस्तकें मौजूद थीं, सब लोगों की राय थी और उनके आधार पर सोच सकते थे कि हमें क्या करना चाहिये। मैंने सुझाव रखा था कि अगर आप इस बात पर तुले हुये हैं कि हमें कोई न कोई ऐसी धारा रखना है, अगर आपको ईविल रखना है, यह नेसेसरी ईविल है, तो आप इसको एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर छोड़ दें, टीचर्स के ऊपर छोड़ दें। वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा फ़ाइनलाइज़ हो जायगा। यद्यपि मैंने कहा था कि मैं तो इसके पूर्णतया विरोध में हूं और ऐसा नहीं होना चाहिये। इसका प्रमाण यह है कि बहुत से ऐसे केसेज़ चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऐक्ट में यह धारायें मौजूद हैं, अगर न होती तो यह चीजें कैसे ली जातीं। अगर कोई झगड़ा होता है तो उसके लिये आरबीट्रेशन हो जाय। सब राइट्स सुरक्षित हैं और हमारी यूनिवर्सिटी बराबर आगे बढ़ सकती थी स्वतंत्र वातावरण में। लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया और यहां एक बहुत ही खतरनाक धारा रख दी गई है जिससे यूनिवर्सिटीज कभी नहीं पनप सकेगी।

यह निश्चित है और इस बात को हमारा भविष्य बतलायेगा। हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट रखने वाले टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज में नहीं रह सकेंगे। फर्ज कर लीजिये कि कोई किसी आइडियोलोजी में विश्वास करता है और यूनिवर्सिटीज में यह चीज है कि अगर किसी के कोई कंवेशन्स हैं तो वह उनको बदले। लेकिन इस धारा से हम कोई निश्चित बात नहीं रखते हैं और किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन ले लिया यह कितनी खतरनाक चीज है। अगर कोई ऐसी चीज आयगी तो उसके लिये प्रावीजन है, रिटिन कांट्रेक्ट है, और अगर वह इसमें फेल होता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिये है कि अगर उनका अनसैटिसफैक्ट्री कंडक्ट पायें तो उन्हें निकाल सकते हैं। यह बड़ा वेग है। अगर आपका यह ख़याल हो कि यह किसी पार्टीबाजी में है या और कोई बात है तो आप उसको अनसैटिसफैक्ट्री कंडक्ट में निकाल सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है कि जिस पर बड़ी गम्भीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये ताकि हमारे विश्वविद्यालय में योग्य तथा स्वतंत्र विचार रखने वाले टीचर्स रह सकें। तभी हमारी शिक्षा आगे बढ़ सकती है। इसलिये मैं इस प्राविजन का घोर विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे और यह चीज इस विधेयक में से निकाल दी जायगी।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रस्तुत खंड का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्तुत विधेयक का सब से आपत्तिजनक खंडों में से है जिस पर सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर अध्यापक संसार ने विरोध किया है। इसका विरोध केवल विरोध करने के लिये नहीं है बल्कि हमारी परम्पराओं के आधार पर ही है। यह होता है कि यूनिवर्सिटीज में अध्यापकों में अनुशासन स्थापित करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि अध्यापकों के प्रति कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी हो। प्रश्न यह उठता है कि क्या जब कभी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ तो पुराना विधेयक इस माने में कमजोर रहा? क्या उसमें कोई ऐसा प्राविजन नहीं था, क्या उसमें कोई ऐसी मान्यतायें नहीं थीं जिसके अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

की जा सकती थी ? ३४ साल का लखनऊ यूनिवर्सिटी का अनुभव हमें क्या सिखाता है । वह हमें बतलाता है कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल ने इस संबंध में आपने अधिकारों का सम्पूर्ण रूप से प्रयुक्त किया। हमने देखा कि डाक्टर एस० एन० माथुर जो गांधी मैमोरियल एंड एसोशियेटेड हास्पीटल में अध्यापक ही नहीं बल्कि डीन भी रह चुके थे, सुपरिन्टेंडेंट रह चुके थे, जो एक तरह से लखनऊ मेडिकल कालेज के सबसे ऊंचे अधिकारी माने जाते थे और देश के एक विख्यात सर्जन थे उनको बिना किसी खास इंक्वायरी के हटा दिया गया। केवल एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने उसकी इंक्वायरी की, वही सारी कमेटी हो गयी, फिर चांसलर के पास मामला गया, उन्होंने अपना फैसला दिया और वह फैसला मान्य हो गया। इसके अर्थ यह हैं कि वर्तमान अधिनियम में जो ताकत एग्जीक्यूटिव कौंसिल को मिली हुई है, यही इस बात के लिये पर्याप्त है कि अगर कहीं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता हो तो वह कर सकती है। अगर हम हर गम्भीर अनुशासनात्मक घटना पर एक कमेटी की बात सोचेंगे तो इससे एक तो देरी होगी और दूसरे एग्जीक्यूटिव कौंसिल के काम में भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि एक पैरेलल बाडी सी हो जायगी जिसका कांफ्लिक्ट एग्जीक्यूटिव कौंसिल से हो सकता है। आप देखेंगे कि उपखंड ६ में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल और कमेटी में अगर आपस में मतभेद होगा तो चांसलर के पास जायगा। तो वे आरबिट्रेशन में भेजें या न भेजें इसकी भी समस्या है। यह एक बड़ी दुविधा की बात हो गयी है। इससे तो जो पहले था वही ठीक था। अब इस इंक्वायरी को बीच में डालने से एक तरफ तो हम अध्यापक संसार का खामखाह का शक मोल लेंगे। मूथम कमेटी ने भी अगर सिफ़ारिश की है तो एकेडेमिक कौंसिल की की है, जो माननीय तेजप्रताप सिंह का संशोधन था। और राधाकृष्णन् कमीशन या नरेन्द्रदेव कमेटी ने इस प्रकार की कोई सिफारिश की नहीं है। कोई सलाह देने का तो हमारा अधिकार है नहीं, कोई हमें बड़ा भारी अनुभव भी नहीं है कि माननीय मंत्री जी हमारे अनुभव से फायदा उठायें, लेकिन जो मोटी अक्ल की बात है वह यह है कि बजाय इसके कि सरकार अध्यापक संसार का शक मोल ले, एग्जीक्यूटिव कौंसिल के काम में दिक्कत पड़े, इंक्वायरी में भी देर हो, चांसलर भी बीच में आ जाय, आरबिट्रेशन का मौका भी चला जाय, अगर इस उपखंड को निकाल दिया जाय तो बहुत ही उत्तम होगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे आश्चर्य हुआ इस संशोधन को देखकर। माननीय सदस्य जिन्होंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया, उनका भाषण भी मैंने सुना और माननीय नारायणदत्त जी ने भी इस पर जो भाषण किया उसको भी मैंने सुना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको भूल जाते हैं कि जो मूल लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट है यह उस जमाने का बना हुआ है जब स्वराज्य का नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था। अब समय बदल गया है। आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं और इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि हर एक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है और वह समझता है कि जो भी चाहे ग़ैरजिम्मेदाराना तरीके से बातें कर सकता है बहुत सी शिक्षा संस्थाओं से हम लोगों का भी संबंध है। मैं साफ़ तौर पर कहूंगा कि बहुत से अध्यापक इस युग में ऐसे हैं अपने कर्त्तव्य से च्युत हैं और विद्यार्थियों को सच्ची सलाह देने के स्थान पर उनको गुमराह करते हैं। क्या इस विधेयक में जो उस वक्त का बना हुआ है परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है ? तो ऐसी परिवर्तित अवस्था में यह आवश्यक हो गया है कि अध्यापकों को ऐटिविटीज पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसलिये इस व्यवस्था को इस विधेयक में लिया जाना बहुत आवश्यक है। इस विधेयक में सिर्फ़ यह विधान रखा गया है कि उपकुलपति को अधिकार होगा कि वह अनुशासन की कार्यवाही कर सकता है। इसमें घबड़ाने की क्या बात है ? अगर कोई अध्यापक अनुशासनहीनता नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। लेकिन अगर कोई अध्यापक अनुशासन भंग करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। फ़िर उस जांच उपसमिति में एक हाई कोर्ट का जज भी रहेगा। ऐसी दशा में जब कि उसकी पूरी छानबीन की जायगी और अगर वह

अनुशासनहीन साबित नहीं होता तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। और अगर उस पर अनुशासनहीनता का आरोप साबित होता है तो उपर्युक्त कार्यवाही उसके विरुद्ध की जायगी। मैं समझता हूं कि यह प्रतिबन्ध अवश्य होना चाहिये और इस पर जो विरोध किया गया वह उचित नहीं है। मैं आशा करूंगा कि माननीय संशोधनकर्त्ता उसको वापस कर लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा---मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---श्री कुंवरकृष्ण वर्मा को मौका देने के बाद।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने उपस्थित किया है, मैंने सुना, उनके भाषण से ही यह चीज साबित होती है कि अध्यापकगण में इनडिसिप्लिन पहले की बनिस्बत अब ज्यादा बढ़ गयी है। उन्होंने खुद इस बात को तसलीम किया कि आजकल बहुत सी कार्यवाहियां उनके विरुद्ध चल रही हैं। कुछ इसके पहले भी हुई। तो उनके भाषण से ही यह बात सिद्ध होती है कि यह मर्ज बढ़ता जा रहा है। तो उनको इस बात की शिकायत क्यों होती है कि उस बढ़ते हुये मर्ज के लिये यहां पर कोई दवा निकाली जाती है ताकि वह मर्ज खत्म हो जाय। जो कुछ पहले व्यवस्था थी, उसके मुताबिक जो कुछ हमारे विधान में था, कार्यवाही होती थी। लेकिन अगर आजकल वह चीज ज्यादा बढ़ गयी है और हमको उसकी रोकथाम करनी है, तब तो हमें उसके लिये भी ऐसी व्यवस्था करनी है, जिससे समय-समय पर कार्यवाही हो सके और उसमें विलम्ब भी न हो। जब कि वाइसचांसलर वहां पर मौजूद हैं और वह शीघ्र उस पर कार्यवाही कर सकते हैं तो उनके हाथ में यह चीज रखी गयी है कि उस कार्यवाही को वह जल्द से जल्द शुरू कर सकें। असल में होना तो यह चाहिये था कि जब उपकुलपति वहां पर मौजूद हैं, हर इंस्टीट्यूशन में जो उसका हेड होता है, उसके ही हाथ में यह अधिकार दिये जाते हैं। लेकिन आजकल का जैसा वातावरण है, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा देश स्वतंत्र हो गया है और दुनिया भर की बातें पैदा होती हैं, जब कि यह सवाल रखा जाता है कि उपकुलपति महोदय अपने हाथ में एक जज को भी रखें तो मैं नहीं समझता कि इससे और ज्यादा निष्पक्ष कार्यवाही करने के लिये और कौन सी व्यवस्था हो सकती है? जब कि इसमें यह प्राविजन रखा जाता है, तब तो हर शख्स को यह मान्य होना चाहिये। हमारे विरोधी दल की तरफ से समय-समय पर बहुत सी बातों के लिये कहा जाता है इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की जाय, इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की जाय, कोई डिपार्टमेंट का आदमी न रखा जाय। एक तरफ यह मांग होती है कि इंडेपेंडेन्ट इंक्वायरी कमेटी रखी जाय लेकिन यहां पर जब एक इंडेपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी की व्यवस्था की जाती है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इससे और ज्यादा इंडेपेंडेन्ट इंक्वायरी कमेटी और कौन हो सकती है। जिसमें एक हाई कोर्ट का जज भी शामिल किया जाता हो। ऐसी हालत में इसका भी विरोध करना मेरी समझ में बिलकुल उचित नहीं जान पड़ता है? यह प्राविजन जो रक्खा गया है वह इसीलिये कि जो अनुशासनहीनता फैली हुई है उसकी रोकथाम जल्दी से जल्दी की जाय। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह---मैं काफी कह चुका हूं। अब माननीय मंत्री मान लेंगे ऐसी आशा है।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, इसमें तो संदेह नहीं कि इस विधेयक की इस धारा पर भवन के बाहर और अध्यापक समाज में काफी चहलपहल है और इसका विरोध भी उन अध्यापकों द्वारा हो रहा है जिनको हम वोकल की श्रेणी में रख सकते हैं। वस्तुस्थिति क्या है यदि उस पृष्ठभूमि में हम विधेयक की इस धारा पर विचार करें तो शायद एक सही नतीजे पर आने में हमें सुविधा होगी। अगर विचार यह हो, विश्वास यह हो कि अध्यापकों में कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अनुशासनहीनता नहीं है तो निसंदेह इस धारा की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही नहीं अगर मुझे कम से कम यह विश्वास होता कि लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐक्ट में जो एक्जीक्यूटिव को यह अधिकार दिया गया है उसको भी मैं निकाल देता क्योंकि जब उसकी आवश्यकता ही नहीं कि इस विधेयक में कोई ऐसी धारा रक्खी जाय तो इन विश्वविद्यालयों के पुराने ऐक्ट में जो ऐसी धारायें हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन मेरा विश्वास है कि ऐसा है नहीं। मैं माननीय तेजप्रताप सिंह और नारायणदत्त जी से यह जानना चाहता था कि उन्होंने इस बात से इन्कार नहीं किया कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं, और मूथम ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह तो सत्य है कि ऐसे अध्यापकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि वे अल्पसंख्यक होते हुये भी इतने प्रभावशाली हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुल वातावरण को दूषित कर रक्खा है और अच्छे अध्यापक बहु संख्यक होते हुये भी संगठित हो कर उनका विरोध नहीं कर सकते, यही नहीं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में शक्ति भी ऐसे ही लोगों के हाथों में केन्द्रित है और इसी कारण उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ तो यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात कही जाय और दूसरी ओर थोड़े से ऐसे अध्यापकों के हाथों में यूनिवर्सिटी की कुल शक्ति केंद्रित हो जाय और वहां का प्रत्येक अध्यापक यह समझता रहे कि मेरी नियुक्ति, मेरा प्रमोशन, मेरा यूनिवर्सिटी में रहना इसी पर निर्भर है तो वहां आटोनामी की कोई रक्षा नहीं हो सकती। तो लोग यह कहें कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अख्तियार पहले ही था, यह फिर क्यों रक्खा गया, यह कहां तक न्यायसंगत है? यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अख्तियार था और वह अख्तियार अध्यापकों के लिये अपमानजनक नहीं था तो फिर यह मेरी समझ में नहीं आता कि अगर यह दूसरी जगह भी रख दिया गया तो कैसे अपमानजनक हो गया? अपमानजनक अगर था तो वह पहले भी था और अगर नहीं अपमानजनक था तो पहले भी नहीं था। इसलिये यहां पर यह रख दिया गया है। इस कारण यहां पर रख देने के कारण यह अपमानजनक नहीं होता। यदि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अख्तियार था तो प्रश्न यह उठता है कि क्या एक्जीक्यूटिव कौंसिल से यह अधिकार निकाल लिया गया। यह तो नहीं हुआ और न इस विधेयक में किसी धारा के अन्दर इस प्रकार से है कि एक्जीक्यूटिव से उस अख्तियार को निकाल कर किसी एक व्यक्ति के हाथ में रख दिया गया हो। यह बात नहीं है।

एक्जीक्यूटिव कौंसिल को जो अख्तियार था वह ज्यों का त्यों बना हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर जानने का मुझसे आपको अधिकार है कि फिर वायसचांसलर को यह अधिकार क्यों दिया गया? अगर इस दृष्टिकोण से इस पर विवाद होता तो शायद अधिक लाभदायक होता। आज वायसचांसलर को कोई अधिकार नहीं है। यह अख्तियार तो उसको भी है, जैसे कि और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के किसी मेम्बर को या एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर की परिधि के बाहर किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी टीचर के मुताल्लिक कोई रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव कौंसिल को कर सकता है, वायसचांसलर भी कर सकता है और कोर्ट का मेम्बर भी कर सकता है और कोई साधारण जनता का आदमी भी कर सकता है। एक्जीक्यूटिव अगर चाहे तो उस पर कोई कार्यवाही कर सकती है। वायसचांसलर को इससे ज्यादा अधिकार नहीं है। वह भी एक्जीक्यूटिव को एक आवेदन पत्र दे सकता है, इस बात के लिये कि फलां टीचर के प्रति मेरा यह खयाल है कि इसके ऊपर एक्जीक्यूटिव कौंसिल को कोई कार्यवाही करनी चाहिये। तो उस समय सम्भावना यह होती है कि एक्जीक्यूटिव में एक चुनाव का वातावरण पैदा हो जाता है। यदि यूनिवर्सिटी में पार्टीज हों तो आपको और हमको न्यायप्रियता की दृष्टि से यह समझ लेना चाहिये कि उसमें संभावना इस बात की है कि इस चीज को अलग करके जिसका बहुमत होगा उसी के पक्ष में उसका निर्णय होगा। तो वायसचांसलर को अधिकार देने का एक तो यह कारण था कि वायस चांसलर जैसा व्यक्ति, जिसके ऊपर विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण वातावरण केंद्रित है, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी

के अन्दर एक साफ वातावरण होना चाहिये, वहां पर आदान प्रदान का कार्य होता है और उसके लिये अनुकूल वातावरण होना चाहिये। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मूथम कमेटी ने यह लिखा है कि जहां तक उनकी शिक्षा का संबंध है पांच प्रोफेसरों ने ५ वर्ष में कोई एक भी रिसर्च नहीं की और उन्होंने कोई एक आर्टिकल नहीं छापा। इसी तरह से उन्होंने रीडर के बारे में भी लिखा है और ८८ लेकचरार के विषय में भी लिखा है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा का कार्य उनके द्वारा कितना हुआ। उसकी भी एक सूची उन्होंने बनाकर उसमें डाली है। उसको देखने से मालूम होगा कि कम से कम यह अवस्था असंतोजनक है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि पढ़ाने लिखाने का कार्य कम से कम उन अध्यापकों के द्वारा जो इस पाटी-बाजी में फंसे रहते हैं बहुत कम होता है और उनके लिये यह चीज गौण हो जाती है वह प्रमुख स्थान नहीं रखती। तो ऐसी अवस्था में एग्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर यह छोड़ना कि वह चाहे तो उसमें कार्यवाही ले सकती है, लेकिन वाइसचांसलर भी यदि चाहे और आवश्यक समझे तो यह कार्यवाही नहीं कर सकता है। वाइस चांसलर को पंगु बनाकर, अधिकार और शक्तिहीन बनाकर हम उसके यूनिवर्सिटी को स्वच्छ और पवित्र बनाने की जिम्मे-दारी नहीं दे सकते। जिम्मेदारी के साथ अधिकार और शक्ति होनी चाहिये और हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी होती है। दोनों जब तक संतुलित न हों तब तक न अधिकार को और न जिम्मेदारी को स्वच्छ वातावरण कार्यान्वित होने के लिये मिल सकता है। हम यह कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम विश्वविद्यालय के वातावरण को स्वच्छ रखो तो कुछ अधिकार भी उसके लिये देना चाहिये।

यह भी कहा गया कि शायद सरकार इसके द्वारा उसमें कुछ अपना हस्तक्षेप चाहती है। तो अपनी सरकार की नीयत का सबूत मैं दे सकता हूं कि बावजूद इसके कि हमको कोई चीज रोकने वाली नहीं थी कि हम इसमें जो चाहते रख देते और हम भवन से भी पास करा लेते हमने उसमें हाई कोर्ट के जज को रखा है। यह भी रखा गया कि किस प्रकार से इस कमेटी के अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी, वह स्टेटयूट्स में रखी जायगी। हम इस चीज को छोड़ सकते थे। हम अपनी नीयत का सबूत इससे अधिक और कुछ यहां दे ही नहीं सकते कि हमने यह कहा कि नहीं स्टेटयूट्स तो बनेंगे, लेकिन उनमें इस चीज का उल्लंघन नहीं हो सकेगा कि उसमें एक हाई कोर्ट का जज रहेगा। तो आप स्वयं ही सोचिये कि इससे बढ़कर हम अपनी नीयत का सबूत दे ही क्या सकते हैं? यदि और किसी चीज की आवश्यकता है तो उसका सबसे बढ़कर सबूत और यह है कि मूथम ने हमारे कहने से अपनी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा। उस वक्त भी एग्जीक्यूटिव कौंसिल के अधिकार सुरक्षित थे, लेकिन उनके सुरक्षित रहते हुये भी मूथम ने इस बात की सिफारिश की कि एक कमेटी ऐसी होनी चाहिये। तो जहां तक एग्जीक्यूटिव कौंसिल का इस अधिकार से संबंध है, उसके बारे में हमारे और मूथम कमेटी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। यह तो आप, मैं समझता हूं, मानेंगे ही। सब कुछ होते हुए भी मूथम साहेब ने कहा कि एक कमेटी होनी चाहिये। हां, उन्होंने यह कहा कि वह कमेटी एकैडैमिक कौंसिल की होनी चाहिये। हमने उससे सहमत न होकर यह पावर वाइसचांसलर को दी है। वाइसचांसलर के ऊपर सीधी जिम्मेदारी वहां के अनुशासन की है, इससे तो हमारे मित्र भी इंकार नहीं करेंगे। यदि वह इससे भी इंकार करें, तो फिर मुझे उनके लिये कुछ नहीं कहना है जो मैंने अभी निवेदन किया, अन्तर हमारे में और मूथम में केवल इतना ही है और किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है।

इसका भी उत्तर जानने का आपको अधिकार है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया? वह इसलिये कि एक तो मैं यह जानता हूं कि अध्यापकों का दिल ही बड़ा कोमल होता है। वह कोई कार्यवाही करके किसी को निकाल दें यह उनके लिये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिये नहीं कि उनकी बदनीयती हो, लेकिन इसलिये कि वे अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं वे समझते हैं कि एक, दो या तीन दफा किसी को छोड़ देने से कोई काम चल जाय तो ठीक है। एक तो इस कारण से एग्जीक्यूटिव कौंसिल को हम

[श्री हरगोविन्द सिंह]

यह समझें, कि इससे अनुशासन की रक्षा न की जाय। दूसरे यह कि इस सदन में बहुत से टीचर्स हमको मिले, बड़े-बड़े टीचर्स मिले और उन्होंने यह कहा कि यह चीज हमें नहीं रखनी चाहिये। मैंने कहा कि क्यों नहीं रखना चाहिये ? मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता है तो कानून तो पीछे आता है किसी चीज की आवश्यकता पहले होती है। कानून तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये होता है। हमारे और मूथम के विचार में कोई भेद नहीं है। मैंने अध्यापकों से पूछा कि क्या वे यह बता सकते हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर, कि अध्यापकों में कोई अनुशासनहीनता नहीं आगयी है। मुझे बड़ा संतोष हुआ और बड़ी खुशी हुई कि उनमें से एक ने भी इस बात से इंकार नहीं किया। फिर मैंने कहा कि टीचर्स की एसोसियेशन है क्या उसने इसके बारे में कोई प्रस्ताव पास किया कि हमारे में यह खामी आ गयी है और उसको निकालना चाहिये ? मैंने पूछा इसके बारे में आपने आज तक क्या किया ? क्या मैं आपसे इसका कारण पूछूं कि क्यों आपने ऐसा किया ? यदि इसके लिये आप उतने ही उत्सुक थे जितना कोई और दूसरा व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिये इच्छुक हो सकता है तो क्या आपका सर्व प्रथम और सर्वोच्च यह कर्त्तव्य नहीं था कि आप कम से कम और तो नहीं टीचर्स एसोसियेशन से ही उसको निकालते ? मुझको ऐसा उदाहरण नहीं मिला। इसलिये हमने यह विचार किया कि एकेडेमिक कौंसिल को यह अधिकार देना ठीक नहीं है और उसको यह अधिकार न देकर कमेटी की नियुक्ति की गयी, और कमेटी में इस बात का खयाल रक्खा गया कि किसी के साथ उसकी ज्यादती न हो पाये और इसीलिये उसमें एक हाईकोर्ट का जज रक्खा गया। मैं समझता हूं कि हम लोगों की स्वतंत्रता की यह परिभाषा नहीं है कि वहां कोई नियंत्रण ही न होना चाहिये। कोई अनुशासन न होना चाहिये। कम से कम मैं स्वतंत्रता की इस परिभाषा को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मुझे ताज्जुब है कि तिवारी जी इस स्वतंत्रता की परिभाषा को न मानते हुये भी कहते हैं कि ऐसा न होना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि वे यह मानते हैं कि नियंत्रण की अनुकूलता में ही स्वतंत्रता है। वे भी यही परिभाषा मानते हैं और मैं भी यही परिभाषा मानता हूं। और जैसा कि कहा गया है, अगर वहां के अध्यापकों में कोई अनुशासनहीनता नहीं है तो डरने की क्या बात है ? हम तो इसलिये तहलका नहीं मचा रहे हैं कि इंडियन पेनल कोड में क्यों रखा गया है कि कत्ल की सजा मौत हो। अगर कोई अनुशासनहीनता नहीं है और मैं समझता हूं कि बहुसंख्यक अध्यापकों में अनुशासनहीनता नहीं है और वे यूनिवर्सिटी की रक्षा करना चाहते हैं तो डरने की बात नहीं है। जहां तक वोकल सेक्शन की बात है उसने विरोध किया और अगर माननीय नारायणदत्त जी देखना चाहते हैं तो उन लोगों ने लिखा और कहा है कि साहब मेरा नाम न हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने ही कहा कि यह आवश्यक है और इसको रखना चाहिये क्योंकि कि हम यूनिवर्सिटी के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--किस यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कहा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--दोनों यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कहा। तो यह चीज उसमें रखी गयी और यह समझ कर रखी गयी है और इसी अभिप्राय से रखी गयी है कि यूनिवर्सिटी से यह निकालना है और तभी हम इस यूनिवर्सिटी से यह आशा कर सकते हैं कि जिन उद्देश्यों से इसकी स्थापना हुई थी और जिन उद्देश्यों से पब्लिक एक्सचेकर का रुपया इसमें दिया जाता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। और मैं तो समझता हूं कि टीचर्स के लिये यह तो रक्षा के लिये ही है। वह इसलिये है कि जिसमें समाज में उनका सम्मान बढ़े, इज्जत मिले और जो इज्जत मिलनी चाहिये वह समाज उन्हें दे, उसमें गुरेज न करे। इसलिये यह आवश्यक है कि वे जरा ऊंचे स्तर के हों, अगर वे नीचे स्तर पर चले जाते हैं और तब भी समाज में आदर की इच्छा रखते हैं तो समाज उनको आदर नहीं देगा। समाज तो उन अध्यापकों को आदर तभी देगा जब वे अध्यापक अपने को उस ऊंचे स्तर पर रख सकें, और उससे इधर उधर न जायं। इसीलिये यह धारा इसमें रखी गयी है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (5) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली की बैठक के शुरू में हमारे मित्र श्री नारायण दत्त तिवारी ने एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में एक प्रश्न उठाया था कि जो तीन रिपोर्टें आ चुकी हैं और जो चौथी प्रस्तुत की गयी है उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यह वे जानना चाहते थे। मैंने वादा किया था कि २ बजे के बाद मैं समुचित बयान दूंगा। तो पी० डब्ल्यू० डी० हाइडल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में से पी० डब्ल्यू० डी० हाइडल, इरिगेशन के बारे में सरकार के जवाबात तैयार हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के संबंध में एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट आने के वक्त ही एक कमेटी मुकर्रर कर दी गयी थी और कुछ बातों पर विचार करके उसे रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। तो एस्टिमेट कमेटी में उनमें से कुछ प्रश्न उठाये गये थे, लिहाजा उस कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार है। रिपोर्ट आ जाने पर इस संबंध में भी जवाबात तैयार हो जायेंगे और कैबिनेट में डिस्कशन होने के बाद अगली जरूरी कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जहां तक मैं माननीय मंत्री जी को समझ पाया उनका कथन यह है कि हाइडल विभाग और सिंचाई विभाग के संबंध में जो प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन हैं, उनके संबंध में जवाब सरकार के पास तैयार है। तो क्या यह सही है कि हाइडल और इरिगेशन के तैयार हैं?

श्री हुकुम सिंह--जो मुझे कहना था, वह मैंने कह दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या आप कंफर्म नहीं कर सकते?

श्री हुकुम सिंह--अभी इस पर केबिनेट डिसिजन नहीं हुआ है, वह हो जाय तो उसके बाद कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो फिर आप पूरी बात क्यों नहीं कहते, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट सदन में रखी जायगी या नहीं और अगर रखी जायगी तो उसके वादविवाद के लिये कितने दिन नियत होंगे?

श्री हुकुम सिंह--नियम १६५ की रू से बहस की गुंजाइश नहीं है, रूल के मुताबिक जो कार्यवाही वाजिब होगी वह गवर्नमेंट करेगी।

लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न लिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड १० द्वारा प्रस्तावित धारा 11 को उपधारा (6) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(6) In any case in which enquiry has been held under clause (b) of sub-section (5), the Vice-Chancellor shall, upon conclusion of the enquiry, submit the report to the Executive Council. If there is a difference of opinion among the Vice-Chancellor and the persons jointly holding the enquiry with him under clause (b) of sub-section (5), regarding the recommendation to be made in the report, the recommendation shall be expressed in terms of the views of the majority. The Executive

[श्री नौरंग लाल]

Council shall thereupon pass orders according to the recommendations made in the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper."

यह जो मेरा संशोधन है इसमें और जो मूल सब-सेक्शन है उस में थोड़ा सा ही अन्तर है और वह यह है कि मूल सबसेक्शन में यह है कि इंक्वायरी की रिपोर्ट जो होगी उसे वायस-चांसलर पेश करे। इससे यह साफ नहीं होता कि वह इंक्वायरी रिपोर्ट मेजारिटी रिपोर्ट है या यूनानिमस रिपोर्ट है, अगर वह मैजारिटी रिपोर्ट है तो यह संभव हो सकता है कि उस पर कौंसिल ज्यादा विचार करे और अगर वह यूनानिमस है तो शायद उसका ज्यादा असर होगा। इसलिये मैंने इस चीज को जरा साफ करने के लिये दो चार शब्द बढा दिये हैं जिस वक्त रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी की एकजिक्यूटिव कमेटी के सामने जायगी तो उस वक्त अगर उनके सामने यह चीज होगी कि वह मैजारिटी की रिपोर्ट है या यूनानिमस रिपोर्ट है तो उनको उस पर विचार करने में सहायता मिलेगी और वाइचांसलर को भी सहायता मिल सकती है। इसी उद्देश्य से यह शब्द मैंने बढा दिये हैं? मैं समझता हूं कि अब इस पर अधिक बहस की गुंजाइश नहीं है और आशा है कि माननीय मंत्री जी अब इसको स्वीकार करेंगे।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---यह स्वीकार है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नौरंगलाल के संशोधन में प्रस्तावित उपधारा (४) की पंक्ति४ में शब्द "Executive Council" के बाद की सभी पंक्तियां निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

" The Executive Committee shall thereupon decide and pass orders by majority, the decision of the Executive Council shall be final."

समय---२ बजकर १५ मिनट।

जो प्रोसीजर संशोध में श्री नौरंग लाल जी ने रखा है वह बड़ा लम्बा है वह यह है, कि जबभी इंक्वायरी कमेटी में और एग्जीक्यूटिव कौंसिल में झगड़ा होगा तो वह चांसलर को रिफर किया जायगा। हम लोगों ने यह बात जेनरल डिस्कशन के वक्त भी रखा था कि छोटे से छोटे मामले भी चांसलर तक पहुंचाये जायेंगे और हर जगह चांसलर का इंटरफियरेंस उचित नहीं है। (एकसदस्य---यह उनका इंटरफियरेंस नहीं है।) ठीक है, लेकिन आप भेजने की व्यवस्था ही क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पूर्ण अधिकार होना चाहिये कि वह फाइनली इस प्वाइंट को तय करे। आगे धारा ४४ में यह प्राविजन है कि कोई डिस्प्यूट होगा तो वह आर्बिट्रेशन के लिये रिक्वेस्ट कर सकती है और उसके मुताबिक चांसलर एम्पायर ऐप्वाइंट करेगा।

(इस समय २ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है कि वह फाइनली डिसाइड करे? एक जगह तो इस धारा के मुताबिक यह चांसलर के यहां जाय और फिर उसका फायनल आर्डर हो और दूसरी जगह धारा ४४ के मुताबिक वह डिस्प्यूट के आर्बि-ट्रेशन के लिये रिक्वेस्ट करे, तो आपस में यह विरोधाभास है। मैं माननीय सदस्यों से

प्रार्थना करूंगा कि यह जो विरोधाभास उत्पन्न होता है उस पर गौर करें और मैं समझता हूं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पावर होना चाहिये कि वह फायनली डिसाइड करे। चांसलर जो धारा ४४ के मुताबिक डिसाइड करेगा उसके खिलाफ ला कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार होना चाहिये, फाइनली डिसाइड करने का यही उपयुक्त नियम है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और इसे स्वीकार कर लेगें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय तेजप्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, केवल एक शाब्दिक संशोधन के साथ कि बजाय कमेटी के कौंसिल इसमें होना चाहिये। श्रीमन्, इसमें चांसलर महोदय को जो अधिकार दिया गया है और उनके पास जो भेजने को कहा गया है वह सर्वथा अनुचित है। इसलिये अनुचित है कि आप इसमें देखेंगे कि इस क्लाज में दो बातें लिखी गई हैं वाइसचांसलर और उनके साथ जो दो मेम्बर हों उनमें यदि मतभेद हों तो मेजारिटी की राय एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास जाय और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मतभेद हो तो वह पहली मेजारिटी की राय और एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मेजारिटी की राय चांसलर के पास जायगी। तो हमें देखना यह है कि इसमें हम एक्जीक्यूटिव कौंसिल की अथारिटी को कितना लिमिट कर रहे हैं। एक्जीक्यूटिव कौंसिल डिसिप्लिन के मामले में सर्वाधिकारी संस्था है और इस बात का उसको पूर्ण अधिकार है कि जो भी अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही हो उसका अधिकार उस सम्बन्ध में सर्वमान्य हो। लेकिन यहां एन्क्वायरी कमेटी के द्वारा दिये गये फैसले को न मान कर चान्सलर के पास, जिनको पूरी बात का भी पता न होगा, भेजना उचित भी नहीं है और साथ ही अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना को मौका देता है। मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा। इसलिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार रहना चाहिये कि वह इन्क्वायरी कमेटी की राय पर विचार करके अपना फैसला दे और चांसलर महोदय को इस बात में डालना मैं समझता हूं सर्वथा अनुचित है और माननीय मंत्री जी स्वयं भी इसे पसन्द नहीं करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मुझे इसका विरोध है।

श्री अध्यक्ष—श्री तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन दिया है पहले उस पर राय लेता हूं। उनका संशोधन श्री नौरंग लाल जी के निम्नलिखित संशोधन में है :—

खंड १० द्वारा प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (6) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"(6) In any case in which enquiry has been held under clause (b) of sub-section (5), the Vice-Chancellor shall, upon conclusion of the enquiry, submit the report to the Executive Council. If there is a difference of opinion among the Vice-Chancellor and the persons jointly holding the enquiry with him under clause (b) of sub-section (5), regarding the recommendation to be made in the report, the recommendation shall be expressed in terms of the views of the majority. The Executive Council shall there upon pass orders according to the recommendations made in the report unless it differs there from in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper."

[श्री अध्यक्ष]

इस संशोधन में संशोधन इस प्रकार है :—

श्री नौरंग लाल के संशोधन में प्रस्तावित उपधारा (6) की पंक्ति ४ में शब्द "Executive Council" के बाद की सभी पंक्तियां निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रखदिया जाय—

" The Executive Committee shall thereupon decide and pass orders by majority. The decision of the Executive Council shall be final."

प्रश्न यह है कि उपरोक्त संशोधन में यह अभी पढ़ा हुआ संशोधन माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री नौरंगलाल जी के संशोधन को ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड १० द्वारा प्रस्तावित धारा की उपधारा (6) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"(6) In any case in which enquiry has been held under clause (b) of sub-section (5) , the Vice-Chancellor shall, upon conclusion of the enquiry, submit the report to the Executive Council. If there is a difference of opinion among the Vice-Chancellor and the pesrons jointly holding the enquiry with him under clause (b) of sub-section (5), regarding the recommendation to be made in the report, the recommendation shall be expressed in terms of the views of the majority. The Executive Council shall thereupon pass orders according to the recommendations made in the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommedation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीताराम—माननीय राम लखन जी का संशोधन पास नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि, कुछ अधिक सजग रहा करें तो अच्छा है। अब मैं संशोधन पढ़ दूंगा और उस पर सदन की राय ले लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (8) की दूसरी पंक्ति में शब्द "sub-section (5) or (7)" के स्थान पर शब्द "clause (a) of sub-section (5) or sub-section (7)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १२ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधाराओं (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Treasurer. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing—

(1—A). The Executive Council shall, so far as may be at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Treasurer and also whenever so requird by the Chancellor submit to the Chancellor

the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Treasurer.

(1-B) Where the names proposed in the Executive Council for submission to the Chancellor under sub-section (1-A) do not exceed three in number, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names proposed, elect three names according to the system of proporational representaion by means of the single transferable vote.

(1-C) Where one name only has been submitted by the Executive Council the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted in other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names have been submitted by the Executive Council under sub-section (1-B).

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service other than emoluments, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-section (2) (3), (8) and (9) of section 10 shall *mutatis mutandis* apply to the office of Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty—

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of of investment), and

(ii) to disallow any expenditure which statute may contravene the terms of any State or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not bee n so made."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तिम शब्द "Treasurer" के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that no person shall be eligible who is a part or full paid Government servant or a member of the Cabinet."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (I-B) के प्रथम शब्द "Where" के पश्चात् शब्द "the name or" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (1-C) की चौथी पंक्ति में आये हुये शब्द "may appoint any" के स्थान पर "shall appoint" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (2) की पंक्ति २ में शब्द "years" के बाद शब्द 'but.....appointed" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "but he shall not be eligible for re-election" और अन्तिम पंक्ति के शब्द "may be prescribed by the Statutes" के स्थान पर शब्द "as the Executive Council shall deem fit" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने निवेदन किया था कि अगर आप बैठ कर पढ़ें तो कोई हर्ज है।?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (4) की पंक्ति २ के शब्द "shall" तथा शब्द "manage" के बीच में शब्द "subject to the control of the Executive Council' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (5) के भाग (i) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (5) के भाग (ii) की पंक्ति १ में शब्द "to disallow any expenditure" के स्थान पर शब्द "to draw the attention of the Executive Councill to any intended Expenditure" रख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (5) का भाग (ii) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १३ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

13. (1) The Registrar shall be a wholetime officer of the University and shall beappointed by the Executive Council on the

The Registrar

recommendation of a Selection Committee consisting of the following namely—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor and

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh , or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the Common Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these Authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice- Chancellor.

(4) He shall conduct the examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinances."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (3) की पंक्ति ४ तथा ५ में शब्द "Academic Council" और शब्द "The Finance Committee" के बीच में शब्द "the Selection Committees" रख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

१३—मूल अधिनियम की धारा १५ में मद (5) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की १५ का संशोधन।

"(5) The Boards of Faculties"

"(5-*a*) Selection Committees for the appointment of teachers, and"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १६ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Court.

16. (1) The Court shall consists of the following persons, namely :

Class I—Ex-officio Members:

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor,

(iii) the Minister of Education U. P.,

(iv) the Minister of Health, U. P.,

(v) the Treasurr,

(vi) the members of the Executive Council,

(vii) the Director of Medical Services, U. P. ,

(viia) The Director of Educatin, U. P.,

(viii) all Heads of Departments of Teaching in the University or a constituent college and all Professors of the University, a Constituent College who are not Heads of Departments,

(ix) all principals of Constituent Colleges and Associated Colleges,

(x) such other persons with reference to offices held by them as may be prescribed by the Statutes.

Class II-Life members :

(xi) such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their numbers shall at no time be more than four.

(xii) All individuals who have made donations of not less than Rs.20,000 to or for the purposes of the University or a Constituent College.

Class III-Other members :

(xiii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes.

(xiv) Persons nominated by associations (or) individuals or bodies of individuals making to the University, or a Constituent College donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes.

(xv) Two members of the Legislative Council of the State to be elected by it.

(xvi) Five members of the Legislative Assembly of the State to be elected by it.

(xvii) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.

(xviii) Representatives of donors to the University or a Constituent College not being individuals or persons referred to in items (xii) and (xiv).

(xix) Representatives of teachers of the University (other than teachers included in Class I,) the Provosts, the Delegacy and of such Boards established under section 25 as may be prescribed by the Statutes.

Explanation—

In this item the expression 'teachers' of the University includes teachers of Constituent College maintained by the State Government.

(xx) Not more than ten persons to be appointed by the Chancellor.

(xxi) Persons elected by the British Indian Association of Avadh from their own body :

Provided that this item shall cease to have effect from July 1, 1965 and any representation thereunder shal! similarly cease with effect from the said date.

(2) The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a Constituent College or a Hall, shall not exceed the number of the other members excluding the members under item (xxi)

(2-A) The total number of members including *ex-officio* members but excluding the life members and members under head (xxi) shall not exceed 160.

(3) The number of members referred to in items (xiii) to (xxi) of sub-section (1), their tenure and the manner of their appointment, election or nomination shall, save as otherwise provided in this section, be prescribed by the Statutes.

(4) The Court may declare vacant the seat of a member, other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself form three consecutive meetings of the Court without sufficient cause ".

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मद (iii) और (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(iii) The minister for Education in the Government of Uttar Pradesh.

(iv) The Minister for Health in the Government of Uttar Pradesh."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—खंड १४ में प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (1) का भाग (iv) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (1) के भाग (xiii) स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

" (xiii) Persons nominated by such academic and non-academic bodies and interests as may be prescribed by the Statutes ".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मद (xiii) की पंक्ति १ में से शब्द " nominated by the State Government" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (1) के भाग (xv) में प्रथम शब्द "two" के स्थान पर शब्द "one" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (1) के भाग (xvi) के प्रथम शब्द "five" के स्थान पर शब्द "two" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मद (xvii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(xvii) Representatives of the registered graduates to be elected by registered graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes from among such registered graduates as are not in the service of the University and Associated College, a Constituent College or a Hall and whose names have been on the register of graduates for three years or if the Statutes prescribe a longer period, for such period."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भाग (xx) के अन्त में पूर्ण विराम के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"One of whom shall be a member of the Management of an Associated College."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (2-A) को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"(2-A) (i) The total number of the representatives of the donors under sub-classes (xii), (xiv) and (xvii) shall not be more than five—5.
(ii) The total number of the members of the court shall not exceed 100."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

१५--मूल अधिनियम की धारा १८ में खंड (c) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० एक्ट५, १९२० की धारा १८, का संशोधन।

"(c) of considering and passing resolutions on the annual report, the annual accounts, the financial estimates and any matter of general policy relating to University education and administration.

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५-क

१५-क--मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट५, १९२० की धारा १९ का संशोधन।

The Executive Council

19. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of the following persons, namely;

(i) The Vice -Chancellor ;

(ii) The Treasurer ;

(iii) All Deans of Faculties ;

(iv) One Principal of an Associated College taking office by rotation according to seniority ;

(v) The person, if any, who may be appointed by the Vice-Chancellor to look after the welfare and extra-curricular activities of the students of the University :

(vi) One representative of the Provosts and the Delegacy ;

(vii) Two teachers of the University;

Explanation.

In this item the expression 'teachers of the University' includes teachers of Constituent Colleges maintained by the State Government.

(viii) Six persons to be elected by such members of the Court as are not in the service of the

University, a Constituent College or an Associated College, from amongst themselves in the manner prescribed by the Statutes.

(ix) Persons equal in number to the Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor ; ..

(2) The manner of selection of the members under items (vi) and (vii) of sub-section (1) shal be prescribed by the Statutes.

(3) The term of the office of members other than *ex-officio* members shall be three years.

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि...

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, इसके अन्त में शब्द "welfare" और जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क में प्रस्तावित धारा 19 की उपधारा (1) के भाग (v) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(v) the Dean of students welfare".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नौरंगलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में पहला आइटम तो पास हो चुका है। दूसरा मैं पुट अप नहीं करना चाहता। केवल तीसरे को पुट अप कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (1) के अन्तर्गत मद (ix) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ix) Persons less in number by one than the Deans of Faculties, to be nominated by the Chancellor"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क में प्रस्तावित धारा 19 की उपधारा (1) के भाग (vii) को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"(vii) Three teachers of the University ; "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क में प्रस्तावित धारा 19 की उपधारा (1) के भाग (vii) में शब्द 'two' के स्थान पर शब्द "three' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क द्वारा प्रस्तावित धारा 19 की उपधारा (1) के भाग (viii) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(viii) Five persons to be elected in the manner prescribed by the statutes by the Court from among such members as are not in the service of the University, a College, an Associated College or a Hall."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क में प्रस्तावित धारा 19 की उपधारा (1) के भाग (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"(viii) Five persons to be elected by such members of the Court as are not in the service of the University, a College or an Associated or Consti-

tuent College from amongst themselves according to the system of proportional representation by means of the Single transferable vote."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क में प्रस्तावित धारा 19 की उपधारा (1) के भाग (ix) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"Provided that at least one of the nominees shall belong to the scheduled castes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५-क में प्रस्तावित धारा 19 की उपधारा (3) को निम्न रूप में रख दिया जाय :--

"(3) The term of office of members other than *ex-officio* members shall be eligible to hold office for two periods, but thereafter shall not be eligible except after an interval of at least one year."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

१६--मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २० का संशोधन।

"Powers and duties of the Executive Council."

20. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely--

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(*b*) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behaf of the Univeristy,

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(*d*) to prepare the budget of the University;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances ;

(*f*) to appoint the officers, teachers and other servants of the Uniersity, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts ;

(*g*) to appoint examiners and to direct the holding of examinations and publication of results of examinations;

(*i*) to arrange for and direct the inspection of Associated Colleges, Halls and other places of residence of students ;

नोट--उपखंड '(h)' प्रवर समिति ने निकाल दिया।

(*j*) to direct the form and use of the Common Seal of the University ;

(*k*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes and to exercise all other powers of the University not otherwise provided for by or under this Act.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance (Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the Univeristy. The Treasure shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications, and emoluments of teachers and the appointment of and the fees payable to examiners, except after considering the adivice of the Academic Council and the Faculties concerned.

(5) The Executive Council shall give due consideration to the resolutions of the Court and take such action thereon as it shall deem fit and report it to the Court. Where, in any case, the Executive Council is unable to take action in accordance with any resolution it shall inform the Court of its reasons therefor.

(6) The Executive Council may, subject to conditions to be laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or Authority of the University."

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा २० की उपधारा (1) के अन्तर्गत भाग (a) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"(*a*) to hold and control the property and funds of the University and issue any general directive in that behalf."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा २० की उपधारा (3) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २१ का संशोधन।

१७--(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २१ को उपधारा (१) के रूप में संख्यातरित किया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय।

Provided that the number of members of the Academic Council shall not exceed seventy-five.

(२) निम्नलिखित को उक्त धारा की उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय।

standing committee of the Co..ncil academic.

"There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution, powers and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) में प्रस्तावित प्रतिबन्ध (proviso) के अन्तिम शब्दों "seventy-five" के स्थान पर संख्या "40" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

यू० पी० ऐक्ट, ५, १९२० की धारा २२ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

22. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) the Treasurer ;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be an employee of the University or a member of the Executive Council, to be appointed in the manner prescribed by the Statutes :

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

Committee of Reference.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be [Provided] prescribed by or under this Act.

(4) The Committee of Reference may, for any special reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under sub-section (3)."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा 22 को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"22. (1) The Committee of reference shall consist of--

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Treasurer;

(iii) Five members of the Court elected by it according to the system of proportional representation by means of the single transferable Vote ;

Provided that no member so elected shall be an employee of the University or a member of the executive council.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of reference shall deal with items of new expenditure only and its powers and duties in respect of such item shall be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ द्वारा प्रस्तावित धारा 22 की उपधारा (1) के भाग (iii) को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"(iii) Three members of the Court not being members of the Executive Council, to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, of whom one shall be a teacher of the University and the other two shall be persons not in the service of the University, a College, an Associated College or a Hall."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा 22 की उपधारा (1) के भाग (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(iv) Two representatives of the University Grants Committee."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा 22 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(3) The Committee of Reference shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २३ का संशोधन।

१९--मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

The faculties

23. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department of Teaching in the Faculty chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of Teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The senior most Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the senior most Reader thereof shall be the Head."

(7) The duties, powers and functions of the Heads of Department shall be prescribed by the Ordinances."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 23 के अन्त में निम्नलिखित उपधारा (8) के रूप में रख दिया जाय--

"(8) There shall be established Committees of courses and studies each in respect of one or more subjects of study. The Constitution of the Committees shall be prescribed by the Ordinances."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।).

खण्ड २०—२३

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २५ का संशोधन ।

२०—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and Such Other," के स्थान पर "such" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २६ का संशोधन ।

२१—मूल अधिनियम की धारा २६ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and of all other" निकाल दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में एक नई धारा का बढ़ाया जाना ।

२२—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26-A के रूप में रख दिया जाय—

"Manner of appointment of officers and members of Authorities.

26--A. (1) Save where expressly provided to the contrary, officers and members of the authorities of the University shall, be chosen in the manner prescribed by the Statutes.

(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any appointment by rotation according to seniority or other qualification, the manner of rotation or determination of seniority other qualification shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २७ का संशोधन ।

२३—मूल अधिनियम की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Statutes.

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following—

(*a*) The constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University ;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities and Boards of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) The institution and maintenance of Constituent Colleges and Halls ;

(*d*) the designation, manner of appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*e*) the classification and manner of recruitment of teachers ;

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(*ff*) the instituion of degrees and diplomas ;

(*g*) the conferment of honorary degrees ;

(*h*) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions ;

(*i*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition ;

(*j*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*k*) the establishment of departments of teaching in the Faculties ;

(*l*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*m*) the holding of Convocation ;

(*n*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes ; and

(*o*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २०, २१, २२ और २३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एजेंडा में कुछ संशोधनों में मोटे-मोटे अक्षरों में छापा गया और और कुछ संशोधनों में महीन अक्षरों में जैसे कि रोज छपता है छापा गया है । क्या मोटे-मोटे अक्षरों में इसलिए छाया गया है कि यह मंजूर करना है और यह मंजूर नहीं करना है ?

श्री अध्यक्ष—इसीलिए शायद धोखा हो गया, क्योंकि उनका संशोधन छोटे अक्षरों में था और लोग समझे कि नामंजूर होने वाला था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—इस बात का ख्याल रखना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—हां, इस बात का ख्याल रहना चाहिये ।

खण्ड २४

२४—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० का धारा २९ का संशोधन ।

"Ordinances. 29. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students tho the University or a Constituent College or an Associated College and their enrolment and continuanance as such ;

(*b*) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University ;

(*c*) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(*d*) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Halls maintained by the University ;

(*e*) the recognition of Halls not maintained by the University ;

(*f*) the number, qualifications, emoluments and other condiions of service (including the age of retirement) of the teachers and salaried officers of the University and the preparation and maintenance of a record of their service and activities;

(*g*) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(*h*) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in Halls ;

(*i*) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(*j*) the conduct of examinations ;

(*k*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(*l*) the conditions of the award of fellowships scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(*m*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ द्वारा प्रस्तावित धारा २१ की उपधारा (2) के भाग (f) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "their" और "service" के बीच में शब्द "academic" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित धारा २१ की उपधारा (2) के भाग (f) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "and" और शब्द "activities" के बीच में शब्द "academic and extra curriculum" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २५ व २६

२५—मूल अधिनियम की धारा ३० में—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३० का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के खंड (d) में शब्द "the Residence, Health and Discipline Board," के स्थान पर शब्द "the relative Board established under section 25" रख दिये जायं।

(१—क) उपधारा (१) में निम्नलिखित नया खण्ड (e) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(*e*) affecting the income or expenditure of the University unless a draft of such ordinance has been submitted to the State Government and the State Government does not object."

(२) उपधारा (३) में शब्द "make by the Executive Council" और शब्द "Shall" के बीच में शब्द "shall have effect from such date as it may direct and" रख दिये जायं।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३१ में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३१ का संशोधन।

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Board of the Faculty concerned but may reject the draft received or return it to the Board of the Faculty concerned for further consideration together with its own suggestion.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड २६—क

श्री किन्दर लाल (जिला हरदोई)—मेरा यह जो संशोधन २६—क के बारे में है, इसमें आखिर में "by any authority" के और "other than the Court" के बीच में "of the University" जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड २६—क के रूप में जोड़ दिया जाय—

"२६—क—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (३) के अन्त में प्रतिबन्धात्मक वाक्य से पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"by any authority of the University other than the Court"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड २६—क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में २ नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक "Teachers" के अन्तर्गत धाराएं 31-A और 31—B के रूप में बढ़ा दी जायं—

"Teachers"

31-A. (1) Subject to the provisions this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) Every teacher appointed under sub-section (1) shall in the first instance, be on probation for such period as may be prescribed by the Statutes and he shall not be confirmed :

(*a*) if he is a teacher of the University except by the order of the Executive Council after considering the reports of the Vice-Chancellor and the Head of the Department and the Dean concerned, and

(b) If he is a teacher of an Associated College, except by the order of the Management after considering the report of the senior teacher of the subject and the Principal of the College.

(3) The Executive Council or the Management, as the case may be, may make officiating appointments in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference."

31-B. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study consisting of:—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the chairman ;

(ii) the Dean of the Faculty concerned ;

(iii) two experts in the case of appointment of a Professor or Reader and one expert in other cases, to be appointed by the Chancellor ;

(iv) the Head of the Department concerned except where he is a candidate for the appointment ;

(v) two members of the Executive Council, not being teachers to be chosen by the Council in the manner prescribed by the Statutes ; provided that the

same two members may serve on more than one Committee or on all Committees ;

(vi) the Principal and one representative of the Management of the College where the appointment is to be in an Associated College.

(2) The experts referred to in sub-cluse (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall obtain from such Universities established by law in India and such research institutes and learned societies as he may deem fit, the names of experts in the particular subject and all names so obtained shall be included in the panel. The panel shall unless the Chancellor directs otherwise, be revised after every two years.

(4) Where the Selection Committee has recommended the name of a person for appointment as teacher and the recommendation is supported by a majority of the members of the Committee including two experts, the Executive Council, or as the case may be, the Managemenet shall either accept the recommendation or refer the case to the Chancellor with its comments.

(5) Where in any case a Selection Committee has recommended the name of a person and the recommendation is supported by a majority of the members of the Committee but not by at least two experts, the Executive Council or the Management, as the case may be, shall refer the case to the Chancellor, with its own recommendation thereon, and the opinion of the experts ;

Explanation. For the purpose of sub-sections (4) and (5) the Head of the Department if he is a member shall be deemed to be an expert.

(6) Where a reference has been made to the Chancellor under sub-section (4) or (5), the Chancellor shall be free to appoint such person as he considers suitable.

(7) The Selection Committee shall subject to availability of suitable candidates, recommend more than one person against each vacancy and place their names in the order of preference. It shall not be open to the Executive Council or the Management, as the case may be, to depart from the order in which the names are recommended.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नई धारा 31—A में निम्नलिखित नई उपधारा (4) जोड़ दी जाय—

"(4) Principals and teachers other than teachers referred to in sub-section (1) shall be appointed by such authorities and in such manner as may be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)–31—A में जो नयी उपधारायें (4) और (5) हैं उनमें मैं (5) को पेश करना चाहता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—मेरा भी इसमें संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—मूल संशोधन इस प्रकार है कि खंड २७ में प्रस्तावित नयी धारा 31—A में निम्नलिखित नयी उपधारा (5) जोड़ दी जाय—

"(5) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. The Constitution, powers and functions of the Selection Committees and the procedure to be followed in making appointments shall be prescribed by the Statutes."

उक्त मूल संशोधन में निम्न संशोधन करने की तजवीज है:—

मूल संशोधन के शब्द "Study" के बाद वाला पूर्ण विराम "." और शब्द "The constitution.....Statutes." निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"consisting of—

(*a*) (i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman ;

(ii) The Dean of the Faculty concerned;

(iii) Three experts in the case of appointment of a Professor and two experts in other cases to be appointed by the Executive Committee ;

(iv) The head of the Department concerned except where he is a candidate for the appointment ;

Explanation.—The head of the Department if he is a member shall be deemed to be an expert.

(v) The Principal and one representative of management of the college where the appointment is to be in an Associated College ;

(*b*) The experts referred to in sub-caluse (iii) of sub-section (*a*) shall be appointed by the Executive Committee out of a panel prepared under the following sub-section (*c*).

(*c*) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall obtain from such universities established by Law in India and such research institutes and learned societies as he may deem fit, the names of experts in the particular subject and all names so obtained shall be included in the panel. The panel shall unless the Chancellor directs otherwise, be revised after every two years.

(*d*) If a recommendation of a majority of members of the selection committee is supported by at-least two experts, the Executive Council shall either accept the recommendation or send it back to the Selection Committee stating its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon, reviewits recommendations in the light of the reasonsgiven by the-

Executive Council where the Selection Committee reiterates its original recommendations, it shall be accepted by the Executive Council. In case the Selection Committee makes a fresh recommendation it shall be treated as though it were an original recommendation.

Provided that if in any case the opinion of a majority of members of the Selection Committee is not suppoorted by at least two experts, the opinion of the majority as well as that of the dissenting experts shall be forwarded to the Executive Council which shall refer the case to the Chancellor with its own recommendations and the decisions of the Chancellor in respect of the appointment shall be final.

(*e*) The Slection Committee shall subject to availability of suitable candidates, recommend more than one person against each vacancy and place their names in the order of preference. It shall not be open to the Executive Council or the managment, as the case may be, to depart from the order in which the names are recommended."

प्रश्न यह है कि संशोधन का यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ में प्रस्तावित नयी धारा 31—A में निम्नलिखित नयी उपधारा (५) जोड़ दी जाय—

"(5) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. The constitution, powers and functions of the Selection Committees and the procedure to be followed in making appointments shall be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ में प्रस्तावित नयी धारा 31-B निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८—२९

२८—मूल अधिनियम की धारा ३२ से शब्द "in a College or Hall, or" निकाल दिये जांय। यू०पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३२ का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३३ का संशोधन।

२९—मूल अधिनियम की धारा ३३ में—

(१) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) Halls maintained by the University shall be such as may be named by the Statutes."

(२) उपधारा (2) से शब्द "Colleges and" निकाल दिये जायं।

(३) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) The conditions of residence in Halls and other places of residence for students of the University shall be prescribed by the Ordinances and every Hall and such other place shall be subject to inspection by an officer of the University or other person, authorised in this behalf by the Executive Council."

(४) उपधारा (4) और उसके प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "College or Hall" के स्थान पर शब्द "Hall or other place of residence for students of the University" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ और २९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में तीन नयी धाराओं का बढ़ाया जाना।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारायें 31—A, 33—B और 33—C के रूप में बढ़ा दिया जाय—

Associated Colleges.

33-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or Colleges or with the University for Co-operation in the work of teaching.

(3) The Conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the Management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the College and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be with-

drawn by the Executive Council if it is satisfied after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

The Delegacy

33-B. There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any Constituent College or Hall. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes.

33-C. (1) Constituent Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) The Principal of a Constituent College shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the College and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the College. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० में प्रस्तावित धारा 33-A की उपधारा (1) को निम्नरूप में रख दिया जाय :

"33-A. (1) Associated colleges shall be such as may be named by the Statutes and shall not exceed ten in number."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३१

यू०पी०ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३४ का संशोधन ।

३१—मूल अधिनियम की धारा ३४ में—

(१) उपधारा (1) में शब्द "including at least one Principal and one Provost" निकाल दिये जायं ।

(२) उपधारा (4) में शब्द "State Government" के स्थान पर शब्द "Chancellor" रख दिया जाय ।

(३) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(5) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or a Constituent College or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३१ के उपखंड (३) में प्रस्तावित नयी उपधारा (5) में शब्द "whose work is unsatisfactory" के स्थान पर शब्द "who does not abide by the rules and regulations of the University" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३२

यू०पी०ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३५ का संशोधन ।

३२—मूल अधिनियम की धारा ३५ में—

(1) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(5) At least one person who is not an employee of the University, a Constituent College, an Associated College or a Hall shall be appointed examiner for each subject of study for a degree."

(२) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(३) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(5) Every person appointed as examiner shall as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३४

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३७ का संशोधन ।

३४—मूल अधिनियम की धारा ३७ में—

(१) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, and all moneys accruing to or received by the University

नोट—खंड ३३ प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया ।

from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(1-A) A copy of the accounts and the balance sheet shall be submitted to the State Government which shall cause an audit to be carried out by auditors of high standing.

(2) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government.

(२) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2–A) और (2–B) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(2-A) It shall be lawful for the State Government to require any person who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, to reimburse the amount so spent and the State Government may take all such steps as may be deemed necessary ;

Provided that the State Government shall before requiring any person as aforesaid give him a reasonable opportunity of making a representation."

(2-B) In sub-section (6) the following words occurring after the words "Executive Council" shall be deleted "which shall take them into consideration, and take such action thereon as it thinks fit."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय :

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (*c*) of sub-section (1) of Section 20, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the budget."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (२) और (२–अ) के रूप में रख दिये जायं—

"(२) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2-A) के रूप में रख दिया जाय—

"(2-A) It shall be lawful for the State Government to require any person who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, re-imburse the amount so spent and the State Government may take all such steps as may be deemed necessary ;

Provided that the State Government shall before requiring any person as aforesaid give him a reasonable opportunity of making a representation."

"(२–अ) उपधारा (6) में शब्द "Executive Council" के पश्चात् आने वाले निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं––

'Which shall take them into consideration, and take such action thereon as it thinks fit."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३४ में प्रस्तावित धारा ३७ में आने वाले शब्द "State Government" के स्थान पर शब्द "University" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३५

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०, की धारा ३९ का संशोधन ।

३५––मूल अधिनियम की धारा 39 में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय––

"or whether any decision of the University or any authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances."

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३५ को निम्नरूप में रख दिया जाय––

"३५––मूल अधिनियम की धारा ३९ में शब्द 'Chancellor' के बाद के शब्द 'Whose decisions thereon shall be final' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

'Who shall if he thinks necessary appoint a Judicial Committee of three persons to be nominated by him to advise him on points of law and the Chancellor's decision on the matter in dispute shall be final.'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३६––३८

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४१ का संशोधन ।

३६––मूल अधिनियम की धारा ४१ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय :

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body,

whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appionted."

३७—मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द 'members' के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाय — यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४२ का संशोधन।

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

३८—मूल अधिनियम की धारा ४४ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act, 1940 (Act X of 1940)" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४४ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६, ३७ और ३८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३९

३९—मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुए भी लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चलकर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा विचार है कि "संगठित" के बजाय "पदासीन" रख दिया जाय अर्थात् "पदासीन वाइस चांसलर और" शब्द रख दिये जायं तो ठीक होगा।

श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र—श्रीमन्, यही ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इसका मतलब यह मालूम पड़ता है कि "पदासीन और संगठित और आफिसर्स आफ दि यूनिवर्सिटी।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ की चौथी पंक्ति में शब्द "संगठित" के पश्चात् शब्द "वाइस चांसलर और" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ३९—अ

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपरान्त निम्नलिखित नये खंड ३९—अ के रूप में सम्मिलित कर लिया जाय —

"३९—अ—मूल अधिनियम अथवा संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी संशोधन अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् चांसलर किसी भी समय किसी व्यक्ति

[श्री अध्यक्ष]

को वाइस चांसलर नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के लिये धारा ११ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइस-चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड ३९-अ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४०

४०—संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये बैध होगा कि वह इस सम्बन्ध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार युनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमों के प्रचलित होने के दिनांक निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :

"४०(१) इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह इस सम्बन्ध में ऐसा कोई भी कार्य करे जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अन्तर्गत युनिवर्सिटी के प्राधिकारियों का संगठन किसी नये परिनियम (Statute) का बनाना या किसी परिनियम का संशोधन और ऐसे परिनियमों या संशोधनों के प्रचलित होने के दिनांक का नियत किया जाना भी है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी परिनियम या संशोधन का वही बल और प्रभाव होगा जैसा कि मूल अधिनियम की धारा २८ के अनुसार और उसके अधीन निर्मित परिनियम (Statute) या संशोधन का हो।

(३) उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग जब जब आवश्यकता पड़े किया जा सकता है पर इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के १८ महीने के पश्चात् उपयोग नहीं किया जा सकता।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१

४१—(१) राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification) परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे ; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय ; या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जायगा कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू०पी० ऐक्ट ५, १९२०।

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को संशोधित करना आवश्यक है; अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय वाचन पर बोलते हुये मैं इस बात का अफसोस जाहिर करना चाहता हूं कि इधर इस साल सरकार का ऐसा रवैया रहा है कि वह महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बिल इतनी जल्दी में पास करा ले रही है कि जिससे हाउस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती जा रही है और इस का नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा।

मिसाल के तौर पर आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा क्षेत्रों के तीन महत्वपूर्ण विधेयक बहुत ही जल्द से जल्द पास करा लिये गये हैं। मैं ज्यादा न कह कर इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ९७ संशोधनों में से केवल २७ संशोधनों पर तथा ४१ धाराओं में से १० धाराओं पर विवाद हो सका है। इसी प्रकार हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक में भी और जमींदारी एबालीशन बिल पर जब विचार हो रहा था उस समय भी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बिजनेस कमेटी है उसमें भी इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि इतने महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्दी-जल्दी न पास किया जाय। बहरहाल, तीन विधेयक शिक्षा के सम्बन्ध में इस सदन में एक साल के अन्दर पास करा लिये गये। हमें आशा थी कि ८ साल के कांग्रेसी सरकार के शासन के बावजूद कोई शिक्षा योजना बनाकर सरकार काम करेगी लेकिन सरकार ब्रिटिश सरकार की लकीर की फकीर बनी हुयी है। आज जब कि और देश यह सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में शिक्षा किसको दी जाय और कितने लोगों को दी जाय या न दी जाय, क्या टेक्निकल शिक्षा ही उच्च शिक्षा के लिये रखी जाय तब इस सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा के यूनिटरी और रेजीडेंशल कैरेक्टर को तो हम खैरबाद कह चुके लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति-जनक बात यह है कि सरकार लगातार सरकारी कंट्रोल विश्वविद्यालयों पर बढ़ाती जा रही है। यद्यपि राधाकृष्णन कमेटी ने साफ शब्दों में कहा है कि स्टेट फाइनेंस को स्टेट कंट्रोल से कन्फ्यूज नहीं करना चाहिये। उसके बावजूद भी स्टेट कंट्रोल बढ़ाती जा रही है। चांसलर के अधिकार बढ़ाये गये हैं उस पर आक्षेप हम कर चुके हैं लेकिन इधर श्रीमन्, शिक्षामंत्री का व्यवहार शिक्षा संस्थाओं में इतना सख्ती का हो रहा है कि अभी हाल ही में मैंने सुना कि फतेहगढ़ के एक कालेज के सम्बन्ध में जब माननीय शिक्षा मंत्री वहां गये तब वहां उन्होंने यह कहा कि जब तक सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के हाथ में इस कालेज का प्रबन्ध रहेगा तब तक इसे ग्रान्ट नहीं दी जा सकेगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, मैं इतना कहना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आप जवाब दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--वे बैठ नहीं रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--लेकिन उन्हें ऐसी गलत बात तो नहीं कहनी चाहिये। वे अपोजीशन के डिप्टी लीडर हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--वहां शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक सोशलिस्ट पार्टी के लोगों का इस कालेज में बहुमत रहेगा तब तक इस आदेश को वापस लेने के लिये वे तैयार नहीं हैं लेकिन अगर ये लोग इस्तीफा दे देंगे तो वे फौरन ग्रांट दे देंगे। तो इस तरह की बातें आये दिन होती रहें यह ठीक नहीं है। हमारी तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री के लिये यह तो

बार बार कहा जा चुका है कि एक मिलीटेंट रेस के आदमी हैं और मिलीटेंसी के लिये फौज और पुलिस में महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है बनिस्बत शिक्षा के लेकिन यह हमारी शिकायत है कि इस मिलिटेंसी का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी को भी अवहेलना करती जाती है। इस विधेयक में ऐसे आपत्तिजनक अधिकार लिये जा रहे हैं जैसे कि टीचर्स का रेकर्ड रखना। आज जब झारखंडे राय जी जब कोई बात कहते हैं तब तो शिक्षा मंत्री जी रूस और चीन की thought regimentation की बात करते हैं और जब यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की बात चलती तो यह रखा जाता है कि निजी विचारधारा भी नहीं रखी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी को भी अपने निजी विचारों को रखने का अधिकार है चाहे वह सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे जनसंघी हो चाहे रामराज्य परिषद् का हो लेकिन सरकार की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रतिकूल होते ही जब शिक्षामंत्री जी उसको देखते हैं तो वे तिलमिला उठते हैं और हर जा बेजा तरीके से कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को वहां न रख दिया जाय और यह मैं समझता हूं कि यह स्टेट के लिये कोई शुभ बात नहीं है। और न अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि इस सरकार से कुछ कहना बेकार ही सा है लेकिन मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्दी जल्दी पास कर देना अच्छा नहीं है। मैं तो निजी तौर पर पार्टी के लोगों की भावनाओं को अपने साथ रखते हुये कह सकता हूं कि जितनी जिम्मेदारी से इस सदन में हमें कार्य करना चाहिये वह नहीं हो सका। अन्त में हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस किस्म की बातें न दोहराई जावें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, द्वितीय वाचन के अवसर पर और प्रथम वाचन के अवसर पर भी माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने बार बार इस सदन को आश्वासन दिलाया था कि हम ऐसे संशोधनों को स्वीकार करेंगे जिनका कि महत्व यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली के समुचित दृष्टिकोण से और एक स्वतंत्र वातावरण के दृष्टि कोण से, एक आटोनोमी के दृष्टिकोण से उचित समझा जायगा। मैं इसकी आशा करता था कि यह गिलोटीन होते ही मैं नहीं जानता कि गिलोटीन शब्द उत्तम है या नहीं लेकिन गिलोटीन होते ही ऐसे संशोधन अवश्यक स्वीकार किये जायगें लेकिन जो संशोधन जल्दी जल्दी में मंजूर किये गये हैं उनसे मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है।

सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि शायद हमारी सरकार को यूनिवर्सिटी का करेक्टर और टीचिंग रेजीडेंशियल करेक्टर कायम करने की जो हिम्मत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विधेयक के समय में थी वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस विधेयक के समय में बिल्कुल नहीं रही। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में माननीय शिक्षा मंत्री ने ऐसे संशोधन मंजूर कर लिये कि केवल ४ एसोशियेटेड कालेज यूनिवर्सिटी का अंग बनेंगे, वह ऐसा कोई संशोधन लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में मंजूर नहीं किया गया। इसमें न तो एसोशियेटेड कालेजेज की संख्या ही निश्चित की गई है और न कांस्टीट्यूयेन्ट कालेजेज की संख्या निश्चित की गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई ऐसी चीज हुई नहीं है चार कालेजेज के बारे में जैसा आप कह रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा ख्याल है कि इलाहाबाद में हुई थी और उसे इस सदन में स्वीकार किया गया था। मेरी याद तो ऐसी ही है और यदि मैं गलत होऊं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी सही कर दें।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप ने ठीक कहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो इलाहाबाद युनिवर्सिटी के संबंध में तो हमने यह निश्चित कर दिया है कि वहां ४ एसोशियेटेड कालेज से ज्यादा न होंगे लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की और यह साफ कर दिया कि जितने हायर सेकेन्डरी स्कूल हों वह भी एसोशियेटेड कालेज हो सकते हैं। आज करीब ९ के एसोशियेटेड कालेज हैं। तो यह जो एक प्रकार का डिस्टिंक्शन किया गया है इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीच में, उसे मैं उचित नहीं समझता हूं। अब मैं क्या कहूं? उस समय कुछ कहने का मौक़ा नहीं था नहीं तो मैं अपनी पूरी शक्ति से कहता कि इस समय जितने कालेज रिकग्नाइज किये जा चुके हैं उतने ही रहने दिये जायं, शायद कोई गुन्जायश निकल आये और स्टैंडर्ड की कमी न हो। मैं नहीं समझता कि क्या कारण रहा कि जिसके कारण हमारे माननीय मंत्री जी ने लखनऊ के सम्बन्ध में इस प्रकार का डिस्टिंक्शन किया.....

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं कारण बता दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, बतलाइयेगा। मैं तो समझता हूं कि यह लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को गिराने का ही प्रयास है और उसको किसी प्रकार बढ़ाने की बात नहीं है। और जैसा कि श्री नेकराम शर्मा जी ने प्रथम वाचन के अवसर पर बोलते समय बतलाया था कि यहां बहुत से ऐसे कालेजेज रिकग्नाइज किये गये कि जिनके पास न तो बिल्डिंग है और न कोई साधन है और किसी प्रकार की वह शिक्षा के दायित्व को पूरा नहीं कर सकते।

दूसरी बात जो मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है वह डिसिप्लिनरी कमेटी का जो नया विधान रखा गया है उसके बारे में है। मुझे आज यह एक बात दिखलाई दी कि माननीय मंत्री जी ने उन सब संशोधनों को स्वीकार कर लिया है जिनको कि उस सेलेक्ट कमेटी ने एप्रूव किया है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक के सिलसिले में लेजिस्लेटिव कौंसिल में बनी थी। यह अच्छा ही हुआ कि नाममात्र के लिये कुछ सुधार जो उस सेलेक्ट कमेटी ने मंजूर किये थे उनको यहां भी स्वीकार कर लिया गया है यह बात जो हुई है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई तो नहीं दे सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे विधेयक का स्वरूप कुछ माने में अच्छा हुआ है। जैसा कि कमेटी आफ रिफ़रेंस में उन्होंने एक टीचर को रख लिया है कि एक टीचर उस कमेटी आफ़ रिफ़रेंस का मेम्बर हो सकता है जो एक्जीक्युटिव काउन्सिल का मेम्बर न हो। मैं क्या कहूं मैं तो कमेटी आफ रिफ़रेंस में यह चाहता हूं कि केवल एक टीचर का ही प्रतिनिधित्व न हो बल्कि उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधित्व न हो। आप देखेंगे कि उसमें दो सदस्य स्टेट गवर्नमेंट के नौमिनीज हैं। माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि अब अध्यापक के उस कमेटी आफ रिफ़रेंस में आ जाने से उसका दृष्टिकोण बदल जायगा लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी सम्भावना बहुत कम है। यह बहुत अच्छा होता अगर यूनिवर्सिटी की फ़ाइनेन्शियल आटोनौमी को सुरक्षित रखना था तो उस कमेटी आफ़ रिफ़रेंस में किसी प्रकार से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का नौमिनी न होता।

दूसरी बात डिसिप्लिनरी कमेटी के सम्बन्ध में है। इस पर माननीय मंत्री जी ने एक नई बात यहां पर आज पेश की। जो पहले उनका विचार था कि चांसलर महोदय के किसी फ़ैसले पर आर्बिट्रेशन न हो सकेगा, उसको बदल दिया है और अब इस बात की गुंजाइश है कि अगर चांसलर महोदय ने कोई फ़ैसला किया इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर और एक्जीक्यूटिव कौंसिल की रिपोर्ट पर तो उसमें शायद आर्बिट्रेशन में मामला जा सकता है धारा ४४ के अनुसार। श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं कि यह धारा जो इन्क्वायरी कमेटी के बारे में है यह ऐसी धारा है जो आने वाले वर्षों में अवश्य ही विश्वविद्यालय के प्रशासन में एक विडम्बना उपस्थित कर देगी क्योंकि अब इसमें एक पचड़ा नहीं बल्कि अनेक समस्याएं खड़ी हो जायंगी। जैसे कमेटी के सामने कोई अनुशासन का मामला गया, वाइस चांसलर महोदय

मे स्टेट्यूट्स के अनुसार इन्क्वायरी कमेटी बनाई उसमें मतभेद हो गया, एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के सामने मामला गया उसमें मतभेद हुआ, चांसलर साहब के सामने मामला गया उसमें जो फ़ैसला हुआ उसके खिलाफ़ आर्बिट्रेशन हुआ। तो एक ऐसी भूल-भुलइया हो जायेगी कि न तो अनुशासन की बात रह जायेगी और न अध्यापक समाज में कोई विश्वास रह पायेगा, एक विक्टमाइजेशन का वातावरण रहेगा और वाइस-चांसलर की जो प्रतिष्ठा विद्वत्ता के दृष्टिकोण से होनी चाहिये, उस दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अनुशासन के दृष्टिकोण से वाइसचांसलर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। श्रीमन्, आप महसूस करेंगे कि यूनिवर्सिटी में प्रशासन का उतना महत्व नहीं होता जितना विद्वत्ता का। हमें तो वाइस-चांसलर को ऐज़ ऐन ऐडमिनिस्ट्रेटर उतना महत्व नहीं देना है जितना उनकी ऐकेडेमिक क्वालिफ़िकेशन के लिहाज़ से देना है। तो वाइस-चांसलर को अगर अनुशासन के सम्बन्ध में एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल से अलग कर एक नये मुखिया के रूप में रखते हैं तो अध्यापक संसार के लिये एक सन्देह का विषय हो जाता है। तो इस लिये जो कमेटी का पुनर्निर्माण हुआ है यह भी मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं हुआ है।

इसके बाद माननीय मंत्री जी ने एक थोड़ा सा कन्सेशन दिया है, उसको मैं नाम-मात्र कह सकता हूं। वह इस प्रकार है कि उन्होंने एक तो डीन आफ फ़ैकल्टीज़ की संख्या के अनुसार चांसलर के नामज़द सदस्यों की संख्या रखी है और दूसरे जो नई बात आज प्रस्तुत की है वह ऐसे लोग भी वोट दे सकते हैं एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल की सदस्यता के लिये जिनका कि यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध है, वह वोट दे सकते है, चाहे खड़े न हो सकें। यह अवश्य एक कन्सेशन है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इससे राधाकृष्णन कमीशन की, सेन्ट्रल ऐडवाइज़री बोर्ड आफ एजूकेशन की वह सिफारिशें पूरी नहीं होतीं जिसमें यह कहा गया है कि एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल में टीचर्स की मैजोरिटी होनी चाहिये। यह हो सकता है कि अगर चुनाव ठीक प्रकार से हो जाय तो एक बैलेन्स मेन्टेन रहे इन्टर्नल साइड में और ऐक्सटर्नल साइड में, टीचर्स के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में और.....

श्री हरगोविन्द सिंह——राधाकृष्णन कमीशन ने ऐक्सटर्नल एण्ड इन्टर्नल ही कहा था, टीचर और नान-टीचर नहीं कहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी——जी उसका मतलब यही है। तो सेन्ट्रल ऐडवाइज़री बोर्ड आफ़ ऐजूकेशन, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री नहीं थे, शायद भूतपूर्व शिक्षा मंत्री सदस्य थे उसने एक मत से सिफारिश की थी कि एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल में टीचर्स का बहुमत होना चाहिये, इंटर्नल साइड का बहुमत होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि आप स्कोप से बाहर जा रहे हैं। थर्ड रीडिंग में नियम यह है——

"The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments with regard to the effect of amendments made in the bill."

यानी बिल में जो पहले से था उसी को रिपीट नहीं करना चाहिये। अमेंडमेंट से क्या रिजल्ट निकलता है उस पर डिस्कशन होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी——आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे, इसमें एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के सम्बन्ध में दो संशोधन मंजूर हुये हैं। एक डीन आफ़ फ़ैकल्टीज़ जितने हैं उतने आदमी चांसलर द्वारा नामज़द किये जायंगे, यह है, और दूसरा यह है कि जो सदस्य चुने जायेंगे उनको वह भी चुन सकेंगे जिनका यूनिवर्सिटी से कनेक्शन है। तो मैं यह साबित कर रहा हूं कि जो बैलेंस एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल में रहेगा.....

श्री अध्यक्ष——मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसको तो आप ने कंसेशन कहा और ओरिजिनल था विधेयक में वह इससे भी रिट्रोग्रेड था। यह आप ने कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप ने ओरिजिनल को तो पहले भाषण में रिट्रोग्रेड कह कर अटैक कर दिया। अब आप उसी को फिर यहां भी अटैक कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--हां। तो मैं श्रीमन्, कह रहा था कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की सिफारिश के अनुसार भी यह आवश्यक था कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में इन्टर्नल साइड यानी टीचर्स का बहुमत रहना आवश्यक था और यही यूनिवर्सिटी के प्रशासन के हित में था और अगर ऐसा संशोधन स्वीकार हो जाता तो मैं उनको बधाई दे सकता था।

चौथी बात मैं सेलेक्शन कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। जो कि आज माननीय मंत्री जी ने संशोधन स्वीकार किया है उसके अनुसार अब सेलेक्शन कमेटी का निर्माण स्टेच्यूट्स के अनुसार होगा। आप यह जानते हैं कि फर्स्ट स्टेच्यूट्स तो गवर्नमेंट बनायेगी और वह कम से कम आने वाले तीन सालों के लिये तो अवश्य माननीय रहेगा। श्रीमन् सेलेक्शन कमेटी को स्टेच्यूट्स में माननीय मंत्री जी ने इसलिये डाला कि एक तो सदन में उन्होंने यह देखा कि कितना विरोध सेलेक्शन कमेटी के निर्माण और चांसलर के अधिकार के संबंध में हुआ था। अब मैं यह तो नहीं कहता कि फर्स्ट स्टेच्यूट्स में गवर्नमेंट क्या रखेगी लेकिन यदि माननीय मंत्री जी इस सदन से आंख बचा कर बाहर न निकलते और यह स्पष्ट करते कि चांसलर को कितने अधिकार देना चाहते हैं और एक्सपर्ट्स का चुनाव किस तरह से होना चाहिये, तो ज्यादा उचित होता। मैंने तो इस सम्बन्ध में काफ़ी सोचा है। अगर सेलेक्शन कमेटी का कांस्टीट्यूशन विधेयक में दे दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन फर्स्ट स्टेच्यूट्स को देखते हुये मैं इतना अवश्य कहूंगा कि वह यूनिवर्सिटी के स्टेच्यूट्स को सदन की मेज पर अवश्य रखें। मुझे दुख है कि आगरा यूनिवर्सिटी के स्टेच्यूट्स मेज पर नहीं रखे गये। भले ही नियमों में ऐसी कोई बात न हो लेकिन माननीय मंत्री जी कम से कम लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टेच्यूट्स को मेज पर रखें। समय काफी हो चुका है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। केवल इतना ही कहूंगा कि हम आज जो विधेयक पास कर रहे हैं, जो इसके स्वीकृत संशोधनों का पर्याय है इसके महत्व को हमें घटाना या बढ़ाना नहीं है, उसका महत्व अवश्य है। हमें केवल इस बात का दुःख है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में जो दरअसल संशोधन होने चाहिये थे और जो व्यवस्था और विधान में संशोधन होने चाहिये थे, जिनको कि हमारे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने अपने कमीशनों की सिफारिशों के अनुसार हमारे सामने उपस्थित किया, यह उनके अनुसार नहीं है। लेकिन फिर भी हम हृदय से प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं कि जैसा भी यह विधेयक अधूरा या कचरा पास हो रहा है, यह विश्वविद्यालयों के निर्माण में पूरी सहायता दे। यह आशा हो सकती है आगे चल कर कि इसमें संशोधन लाये जायं लेकिन फिर भी इस समय विश्वविद्यालयों के लिये किसी प्रकार की बुराई की कामना करना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं यह आशा और प्रार्थना करके इस विधेयक का स्वागत तो नहीं करूंगा, इतना ही कह सकता हूं कि जैसा यह विधेयक जा रहा है विश्वविद्यालयों के सामने यह भली प्रकार कार्यान्वित किया जायगा ताकि उनका प्रबन्ध अच्छी तरह से सम्पन्न हो सके।

श्री नवल किशोर--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक इस विधेयक के ऊपर तृतीय वाचन समाप्त न हो तब तक सदन बैठे।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये दो घंटे का समय था। मैं आपको इस पर राय लेने के पहले सुना देना चाहता हूं। अभी यह ३.१८ पर शुरू हुआ है और प्रथम वाचन में श्री गुप्ता जी ने २० मिनट ज्यादा ले लिये थे। उस हिसाब से यह ५ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये क्योंकि मैंने कहा था कि यह समय तृतीय वाचन में से घटा दिया जायगा। तो इसके लिये इस प्रकार से एक घंटा ४० मिनट बाक़ी रह जाते हैं यानी इसका समय ५ बजे समाप्त होता है हर हालत

में। मैं भाषण देने वालों को सूचना दिये देता हूं कि यह ५ बजे समाप्त हो जायगा। मैं आपका प्रस्ताव ले रहा हूं। ऐक्सटेंशन एक घंटे का ही हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर आप पहले बतला देते तो मैं और ज्यादा बोलता।

श्री अध्यक्ष--मुझे क्या मालूम था कि ऐसा प्रस्ताव आने वाला है।

(कुछ ठहर कर)

क्या सदन की राय है कि जब तक यह विधेयक खत्म न हो जाय तब तक बैठें और आखिरी समय ५ बजे तक रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बिल पेश है इसको इलाहाबाद यूनीवर्सिटी विधेयक के बराबरी पर ही रहने दिया है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं यह कहूंगा कि उससे भी नीचे इसे गिरा दिया गया है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल जब हमारे सामने आया था तो उसमें सब से बड़ी बात यह थी कि वह मूथम कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था और उसमें जो एफीलियेटेड कालेजेज थे उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई थी लेकिन जो यह बिल पास हो रहा है, इसको भले ही यह कह दिया जाय कि यह भी कुछ कमेटियों पर आधारित है लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं तो यह कहूंगा कि हो सकता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता पर निर्धारित हो लेकिन यह किसी कमेटी की रिपोर्ट पर निर्धारित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भाषण देते समय बतलाया था कि इसकी प्रत्येक धारा ने राधाकृष्णन् कमीशन, मूथम कमेटी तथा आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की बातों को नहीं माना है। उनकी अवहेलना की है।

जहां तक वाइस-चांसलर के सम्बन्ध की बात है उसमें चांसलर को बहुत लिमिटेड पावर्स (सीमित अधिकार) थीं.....

श्री अध्यक्ष--जो संशोधन स्वीकृत हुये हैं उनसे क्या परिणाम निकलता है उसके ऊपर ही आप अपने भाषण को सीमित रखें और उनके ऊपर ही आप टीका टिप्पणी अपने भाषण में कर सकते हैं। लेकिन जो मूल अधिनियम में खंड थे उनके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो वह नहीं हो सकता है बल्कि जो संशोधन हो चुके हैं उसके परिणाम पर ही आप कह सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--इस समय जिस प्रकार की पावर्स चांसलर के ऊपर लाद दी गई हैं उनसे मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की आटोनामी या स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। चांसलर को इस बिल के द्वारा इस प्रकार के नामिनेशन्स का अधिकार दिया गया है जो प्रजातंत्र प्रणाली में कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है।

वाइस चांसलर का जहां तक प्रश्न है, हमारे राधाकृष्णन कमीशन ने और सभी कमीशनों ने इस बात के लिये कह दिया है कि इस प्रकार से वाइस चांसलर होने चाहियें, लेकिन इस बिल द्वारा जो वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई है उसे कदापि संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि उसके लिये कोई योग्यता और अनुभव निर्धारित नहीं किया गया है और उसको इस प्रकार से अधिकार दिये गये हैं, जिनका मुझे संदेह है कि बहुत हद तक दुरुपयोग हो सकता है। वाइस-चांसलर को अध्यापकों के ऊपर अनुशासन करने की जो शक्ति दी गयी है इसको अगर 'पोलिटिकल मेजर कमेटी' कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। उससे जो हमारे विश्वविद्यालयों में विचारों की स्वतंत्रता थी वह छीन ली गयी है। अब यह बिल्कुल निसन्देह कहा जा सकता है कि अब जो अध्यापक नौकरी करना चाहेंगे उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे वाइस-चांसलर के विचारों के हों। इसी प्रकार से वाइस-चांसलर को और न जाने कितने प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरर को भी

[श्री जोरावर वर्मा]

इस प्रकार से शक्ति सम्पन्न कर दिया गया है कि उसको फाइनैन्शल मैटर्स में एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी से भी अधिक अधिकार दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--आप तो विधेयक पर ही भाषण दे रहे हैं। आप उन संशोधनों के ऊपर बोल नहीं रहे हैं जिन्हें सदन ने स्वीकार किया है।

श्री जोरावर वर्मा--जी, अच्छा। उसको इतनी अधिक शक्ति दे दी गयी है कि मुझे इसमें शंका है कि यूनिवर्सिटी के बजट में भी वह बहुत बड़ा हस्तक्षेप करेगा।

श्री अध्यक्ष--आप अपने भाषण को जल्द समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके ख़याल में वह बात नहीं आ रही है।

श्री जोरावर वर्मा--अच्छी बात है। इसी प्रकार से इस बिल के द्वारा प्रजातंत्रात्मक प्रणाली को और विचारों की स्वाधीनता का हनन किया गया है और यूनिवर्सिटी को इस प्रकार से दासता की शृंखला में बांध दिया गया है जो भविष्य के लिये बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि विचार किसी के बन्धन में नहीं रहते हैं। यह भविष्य के लिये और इस समय के शिक्षित समाज के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कोई भी व्यक्ति यूनिवर्सिटी को अपना पोलिटिकल क्षेत्र बना कर वहां के विचारों को दासता के बन्धन में बांधे तो बांध नहीं सकता।

एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी के बारे में मंत्री जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही कि राधाकृष्णन् कमीशन ने पैरिटी के विषय में यह नहीं कहा है कि अध्यापकों की उसमें आवाज़ होनी चाहिये। आपकी आज्ञा से मैं दो-तीन लाइनें पढ़ देना चाहता हूं और उसके बाद ख़त्म कर देना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने एक ऐसी बात कह दी जो कि बिल्कुल निराधार है। राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के पार्ट १ के पेज ४२६ पर उन्होंने कहा है :

"To deprive professors of any share in the Executive policy of their University is to make an illogical gap between academic and exectutive affairs which cannot in fact be so divorced from each other."

इसी तरह से कोर्ट में जो २० हज़ार से अधिक के डोनर्स हैं उनकी संख्या इतनी अधिक कर दी गयी है कि मुझे शक है कि एक दिन यह हो सकता है कि यूनिवर्सिटी रुपये पैसे वालों की हो जायगी और तब सवाल यह होगा कि यूनिवर्सिटी कैपिटलिस्टों की सेवा करे या जनता जनार्दन की। लेकिन आपके द्वारा मैं जनता जनार्दन से यह अपील करूंगा कि इस ऐक्ट को जिस तरह से संकुचित कर दिया गया है भविष्य में वह दिन जल्दी ही आयेगा जब कि इसी सदन में एक संशोधन द्वारा इसे ख़ारिज कर दिया जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि श्री रामनारायण जी ने एक ऐसे प्रश्न पर अपना मत यहां प्रकट किया जिसका कि इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस कारण आपकी आज्ञा से मैं यह अवश्य चाहूंगा कि जो गलतफहमी उनको किसी कारण हो गयी है उसको मैं दूर कर दूं।

आपने फतेहपुर के स्कूल की बात कही और आपने यह कहा कि मैंने यह कहा था कि जब तक इस स्कूल का प्रबन्ध सोशलिस्ट पार्टी के अन्तर्गत रहेगा, प्रजासोशलिस्ट पार्टी के अन्तर्गत, तब तक इसको मैं ग्रांट नहीं दूंगा। मैं समझता हूं कि यह बातें जो मैंने कही थीं तो रामनारायण जी तो थे नहीं वहां। उनको यह किसी ने इत्तला ही दी होगी। मैंने यह ज़रूर कहा था कि जब तक अंशगोपाल जी इसके मैनेजर हैं मैं इसको ग्रान्ट नहीं दूंगा। इसलिये कि मैं उनको बड़ा अनुपयुक्त समझता हूं मैनेजरी के लिये। इसलिये मैं उस पर टिका रहा और हमारे पास उसके प्रमाण भी हैं जिसके कारण मैंने यह कहा और आप को यह भी बता

दूं कि यह भी आप को गलत इत्तला दी गयी उसकी मैनेजिंग कमेटी के बारे में। उस में जिले के कांग्रेस वाले भी मेम्बर हैं। लेकिन बंशगोपाल जी, जो कि उसके मैनेजर हैं और उनके सम्बन्ध में जो मेरे पास प्रमाण आये हैं, उनकी बिना पर शिक्षा मंत्री होने के नाते मैंने यह उचित समझा कि उस स्कूल की मैं ग्रांट बन्द कर दूं। मैंने उनसे यह कहा कि आप अपना स्कूल से नाता तोड़ लीजिये तभी मैं अपनी ग्रान्ट दे दूंगा। मैनेजिंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वह स्कूल को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये हम ग्रांट भी रेस्टोर करने में मजबूर हैं।

पोलिटिकल आइडियालोजी की मैं क्या बताऊं? अगर हम अपने पोलिटिकल आयडियालोजी से इतना बंधे होते तो शायद यह कभी भी इस सरकार के लिये तो सम्भव नहीं होता कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर आचार्य नरेन्द्रदेव हुए होते। तो उसमें आयडियालोजी की बात नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उसको बार-बार क्यों दोहराते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--दोहराता हूं इसलिये कि आप बार-बार आक्षेप करते हैं। जब आप आक्षेप करते हैं तो मैं दोहराऊंगा। अगर आप आक्षेप नहीं करेंगे तो मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं उसको बहुत ठीक बात नहीं समझता कि इतने बड़े व्यक्ति का नाम लिया जाता है। लेकिन जब आप नियत पर हमला करते हैं तो उसका सबूत भी देना चाहिये। अगर हम पोलिटिकल आडियालोजी से बंधे होते तो आचार्य जी के लिये यह सम्भव नहीं हो पाता कि वह बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर रहते। वह इसीलिये कि हम इन सब बातों में आयडियालोजी को अलग रखना चाहते हैं। स्वतंत्र विचार की आयडियोलोजी है तो हमारी है। आप स्वतंत्र विचार में विश्वास नहीं रखते। आपकी आयोडियालोजी यही है.....

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, "आप" आप के लिये है?

श्री हरगोविन्द सिंह--"आप" आपके लिये है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सदन में शान्ति रहनी चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--तो यह एसोशियेटेड कालेज की बात जिस तरह माननीय नारायण दत्त जी ने रखी मैं समझता हूं कि थोड़ा उनको भ्रम है। जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संबंध था, श्रीमन्, उसमें स्टैट्यूट्स में यह रखा गया जरूर कि चार से उसकी संख्या बढ़ नहीं सकती इसलिये कि बहुत दिनों से वह कालेजेज चले आ रहे हैं और मूथम कमेटी ने उसकी निस्बत यह कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो डिग्रीज दी जा रही हैं वह लीगल है या इल्लीगल हैं इसमें दो मत हो सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। जब मुझे मालूम हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने १० कालेजेज को अफ़ीलियेशन दिया है तो मैंने वाइसचांसलर साहब को एक पत्र लिखा, उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि इस ऐक्ट में जिसके अन्तर्गत लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना है उसमें कौन सी धारा है जिसमें यह आपको अख्तियार है कि आप यहां के कालेजेज को रिकग्निशन दें उसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि उसकी कोई धारा मेरे पास नहीं है। इसलिये जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है हम अभी यह समझते हैं कि लखनऊ में कोई असोशियेटेड कालेज नहीं है। अब एसोशियेटेड कालेजेज 'बिल बी नेम्ड इन दी स्टेट्यूट्स'। अब एसोशियेटेड कालेजेज के बारे में स्टेट्यूट्स बना कर यूनिवर्सिटी हमारे पास भेजेगी और हम उन्हें स्वीकार करेंगे तो उसको एसोसिएटेड कालेज का स्थान मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--चांसलर करेगा, आप क्यों करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह--स्टेट्यूट्स जो आयेंगे उन्हें चांसलर मंजूर करेगा, लेकिन जो फाइनेन्शियल मेटर्स होंगे वे हमारे पास आयेंगे। जो मेटर्स फायनेन्स से सम्बन्धित होंगे उनके लिये सरकार की अनुमति लेनी होगी, बिना सरकार की अनुमति लिये वह एसोशियेटेड कालेज नहीं बन पायेगा। मैं तो यह समझता हूं कि किसी शहर में १० एसोशियेटेड कालेजेज बना दें तो यूनिवर्सिटी का रूप ही बदल जायगा। इसलिये यह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो आवरण नारायण दत्त जी ने देने का प्रयत्न किया है वह उसमें नहीं है। उसकी अवस्था यह है और इसी कारण उसमें स्टेट्यूट्स की संख्या नहीं रखी गयी है।

इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें फ़ाइनेन्शियल आटोनामी की कही गईं और कहा गया कि कमेटी आफ रिफरेंस में गवर्नमेंट का कोई आदमी न रहना चाहिये और यह भी कहा गया कि कम्प्लीट फाइनेन्शियल आटोनामी होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं यों तो कबूल कर लूं कि शिक्षा मंत्री होने से पहले यूनिवर्सिटी से मेरा कोई नाता नहीं था और यह स्टेट्यूट्स क्या हैं, और आर्डिनेन्सेज क्या हैं यह नहीं जानता था। यहां आने के बाद यह सब देखना पड़ा। तो श्रीमन् फ़ाइनेन्शियल आटोनामी एक ऐसी संज्ञा है जिसको मैं समझने से पूर्णतया असमर्थ रहा। फाइनेन्शियल आटोनामी का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी यह न देखे कि उसके पास कितना धन है, कितना धन उसको मिलता है और कितना उसको बजट बनाना चाहिये और यूनिवर्सिटी अपना मन चाहा बजट बना ले? मान लीजिये यूनिवर्सिटी को इस समय २०, २५ या ३० लाख रुपये मिलते हों और यूनिवर्सिटी बजट बना ले २ करोड़ का और किसी से कर्ज ले-ले तो यह फाइनेन्शियल आटोनामी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किया भी ऐसा ही। वहां एक्जीक्यूटिव ने दो, तीन, चार दफा बैठ कर पास कर लिया इतनी तनख्वाह, इतनी तनख्वाह। प्रश्न आया कि रुपया कहां से आयेगा? तो बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, कर्जा ले लिया। यह फाइनेन्शियल आटोनामी है? लेकिन सरकार को जो यह क़र्ज़े का रुपया देना होगा वह रुपया भी तो सरकार के पास प्रान्त के असंख्य लोगों का ही है, उसके लिये ही तो यहां का लेजिस्लेचर बजट बनता है कि इतनी आमदनी और इतना खर्च है। हमें यह तो पता नहीं कि उस आटोनामी के मन्दिर में कितना चढ़ाना होगा? २ करोड़ चढ़ाना होगा या ४ करोड़ चढ़ाना होगा। मैं तो श्रीमन्, यह समझता हूं कि यह बिल्कुल ही अनुचित है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---ग्रान्ट कमेटी बतायेगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। वहां जो गवर्नमेंट के नामिनीज रक्खे गये हैं वहां श्रीमन् देखेंगे कि कमेटी आफ रिफरेंस को कोई पावर नहीं है सिवा इसके कि वह फिक्स करेगी लिमिट आफ एक्सपेंडीचर को। तो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेन्टेटिव हैं वे केवल इसलिये हैं कि यह बतला दें कि गवर्नमेंट ने इस साल आपको तीस लाख, चालीस लाख दिया है और आपकी जितनी आमदनी है उसमें आप अपना बजट बना लीजिये। तो आटोनामी का मतलब यह नहीं है कि वह बिला इस बात का लिहाज किये कि कितना रुपया कहां से मिलेगा पूरा अपना खर्चा कर लें इस भरोसे पर कि न यहां का ट्रेनिंग कालेज नीलाम होगा और न वहां का सीनेट हाल नीलाम होगा। इस आटोनामी की रक्षा मुझसे तो होगी नहीं। मैं यह चाहूंगा कि उनको यह बतला दूं कि भाई हम इतना दे सकते हैं और इसके अन्दर आप अपना बजट बना लें। नहीं तो फैकल्टीज खोल लें। फ़ैकल्टीज उन्होंने खोल भी ली हैं। फिर फैकल्टी खोल दी गयी। कहीं पर मिलिटरी की और कहीं पर दूसरी। तो सरकार ने उनसे यह कहा कि तुम ऐसा न करो लेकिन उन्होंने नहीं माना और उनको तनख्वाह दी जिसका नतीजा यह हुआ कि २० लाख रुपये के करीब उन पर क़र्ज़ा हो गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने १५ लाख रुपया लिया और उसने १४ लाख ६८ हजार रुपया तनख्वाह में टीचरों को दिया। मूथम कमेटी ने इसके विषय में जांच की थी तो उसको मालूम हुआ कि १४ लाख ६८ हजार रु० टीचरों की तनख्वाह में दिया गया है। इसलिये इस प्रकार की आटोनामी की रक्षा मुझसे तो नहीं होगी। मैं इस आटोनामी को बहुत खतरनाक समझता हूं यूनि-

वर्सिटी के लिये और अपने प्रान्त के लिये भी। यहां पर तो ऐसा नहीं किया जा सकता। श्री नारायण दत्त जी जानते होंगे कि ट्रावनकोर कोचीन में ऐसा किया गया होगा। लेकिन जहां तक हमको मालूम है वहां पर भी नहीं किया गया है।

दूसरी जो बातें कही गयीं हैं वह तो इस बिल से बाहर की बातें हैं उनके विषय में मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं इस भवन से अपील करूंगा कि वह इस बिल को पास करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी ने जो लखनऊ के एसोसियेटेड कालेजेज के बारे में कहा तो क्या उससे यह अर्थ लगाया जाय कि आजकल जो १० यहां पर रिकगनाइज्ड कालेज हैं इनकी संख्या कम होने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने तो इसको स्पष्ट कर दिया अब इनके समझने की बात है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और तत्पश्चात् इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार का कार्यक्रम

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है और वह यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक एक आवश्यक बिल है और वह इसलिये आवश्यक है कि उसमें एक धारा है जिसमें यह है कि एक साल के भीतर ही यूनिवर्सिटी में एक बाडी बना दी जाय। उसमें कुछ देरी हुई और एक ग़लतफहमी यह हुई कि उस आगरा यूनिवर्सिटी बिल की धारा १ में यह था कि वह तुरन्त लागू होगा। उसका नोटीफिकेशन हुआ २५ फरवरी को। तो हम यह समझते थे कि यह २५ फरवरी तक लागू होगा। लेकिन अब ला डिपार्टमेंट ने बतलाया है कि जिस रोज से पहला सेक्शन लागू हो गया उसी रोज से आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन बिल का सेक्शन दो भी लागू समझा जायगा। तो इस तरह से वह अब ३१ दिसम्बर को खत्म हो जायगा। एक वर्ष के लिये उसमें समय रखा गया था। हम समझते थे कि २५ फरवरी तक वह खत्म होगा तो २५ फरवरी तक बाडी बना दी जायगी। अब ३१ दिसम्बर के बाद नहीं बन सकती है। इसमें हमने यह कहा है कि ६ महीने का समय बढ़ा दिया जाय। तो यह २४ तक ही होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—२४ तक ही क्यों होना चाहिये, २७ को नहीं हो सकता?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं समझता हूं कि २७ तक भी हो सकता है लेकिन वाइस-चांसलर का तार आया कि वह २४ तक हो जाना चाहिये। मैंने यहां पर सेक्रेटरी से पूछा कि आखिर यह २४ तक ही क्यों होना जरूरी है तो वह भी उचित उत्तर नहीं दे सके। वाइस-चांसलर ने फिर कल तार भेजा है कि इसका २४ तारीख तक पास हो जाना जरूरी है। इसमें महज २ मिनट की बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो आज यह सदन के उठते समय प्रस्ताव किया उसमें मेरा पहला एतराज तो यह है कि यह प्रस्ताव उनको इस विधेयक को जब उन्होंने पेश किया था उस समय करना चाहिये था। दूसरी बात यह है कि २ मिनट का काम वह जो बतला रहे हैं वह वास्तव में हमारे लिये २ मिनट का नहीं है। हमारे विचार से इसमें २ दिन भी लग सकते हैं। फिर सदन में यह निश्चित हुआ था कि लखनऊ का बिल पास होने तक सदन बैठे और वह पास हो चुका है। इसलिये जो बात अब हम कर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रहे हैं वह वैसे तो असंगत सी मालूम होती है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर फिर विचार हो जाय।

श्री अध्यक्ष--सदन बैठा है और यह बात नहीं है कि इस पर विचार नहीं हो सकता, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा आप भी करते हैं। प्रश्न केवल यह है कि क्या इसे आज ही पास करने की आवश्यकता है? मैंने इसे देखा कि 1 year की जगह 18 months करना चाहते हैं चूंकि वह कार्य जिसके लिये साल भर था उसमें नहीं हो पाया है। मेरे सामने प्रश्न यह है कि अगर आज समय ही बीतता हो तो मैं अनुमति दे दूं। उसके लिये प्रस्ताव यह लाना होगा कि इसके ऊपर विचार कर लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्री जी खुद भी साफ नहीं हैं। वह वाइस-चांसलर से टेलीफोनिक कनवर्सेशन कर लें और अगर जरूरत होगी तो हम २४ को बाद में बैठ जावेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--ठीक है, कल हो जाय।

श्री अध्यक्ष--तब तक इसका लीगल आसपैक्ट आप और साफ कर लें तो कल समय बढ़ाया जा सकता है।

(इसके बाद सदन ४ बज कर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ दिसम्बर, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१९ पर ।)

गाड़ियों के खर्च का बिवरण

क्रम सं०	नाम तथा गाड़ी का नम्बर	पेट्रोल का दाम			मरम्मत का दाम			योग			विशेष
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
१	पिकप ई० एस० जे० ९९२६	४६७८	०	६	२६३१	६	६	७३०९	७	०	पिकप ५३,००० मील चल चुकी थी और पुरानी हो जाने से उसमें
२	ट्रक यू० एस० क्यू० ११०१	३३३५	१३	०	८५२	१५	६	४१८८	१२	६	मरम्मत पर अधिक
३	स्टाफ़कार यू० एस० जे० ५९७७	६३४	१५	०	२४	१२	०	६५९	११	०	व्यय करना
४	जीप यू० एस० जे० १८०१	३४१	०	६	..			३४१	०	६	पड़ा ।
	योग	८९८९	१३	०	३५०९	२	०	१२४९८	१५	०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'कक'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१९ पर।)

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सन् १९५३ व ५४

प्रसार शिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ

क्रम संख्या	विवरण	कुल कार्य २-४-५३ से ३१-३-५४ तक हुआ	टिप्पणी
(१)	१ पक्के कुएं बने	३०	
	२ पुराने कुयें मरम्मत हुए	२८	
	३ नया क्षेत्र जिसमें सिंचाई की सुविधा हुई	२०० एकड़	
	४ पक्के कुएं खोदे गये ..	९	
	५ परशियन व्हील्स लगाये गये ..	१	
६	अ कुएं में जल कल लगाये गये ..	१	
	ब क्षेत्र जिसमें सिंचाई की गयी ..	३० एकड़	
७	अ तालाबों में जल कल लगाये गये ..	४	
७	ब क्षेत्र जिसमें सिंचाई की गयी ..	४६८ एकड़	
८	तालाब खोदे गये तथा बढ़ाये गये ..	२६	
९	अ गूलों की सफाई की गयी ..	८ मील २ फ० ..	
	ब मिट्टी की खुदाई ..	२,३३,८२० घनफीट ..	
(२)	कृषि-- ..	..	
	बीज ग्राम सेवकों द्वारा बांटे गये थे चूंकि यहां बीज भंडार तथा सहकारी भंडार नहीं हैं।		
१०	बीज खरीदे गये		
	खरीफ़ ..	२२६ मन २० सेर १० छ० ..	
	धान एन-२२ ..	..	
		२०३ मन ३६ सेर २ छ० ..	
		..	
		४३० मन १६ सेर १२ छ०	
११	बीज बांटे गये--		
	अ--खरीफ--		
	१--धान एन २२ ..	३६०-२२-२	
	२--मक्का टी ४२ ..	२-३-०	
	३--गन्ना एस ५२७ ..	३९६-३०-०	

क्रम संख्या	विवरण	कुल कार्य २–४–५३ से ३१–३–५४ तक हुआ	टिप्पणी
		मन सेर छ०	
	ब—रबी—		
	१—गेहूं पी० बी० ५९१ ..	९९१–५–८	
	२—जौ सी० २५१ ..	५०–०–०	
	३—चना टी० ८७ ..	२४२–१७–८	
	४—मटर टी० २६३ ..	१४०–१३–०	
	५—आलू दिये ..	१९०–०–०	
	१२ क्षेत्र जिसमें बीज दिये गये—		
	१—धान एन० १२–२२ ..	२६५०	
	२—मक्का टी० १ ..	२५४–५	
	३—लौबिया टी० २ ..	२९–०	
	४—गेहूं पी० बी० ५९१ ..	२४८४	
	५—जौ सी० २५१ ..	७२०	
	६—चना टी० ८७	२४४०	
	७—मटर २६३ ..	११७६	
	८—मटर २९	६०	
	९—मक्का टी० ४१ ..	२६८	
	१०—गन्ना ..	२५६	
	१३ प्रदर्शन आयोजित किये गये—		
	अ—बेराइटल		
	१—धान एन० २२ ..	२७	
	२—मूंग टी० १ ..	३६	
	३—मक्का टी० ४१ ..	२५	
	४—लोबिया टी० १ ..	२२	
	५—गेहूं पी० बी० ५९१ ..	४३	
	६—जौ सी० २५१ ..	५	
	७—चना टी० ८७ ..	२०	
	८—मटर २६३	९	
	९—गन्ना सी० ५२७ ..	७	
	१०—आलू ..	२३	
	११—बरसीम ..	५	
	ब—मेनोरियल—		
	१—सुपरफासफेट धानों में डाली गयी	१८	
	२—एमोनियम सल्फेट ..	१८	

विधान सभा प्रदेश

क्रम संख्या	विवरण	कुल कार्य २-४-५३ से ३१-३-५४ तक हुआ	टिप्पणी
		मन	
	३--दोनों का मिश्रण ..	९	
	४--एमोनियम सल्फेट आलू ..	१८	
	५--सुपरफासफेट आलू ..	२७	
	६--दोनों का मिश्रण आलू में डाला गया	२२	
	७--सुपर फासफेट गेहूं में डाला गया	२५	
१४	सी इम्पलीमेंटल--		
	१--विक्ट्री हल ..	६४	
	२--तिकोनिया हैरो ..	२७	
	३--स्पाइक टूथ हैरो ..	२६	
	४--मेस्टन हल ..	२००	
	५--एम० सी० कल्टीवेटर ..	७९	
	६--जापानी वीडर ..	२	
	७--आलपाड ग्रशर ..	२३	
	८--बिनोअर ..	३३	
	९--डिवलर ..	२२०	
	१०--सीड ड्रिल ..	२०५	
	११--केयर हल ..	५२	
१५	बेसिक सीड स्टोर बिक्री योग्य खेती के यंत्र, यंत्र स्टोर में नहीं थे। कुछ यंत्र पारितोषिक के रूप में बांटे गये--		
	अ--सौयल टर्निंग प्लाऊ हलके..	४	
	ब--हैंडहो ..	२	
	स--इम्प्रोवड स्किलस ..	२	
	१--केअर प्लाऊ ..	९	
	२--मेस्टन प्लाऊ ..	३	
	३--वीडर ..	१	
१६	खाद बेची गयी--		
	१--अमोनियमसल्फेट ..	[५८५ मन ३० सेर	
	२--सुपर फासफेट ..	६८ मन २० सेर	
	हरी खाद के बीज--		
	१--सनई ..	९-३५-८	
	२--ढैंचा ..	२-०-०	
	३--मूंग ..	१-३५-११	
	४--रेंडी की खली ..	२८-३८-०	
	५--नीम की खली ..	३-०-०	

अविभाजित मुख्यालय

क्रम संख्या	विवरण	कुल कार्य २–४–५३ से ३१–३–५४ तक हुआ	टिप्पणी
१७	खाद बनायी गयी—		
	१—गट्ढे बनाये गये ..	४४५	
	२—खाइयां खोदी गयीं ..	४९०	
	३—खाइयां खोदी तथा भरी गयीं	६०	
	४—मूत्र की खाइयां भरी गयीं	७०	
	३—उद्यान शास्त्र—		
१८	क्षेत्र जिसमें उद्यान लगाये गये	२९	१।२ एकड़
	अ—पुराने बागों का सुधार किया गया	३०	
	ब—क्षेत्रफल ..		३२ एकड़
१९	फलों के पेड़ लगाये गये—		
	१—आम ..		१,६७०
	२—कटहल ..		२१२
	३—अमरूद ..		२४१
	४—नीबू ..		२६९
	५—आंवला		७
	६—जामुन		२२५
	७—पपीता ..		८२६
	८—केला ..		२७६
२०	ईंधन के पेड़ लगाये गये—		
	१—नीम ..		३६६
	२—शीशम ..		४७९
	३—बबूल ..		९६२
	४—बरगद ..		२२
	५—पीपल ..		२४
	६—अशोक ..		७
	योग ..		१,८६०
२१	सड़कों के किनारे पेड़ लगाये गये		२
२२	नर्सरी लगायी गयी ..		१५
२३	तरकारी के पौधे बांटे गये		२०,५१३
	क्षेत्रफल ..		२० एकड़
(४)	खेतों को उपजाऊ बनाया गया—		
२४	ऊसर भूमि जिसको उपजाऊ बनाया गया		२०एकड़
२५	भूमि जिससे कांस उखाड़ी गयी		२ एकड़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	विवरण	कुल कार्य २-४-५३ से ३१-३-५४ तक हुआ	टिप्पणी
२६	दौलबन्दी की गयी ..	५०० एकड़	
(५)	कृषि रक्षा		
२७---अ	कुल भूमि जिससे कीड़ों द्वारा बीमारियां फैलीं ..	५४२ एकड़	
ब---क्षेत्रफल भूमि का जिसमें रोक थाम की गयी--			
	१--कृषि रक्षा कर्मचारियों द्वारा	५ एकड़	
	२--शिक्षण केन्द्र ..	३०२	
	३--किसानों द्वारा ..	२३६	
	योग ..	५४३	..
२८-अ	फलों के पेड़ जिनमें बीमारियां हुई तथा कीड़े लगे ..	१००२	..
ब--फलों के पेड़ों की संख्या जिसमें बीमारियां दूर की गयीं			
	१--कृषि रक्षा कर्मचारियों द्वारा	५६७	
	२--शिक्षण केन्द्र ..	२४३	
	३--किसानों द्वारा ..	५५५	
	६--फसल प्रतियोगिता में भाग लिया-- ..	..	
२९	गेहूं पी० वी० ५९१ ..	५६	
(७)	पशुपालन--		
३०	जानवर बधिया किये गये	७०९	
३१	जानवरों के टीके लगाये गये--		
	अ--हीमोरेजिक सेप्टीसीमिया	९०७३	
	ब--रिन्डरपेस्ट ..	२३४	
	स--एनथ्रेक्स ..	२५	
३२	गायों में कृत्रिम गर्भादान	२२	
	भसों "	२३९	
३३	जानवरों के बाड़े बनाये गये	८	
३४	जानवरों का इलाज किया गया--		
	अ--पशु चिकित्सालय में ..	८४०	
	ब--क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा	२,११२	
	योग ..	२,९५२	

क्रम संख्या	विवरण	कुल कार्य २-४-५३ से ३१-३-५४ तक हुआ	टिप्पणी
(८)	शिक्षा तथा जन-सम्पर्क--		
३५--अ	सामूहिक केन्द्र खोले गये		
	ब--पुस्तकालय खुले ..	५	
	ख--पुस्तकें दी गयीं ..	६९०	
	द--वाचनालय खुले ..	४	
	य--सूचना केन्द्र खुला ..	१	
३६	विद्यालय खोले गये--		
	अ--प्रारम्भिक विद्यालय ..	२	
	ब--उच्चतम विद्यालय ..	२	
	स--प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें	४३	
	द--प्रौढ़ की संख्या इन कक्षाओं में	७३७	
	य--प्रौढ़ों की कक्षाओं में संख्या	१५	
	फ--साक्षर लोगों की संख्या	६८७	
३७	दृष्य दर्शन--		
	अ--आसपास के गांवों में जो लोग गये	१,४३१	
	ब--शिक्षण क्षेत्र में ..	२,१८७	
	स--बाहर जो लोग गये ..	२५	
३८	सिनेमा दिखाया गया ..	२५	
३९	क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पंचायत मंत्रियों तथा कृषि और सहकारी सुपरवाइजर का प्रशिक्षण--		
	अ--प्रशिक्षण कैम्प	१	
	ब--कर्मचारी जिनका प्रशिक्षण हुआ ..	४०	
४०--अ	गांव सभाओं द्वारा रेडियो लगाये गये	५	
	जनता द्वारा रेडियो ,,	२	
(९)	सामूहिक कार्य--		
४१	इमारतें बनायी गयीं--		
	अ--प्रारंभिक विद्यालय ..	२	
	ब--पंचायतघर ..	५	
	स--प्रसव केन्द्र ..	१	
	द--गांधी चबूतरा ..	३८	
(१०)	जन स्वास्थ्य--		
४२	आसपास की सफाई--		
	१--पानी पीने के कुएं बने ..	१२९	
	२--जल कल लगाये गये	७	
	३--नहाने के चबूतरे बनाये गये	२०	
	५--कुओं की सफाई हुई ..	२,३१९	

क्रम-संख्या	विवरण	कुल कार्य २-४-५३ से ३१-३-५४ तक हुआ	टिप्पणी
	५--गन्दे कुओं की सफाई ..	१५	
	६--पक्की नाली बनायी गयी	९० गज	
	७--गड्ढे बनाये गये ..	७८७	
	८--गांवों की सफाई ..	१०५	
	(९) घरों की सफाई ..	२२४९	
	स--वर्ष में ..	६ बार	
	(९) शौचालय बने ..	५१	
	अ--मूत्रालय ..	२९	
	ब--सेवास्थ प्रदर्शनी ..	४	
	(१०-अ) मकानों में रोशनदान लगाये गये	३८५	
	ब--गांव में बत्तियां लगीं ..	२७	
	४३ संक्रामक रोगों की रोकथाम--		
	अ--चेचक के टीके लगाये गये--		
	१--पहला ..	७८२	
	२--दुबारा टीका लगाया गया	३,७७१	
	४४--हैजे का टीका लगाया गया	३,७०४	
	४५--मलेरिया की रोकथाम (छिड़काव द्वारा)		
	१--गांवों में छिड़काव किया गया	२३	
	२--मकानों ,, ,,	६९३	
	४६--ग्राम सेवकों द्वारा जिन लोगों की चिकित्सा की गयी ..	११,४८१	
	गड्ढे खोदे गये ..	४५२	
	खाद के गड्ढे भरे गये ..	२०२	
	चूहे मारे गये	६७७	
	धनोचियां बनीं ..	२६	
	पशुओं के लिये नादें बनीं	३	
	बेधुयें के चूल्हे बने ..	१	
	कच्ची नालियां बनायी गयीं	३७०५ गज	
	११ सहकारिता--	..	
	४७--नयी प्राथमिक सोसाइटियां बनायी गयीं--	२९	
	४८--प्राथमिक सोसाइटी के नये सदस्य	२४५	
	४९--सोसाइटी		
	५०--सोसाइटी जिनमें काम हो रहा है ..	१०	
	१२--मंगल दल--		
	५१ मंगल दल में भर्ती हुए लोगों की संख्या		
	१--मंगल तथा दल नायक ..	४३	

विधान सभा

क्रम संख्या	विवरण	कुल कार्य २-४-५३ से ३१-३-५४ तक हुआ	टिप्पणी
	२—सदस्य जो वर्दी धारण करते हैं	८६८	
	३—सदस्य जो वर्दी धारण नहीं करते हैं	४३२	
५२	कच्ची सड़क बनाने में मिट्टी की खुदायी की गयी ..	२४,०३,८४० घनफीट	
५३	उपरोक्त कार्य का मूल्यांकन	२०,१५० रु० ८ आ०	
५४	जन–सम्पर्क कार्य——		
	मेले लगे ..	४	
	(१३) हरिजन उद्धार——		
५५	हरिजनों के घर ठीक किये गये	१४	
५६	हरिजनों के लिये कुयें बनाये गये	२४	
५७	कुओं की मरम्मत ..	२८	
५८	सम्मेलन किये गये ..	२	
	(१४) कुटीर उद्योग—— ..		
५९	गुड़ की भट्ठियां बनायी गयीं	२८	
६०	गन्ना पेरने वाले यंत्र दिये गये	२८	
६१	चरखे बांटे गये ..	१०	
६२	ईंट के भट्ठे जो चल रहे हैं	२	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर।)

श्रमदान आंदोलन में किये गये कार्यों का तहसीलवार ब्योरा जिला बस्ती

तहसील	कच्ची सड़क नयी	कच्ची सड़क मरम्मत	तालाब जो गहरे किये गये	बंधी निर्माण	बंधी मरम्मत	नाली निर्माण	गूल नल कूप	गूल मरम्मत	सोख्ता	थाल्हे	नरसरी	गांधी चबूतरा	पुलिया	गड्ढा कम्पोस्ट	कुओं की सफाई
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
प्रथम श्रमदान आंदोलन २६ जनवरी, १९५३ ई० से ३० जनवरी, १९५३ ई० तक															
	मी० फ० ग०	मी० फ० ग०		मी० फ० ग०		मी० फ० ग०									
बस्ती	२ १ १७					१ ६ ०								७८	६०५३२२८
खलीलाबाद	१ १ ०					१ २ ०							१	८९	घनफीट
झांसी	३ ० १००			० ६ ०		१ ० २							१	१०३	७२६४५ रुपये
डुमरियागंज	२ ४ ०					० ५ ०								७९	मूल्य का कार्य
हरैया	२ ० ०					० ३ ०								९०	
योग	१० ६ ११०			० ६ ०		५ ० २							२	४३९	
द्वितीय श्रमदान आंदोलन २ मई, १९५३ से १५ मई, १९५३															
बस्ती	७ ० २६		२०		२	० ० १०५		६	११०			९५			१६१९४५४
खलीलाबाद	६ ४ ०		३०			० ० १००						८७			घनफीट
झांसी	९ १ २		२८		७	० ३ ४०						१०१			१९४४०
															रु० मूल्य का कार्य

डुमरियागंज	६	०	२५			१६				
हरैया	५	४	०			२१		२		
योग	३४	१	५२			११८			११	
तृतीय श्रमदान आंदोलन २६ जनवरी, १९५४ से १ फरवरी, १९५४ तक										
बस्ती	३	७	१००	४८	१	५०	५		१०	
खलीलाबाद	३	३	०	२६	२	०	७		५	
झांसी	१	२	४०	४४	१	०	१५		२५	
हरैया	२	१	०	२५	१	१५	५		६	
योग	१५	७	१४५	१८२	०	६५	४४		६०	
चतुर्थ श्रमदान आंदोलन १० मई, १९५४ ई० से २४ मई, १९५४ ई० तक										
बस्ती	०	१	०	२	१	१०२	२२	०	०	१००
खलीलाबाद	०	३	०	२	६	१७५	१६	०	१	०
झांसी				२	०	०	५७	०	१	१८०
डुमरियागंज				४	५	०	२०			
हरैया	०	२	१०	१	२	१०२	२३			
योग	०	६	१०	१२	७८६		१३८	०	१	१३८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२१ पर)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बस्ती, तहसील बांसी के परगना विनायकपुर में जो कार्य लिये गये तथा किये गये उनका विवरण :

सिंचाई — १—इसके अन्तर्गत यहां पानी की कच्ची नालियों का सुधार करने का लक्ष्य बनाया गया और ४ फर्लांग कच्ची नाली का सुधार किया गया।

२—कुयें बनाने का कार्य आवश्यक समझा गया तथा राजकीय सहायता द्वारा ७ पक्के कुयें बनाये गये जिनसे सिंचाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

३—पुराने बांधों की मरम्मत का कार्य भी लिया गया जिसके अन्तर्गत ६ फर्लांग तक बांधों की मरम्मत की गयी।

कृषि — १—कृषि विभाग के अन्तर्गत उन्नतिशील बीज का वितरण कार्य लिया गया और ७५४ मन बीज व १४ सेर मूंग नम्बर १ के बीज वितरण किये गये जिससे ७ एकड़ की बोआई हुई।

२—कम्पोस्ट के लिये गड्ढे खोदे जाने की योजना बनायी गयी और १२५ गड्ढे तैयार किये गये।

निर्माण-कार्य — इसके अन्तर्गत यहां नयी सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत करने का कार्यक्रम बनाया गया और २ मील ७ फर्लांग लम्बी कच्ची सड़क का नव-निर्माण किया गया तथा ८ मील लम्बी पुरानी कच्ची सड़क की मरम्मत की गयी।

स्वास्थ्य तथा अन्य कार्य — यहां बीमारी की रोक थाम पर ध्यान दिया गया तथा उसके अन्तर्गत मलेरिया निरोधक योजना के अन्दर डी०डी०टी० आदि का छिड़काव किया गया। इसके अतिरिक्त १९५२ तक कालाज्वर यूनिट भी कार्य करता रहा।

पशुपालन — अच्छे नस्ल की भैंसों को बाहर से मंगाने की योजना के अन्तर्गत १ भैंस मंगायी गयी।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३६ पर।)

बनारस शहर की सहकारी समितियों की सूची

क्रम-संख्या	सोसाइटी का नाम	कार्य-स्थान	दिनांक रजिस्ट्री
१	पीली कोठी स्टोर	विशेश्वर गंज	१०-९-४२
२	मछोदरी स्टोर	मछोदरी	१२-१२-४८
३	लोहटिया स्टोर	लोहटिया	२८-५-४७
४	काजी पुरवा स्टोर	सालिसी कार्यवाही हो रही है।	..
५	ईश्वर गंज स्टोर	ईश्वर गंज	३०-८-४८
६	क्वीन्स कालेज स्टोर	जगत गंज	८-८-४८
७	बुरवा ब्रिज स्टोर	नादेसर बनारस छावनी	३०-८-४८
८	ओडरली बाजार स्टोर	ओडरली बाजार	३०-८-४८
९	नीची बाग स्टोर	नीची बाग	३०-८-४८
१०	कोतवाली कांस्ट्रक्शन स्टोर	कोतवाली सब-एरिया	३०-८-४८
११	मदनपुरा स्टोर	मदनपुरा	१३-११-४८
१२	लक्सा कांसट्रक्सन स्टोर	लक्सा	३१-७-४७
१३	भर्देनी स्टोर	भर्देनी	३०-८-४८
१४	कमच्छा स्टोर	कमच्छा	१६-९-४८
१५	हरसुन्दरी स्टोर	टहरी नीम	५-६-४८
१६	काली महल स्टोर	चेतगंज	२७-९-४८
१७	बीमा स्टोर	छोटी पियरी	२७-९-४८
१८	मुगल सराय स्टोर	मुगल सराय	९-३-५०
१९	इंटर स्कूल व्यायाम मंडल	बनारस	१७-१-२९
२०	एक्स सर्विस मेन सोसाइटी	बनारस	११-१२-४८
२१	वर्वीस कालेज	बनारस	९-१-४३
२२	ग्राम सुरक्षा	बनारस	८-१०-४३
२३	हलवाई स्टोर	बनारस	३०-६-४३
२४	बसन्त कालेज	बनारस	२७-४-४३
२५	सेंट्रल हिन्दू स्कूल	बनारस	१६-४-३२
२६	बंगाली टोला हाई स्कूल	बनारस	३०-१२-४२
२७	एंग्लो बंगाली कालेज	बनारस	२४-१२-४२
२८	भेलूपुरा स्टोर	बनारस	५-६-४७
२९	बनियां सी०सी० स्टोर	बनारस	२१-९-४८
३०	ब्रास मैनूफैक्चरिंग	बनारस	२३-९-४६
३१	बी०एच०यू० स्टोर	बनारस	१७-१०-४०
३२	जय हिन्द स्टोर	बनारस	२८-५-४७
३३	जे० एम० गाएन्का स्टोर	बनारस	५-५-४३
३४	लक्सा हाउसिंग सोसाइटी	लक्सा	२७-१२-४८
३५	सिन्धी रिफ्यूजी हाउसिंग सोसाइटी	लक्सा	२९-१०-५१
३६	लाला लाजपत राय गृह निर्माण	सिकराउल	१३-११-५१

क्र० संख्या	सोसाइटी का नाम	कार्य-स्थान	दिनांक रजिस्ट्री
	(१ जुलाई १९४९ तथा ३१ दिसम्बर १९५० तक रजिस्ट्री किये गये)		
३७	काशी कोप० हाउसिंग सोसाइटी	लंका	२०-१०-४९
३८	बनारस हाउसिंग सोसाइटी	जगतगंज	
३९	म्युनिसिपल कन्जरवेन्सी	बनारस	१०-२-४१
४०	म्युनिसिपल्टी एम्प्लाइज	नाटी इमली	११-३-४१
४१	सिविल कोर्ट ऐम्प्लाइज	बनारस	२४-२-४१
४२	पुलिस आफिसियल सोसाइटी	बनारस	१२-१०-३४
४३	यू० पी० कालेज	हां० प्रकाशबनारस	[illegible] ४-३२
४४	बनारस कोप० डेरी सोसाइटी	[illegible] ४२८	[illegible] ८-३६
४५	डिविजनल विलेज इन्डस्ट्रीज कोप० स्टोर	[illegible]	[illegible] ६
४६	बनारस पोस्टल कोप० स्टोर	[illegible] ७४३	[illegible] ७-४०
४७	म्यूनिसिपल इन्सोरेन्स इम्पलाइज कोप०	हां० प्रकाश	[illegible] ५
४८	सोसाइटी	हां० [illegible] ७६४	[illegible] १२-४२
४९	हरीश चन्द्र कालेज कोप० स्टोर	[illegible] ७६८	[illegible] १-४३
५०	जे० एम० गोरख संस्कृत महाविद्यालय	[illegible]	[illegible] ५
५१	कोप० स्टोर	नाटी इमली ७७०	[illegible] ३-४३
५२	बनारसी रेडिकल कोप० स्टोर	[illegible] ७७१	[illegible] ३-४३
५३	कोप० आफीशियल को० स्टोर	[illegible] ७७५	[illegible] ५-४३
५४	दीनलबाग कर्मचारी को० सो०	[illegible] ७७७	[illegible] ६-४३
५५	कोप० सी० एन्ड यस० एम० आफिशियल	[illegible]	[illegible] ६१
५६	सी०	[illegible] ८०९	[illegible] ११-४३
५७	देहात अमानत कांस्ट्रक्शन स्टोर	[illegible] ८७४	[illegible] ६-४३
५८	सिकराऊल वार्ड कांस्ट्रक्शन स्टोर	हां० [illegible] ८७९	[illegible] १-४३
५९	देवी पगिया मल्लाह	[illegible] ८८०	[illegible] ७-४३
६०	बनारस वीवर्स यूनियन	नाटी इमली ८९७	[illegible] ७-४३
६१	श्री काला बाटा साह समिति	[illegible] ९०४	[illegible] ८-४३
६२	जयदीपुरा वार्ड कांस्ट्रक्शन स्टोर	[illegible] ९०८	[illegible] ९-४३
६३	नयापुरवा को० स्टोर	[illegible] ९२६	[illegible] १०-४३
६४	पंजाब एंड फ्रांटीयर रिफ्यूजी	[illegible]	नाटी इमली ६६
६५	क्रेडिट सो०	[illegible] २३५	[illegible] ३-४६
६६	सिन्धी रिफ्यूजी क्रेडिट सो०	[illegible] २५६	[illegible] ४-४६
६७	[illegible]	[illegible]	[illegible] ५६
६८	[illegible]	[illegible]	[illegible] ३६
६९	[illegible]	[illegible]	[illegible] ७६
७०	[illegible]	[illegible]	[illegible] ८६
७१	[illegible]	[illegible]	[illegible] ३६
७२	[illegible]	[illegible]	[illegible] ०६
७३	[illegible]	[illegible]	[illegible] ९६
७४	[illegible]	[illegible]	[illegible] ६६
७५	[illegible]	[illegible]	[illegible] ६६
७६	[illegible]	[illegible]	[illegible] ४६
७७	[illegible]	[illegible]	[illegible] ५६
७८	[illegible]	[illegible]	[illegible] ३६

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३७ पर।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६।

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को और अधिक संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६।

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २४ का संशोधन।

२—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे यहां पर आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २४ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक "१९५६–५७" के पश्चात् शब्द "Or, if the State Government so directs before the expiry of subsequent academic year as it may by notification in the official *Gazette* specify from time to time" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ४०–ए का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४०–ए के—

(१) खंड (*b*) में शब्द "one year" के स्थान पर शब्द "eighteen months" रख दिये जायं, तथा

(२) प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "12 months" के स्थान पर शब्द "eighteen months" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

संघ सरकार ने विश्वविद्यालयों की प्रथम उपाधियों के पाठ्य-क्रमों को दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष का करने तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को एक वर्ष घटाने का प्रश्न उठाया है और राज्य सरकारें उस प्रश्न पर विचार कर रही हैं, इसलिये आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट की नव-विधायित धारा २४ (२) के, जिसके अन्तर्गत डिगरी कालेजों द्वारा इंटरमीडियेट और पोस्ट-ग्रेजेएट क्लासों में से शिक्षा-सत्र १९५६–५७ की समाप्ति के पूर्व तक एक को छोड़ देना अपेक्षित है, संचलन के अवरोध के अधिकार को प्राप्त करना आवश्यक है। इसी प्रकार संशोधित अधिनियम के अनुसार युनिवर्सिटी अथारिटीज के पुनस्संगठन के कार्य में संभवतः कुछ और समय लगेगा। अतः अधिनियम की धारा ४०-ए के प्रयोजनों के निमित्त एक वर्ष की नियत अवधि को अठारह महीने करना आवश्यक है।

तदनुसार सदन के विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३७ पर।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजन के निमित्त उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय, उत्तर प्रदेश अधिनियम २४, १९५३

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की, जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है, धारा १२ की उपधारा (१) में शब्द "मौसम" तथा शब्द "के लिये" के बीच में शब्द "या मौसमों" तथा शब्द "किया जाय" के स्थान पर शब्द "किये जायं" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम २४, १९५३ की धारा १२ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "किसी विशेष पेराई के मौसम के भीतर" के स्थान पर शब्द "एक या एकाधिक पेराई के मौसम या मौसमों के भीतर, जो निर्दिष्ट किये जायं" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम २४, १९५३ की धारा १५ का संशोधन।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ के अधीन गन्ना कमिश्नर को केवल किसी विशेष पेराई के मौसम के लिये चीनी फैक्टरी में गन्ने की पूर्ति के निमित्त कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित करने का अधिकार है। दीर्घकालीन आधार पर गन्ना-क्षेत्रों के विकास के लिये योजना बनाने की सरकार को सक्षमता करने के हेतु क्षेत्रों के दीर्घकालीन सुरक्षण तथा अभ्यर्पण की व्यवस्था करने के प्रयोजन से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
उद्योग मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी २५७ मल० ए०—१९५५—८००